ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

दिसंबर 2012 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 20

पूर्वोत्तर
फ़ोकस : नगालैंड

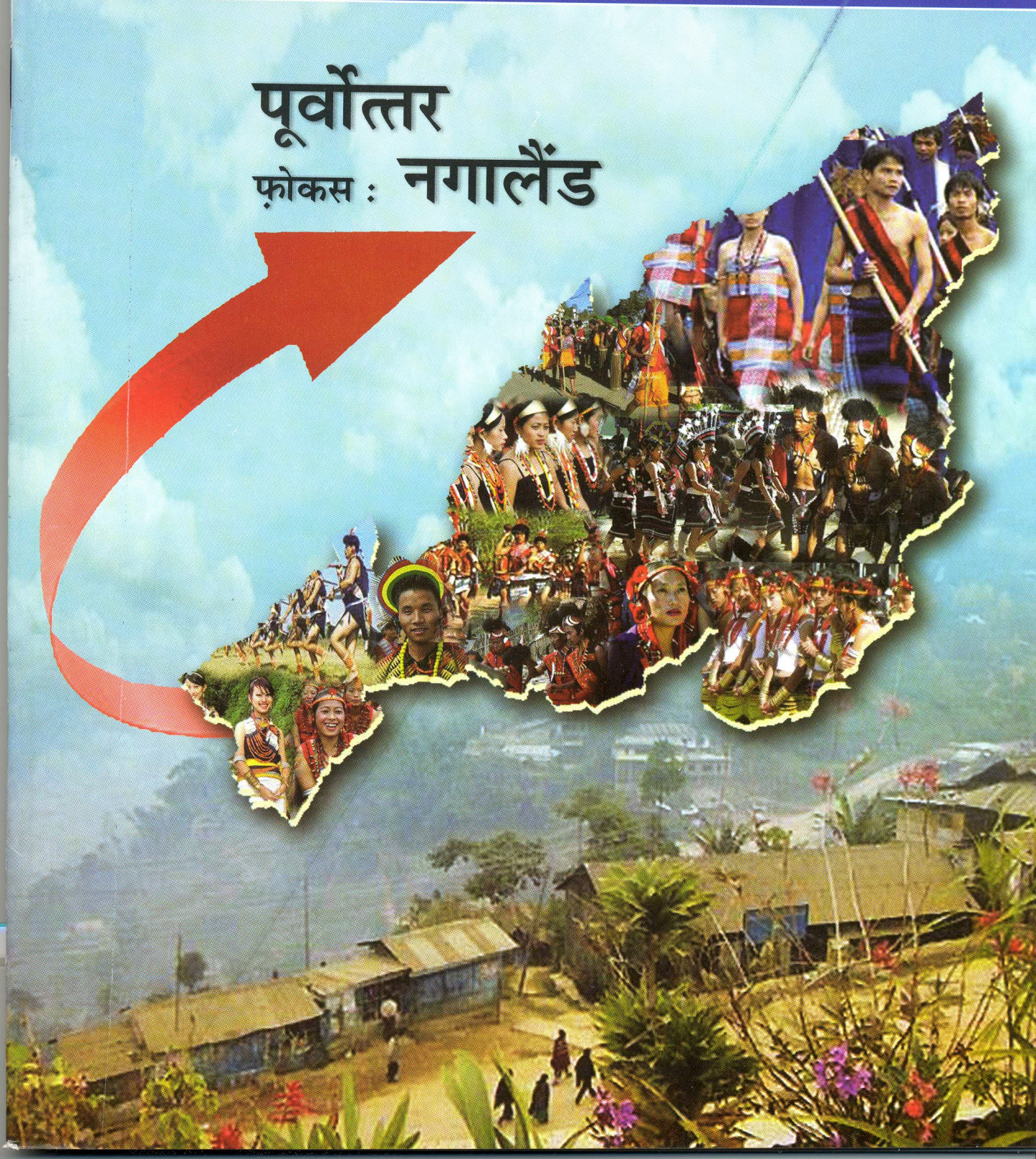

योजना

वर्ष : 56 • अंक : 12 • दिसंबर 2012 • अग्रहायण-पौष, शक संवत 1934 • कुल पृष्ठ : 76

प्रधान संपादक
रीना सोनोवाल कौली

वरिष्ठ संपादक
वी. एम. वनोल

संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23717910, 23096738
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
वी.के. मीणा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण : **जी. पी. धोपे**

इस अंक में

संपादकीय	–	5
निरंतरता- पूर्वोत्तर की बुद्धिमत्ता	संजीव काकोती	7
पूर्वोत्तर भारत का परिवहन ढांचा	अरविंद कुमार सिंह	11
सात बहनों का अतुलित वैभव	घनश्याम श्रीवास्तव	15
नगालैंड में उच्च शिक्षा - वर्तमान और भविष्य	वी. के कंवर	17
नगालैंड में कृषि विकास	अमृत पटेल/गोपाल कलकोटि	21
उद्यमिता विकास : नगालैंड के आर्थिक विकास में मुख्य मुद्दा	सुनील कुमार सैकिया	27
पर्यटकों का उभरता गंतव्य - नगालैंड	संदीप बनर्जी	31
उत्सवों की भूमि : नगालैंड	अमिताभ रे	35
पूर्वोत्तर की भौगोलिक संरचना	अजय सिंह पटेल मृत्युंजय सिंह	39
पूर्वोत्तर के जनजीवन का महत्वपूर्ण अंग-मिथुन	देवेन्द्र उपाध्याय	43
क्या आप जानते हैं? : एफडीआई क्या है?	–	47
अनुकरणीय पहल : एक निःस्वार्थ सफ़लता यात्रा	सुरेश धर्मपुरी	49
पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं	नंदिनी	51
इक्कीसवीं सदी की प्रौद्योगिकी में नये कार्बन पदार्थों की भूमिका	कमान सिंह	53
भारत में समावेशित विकास की रणनीति	ए.आर. राजू	57
एड्स का हौवा और बढ़ते जानलेवा रोग	ए.के. अरुण	61
शोध यात्रा : नायाब आविष्कारों के महारथी	–	63
विकास की डगर एवं मानवाधिकार	सरोज कुमार शुक्ला	67
मंथन : अपनी ही तरह दूसरों के साथ बर्ताव करें	ज़ियाउर रहमान जाफ़री	69

योजना **हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड IV, तल VII, आर.के.पुरम, नयी दिल्ली-66 दूरभाष** : 26100207, 26105590 तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं : सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पालडी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : ₹ 100 **द्विवार्षिक** : ₹ 180; **त्रैवार्षिक** : ₹ 250; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** ₹ 530; **यूरोपीय एवं अन्य देश** : ₹ 730।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए *योजना* उत्तरदायी नहीं है।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र

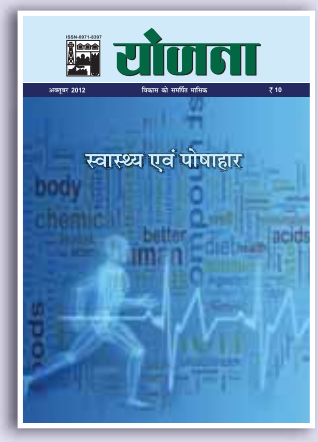

आपकी राय

जागरुकता का अभाव

योजना का स्वास्थ्य एवं पोषाहार पर केंद्रित अक्टूबर 2012 अंक अच्छा लगा परंतु इसमें बहुत कुछ और भी शामिल किया जाना चाहिए था। विगत वर्षों में सरकार ने इस क्षेत्र में कई सराहनीय कार्य किए हैं फिर भी अज्ञानता और जागरुकता के अभाव में योजनाओं का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। जेनेरिक दवाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी लोगों के दिमाग में यह धारणा बनी हुई है कि सस्ती दवाओं से इलाज में समय लगता है। राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त औषधि वितरण कर एक मिसाल कायम की है, किंतु डॉक्टरों में इसके प्रति सकारात्मक नज़रिया देखने को नहीं मिल रहा। मरीज और डॉक्टरों के रिश्तों को मानवता के आधार पर देखना ज़रूरी है। स्वास्थ्य एवं पोषाहार का सीधा संबंध जनसंख्या और शिक्षा से है जिनमें व्यापक सुधार की गुंजाइश है। पोषाहार तो बहुत दूर की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव है। आजकल बाज़ार में कई कंपनियां बेहतर पोषण के लिए महंगी दवाओं को सप्लीमेंट के तौर पर प्रमोट कर रही हैं जिस पर निगरानी की आवश्यकता है।

सुरेन्द्र भास्कर
सीकर, राजस्थान

स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यावसायीकरण

काफी लंबे समय से मैं *योजना* पत्रिका पढ़ रहा हूं किंतु यह प्रथम पत्र है। *योजना* के अक्टूबर अंक में विद्वान लेखक श्री सरोज कुमार वर्मा द्वारा लिखित भगवान महावीर और गांधीजी के तुलनात्मक समानताओं-असमानताओं से भरे लेख ने सर्वाधिक विचलित किया। यह लेख मेरे अंदर अनेक प्रश्न छोड़ गया। इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले, कुछ अनुत्तरित ही रहें।

डॉ. ए.के. अरुण का लेख भी बहुत अच्छा व सच के क़रीब लगा। आज मनुष्य का स्वास्थ्य एवं पोषाहार पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार के शिकंजे में है। विद्वान अनुसंधानकर्ता कालिनटज अपनी पुस्तक द *फेमीन बिजनेस* में उदाहरण सहित इसका प्रमाण बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। 'ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूब्ड न्यूट्रीशन संगठन' (गेन) संसार के हर राष्ट्र में फैला है। स्वास्थ्य एवं पोषाहार से संबंधित इस लेख को पढ़ने के बाद यह विश्वास और पुख्ता होता है कि इसी प्रकार के उद्योगपति ही अप्रत्यक्ष रूप से सरकारें भी चला रहे हैं।

आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान बहुत आगे है किंतु क्या हम सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रहे हैं? क्या डॉ. पेशे के अनुरूप कार्य कर रहे हैं?

आज हर क्षेत्र का व्यावसायीकरण हो चुका है। अमूल्यवान वस्तुएं भी मूल्यवान हो गई हैं। आज धनी लोग दूसरे ग्रहों पर पानी तलाश कर वहां अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। आज हम बहुत तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं किंतु किन मूल्यों पर?

लेखिका ताप्ती दत्ता का लेख भी प्रशंसनीय है।

नवीन गुप्ता
मौरीपाड़ा, मेरठ

भारत में स्वास्थ्य और पोषाहार

अक्टूबर अंक पढ़ा। अंक के कवर-II पर छपा ''भारत का सौवां अंतरिक्ष मिशन सफल'' काफी ज्ञानवर्द्धक लगा। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। इसके बाद से हम लगातार अंतरिक्ष में अपने यान भेजते रहे हैं जिनकी संख्या आज सौ तक पहुंच गई है।

संपादकीय काफी उपयोगी लगा। इसमें स्वास्थ्य से संबद्ध हर पहलू को छुआ गया है। भारत के विविध स्वास्थ्य क्षेत्र में न केवल आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं, बल्कि होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति जैसी पारंपरिक पद्धतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। संचारी रोग भारत की प्रमुख समस्या बनी हुई हैं। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न वर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एक जैसी नहीं हैं। देश में न केवल स्वास्थ्य

सुविधाएं जैसे– अस्पताल, चिकित्सक और नर्सें अपर्याप्त हैं, बल्कि कुशल चिकित्सकों का तो काफी अभाव है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में सरकार द्वारा व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की आवश्यकता स्वीकार की गई। संचारी रोग और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में सुधार पर अधिक बल दिया गया है।

हाल के वर्षों में संचारी रोगों से होने वाली मौतों में कमी आने से लोगों की औसत आयु में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लोगों की जीवन प्रत्याक्षा भी बढ़ी है। इसमें प्रमुख हैं– एड्स। भारत में एचआईवी का पहला मामला 1982 में मुंबई में सामने आया था। उसी वर्ष चेन्नई में भी एड्स के मामले सामने आए। मणिपुर में 1986 में एचआईवी का ऐसा मामला प्रकाश में आया जो इंजेक्शन से ड्रग्स का सेवन किए जाने से संक्रमित हुआ था। देश में 23 लाख 9 हज़ार लोग एड्स से ग्रसित हैं। इनमें 39 प्रतिशत महिलाएं और लगभग 4 प्रतिशत बच्चे शामिल हैं। वैसे तो सरकार एचआईवी और एड्स से बचाव और निवारण के लिए जनजागृति और निवारण अभियान चलाती है। इस दिशा में, 1992 में सरकार ने एचआईवी के फैलने से रोकने और बचाव के लिए 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन' (नैको) का गठन किया। आज सरकार के प्रयास से इस क्षेत्र में काफी सफलता मिली है। अप्रैल 2005 में भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों की कम क़ीमत पर समान रूप से स्वास्थ्य उपलब्ध कराने से की गई। यह मिशन विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या को दूर करने के एक नीतिगत उपाय के तौर पर शुरू किया गया।

पोषाहार मानव विकास का आधार है और सरकार ने कुपोषण के ख़िलाफ़ लड़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्य मुद्दा है महिलाओं और बच्चों के कुपोषण की समस्या को दूर करना। औरतों की कमज़ोर सेहत की वज़हों में कुपोषण महत्वपूर्ण है। पंजाब जैसे समृद्ध प्रदेश में लड़कियों में कुपोषण का प्रतिशत लड़कों से ज़्यादा है। भारत में ग्रामीण लड़कों की तुलना में ग्रामीण लड़कियां 52 प्रतिशत ज़्यादा कुपोषित हैं। आज पोषाहार के अभाव में स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। लेखक शैलेश चंद्रा, सी.पी. सिंह, ताप्ती दत्ता, ए.के. अरुण एवं अजय कुमार सिंह के लेख काफी ज्ञानवर्द्धक हैं।

शशि शेखर श्रीवास्तव, रवि रंजन श्रीवास्तव,
छपरा, बिहार

गांवों तक नहीं पहुंची स्वास्थ्य सुविधाएं

योजना के अक्टूबर 2012 अंक में स्वास्थ्य एवं पोषाहार विषय पर लेख पढ़ने को मिला। अंक में बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर गोविंद शर्मा जी का आलेख पढ़ा। वर्तमान में बिहार तरक्क़ी कर रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि बिहार में पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं। जहां तक ग्रामीण इलाक़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है तो अभी भी बिहार का कई क्षेत्र ऐसा है जहां स्वास्थ्य योजनाएं नहीं पहुंच सकी हैं। जबकि शहरों की अपेक्षा अधिकांश लोग गांवों से आते हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि जो भी स्वास्थ्य योजनाएं लागू हों वह गांवों में लागू होनी चाहिए। प्राय: देखा जाता है कि गांवों तक योजनाओं के लाभ पहुंचने से पहले ही उसकी राशि गटक ली जाती हैं। आज भी राज्य के सुदूर इलाक़ों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

हां, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जितनी आबादी आज सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ी हैं उतनी कभी देखने को नहीं मिली। देश के महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने विकास को गांवों से शुरू करने की बात कही थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे कर्मचारी एवं पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक करें।

सत्य प्रकाश
मीरगंज, गोपालगंज, बिहार

स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम पर्वतीय क्षेत्र

योजना का अक्टूबर अंक पढ़ा, अच्छा लगा। लेख 'भारत का स्वास्थ्य : मुद्दे और चुनौतियां, में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई है। कम उम्र में विवाह के कारण मां बनने के उपरांत किशोरियों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है एवं मातृ और शिशु मृत्युदर के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। लेख 'भारत में एचआईवी और एड्स के विरुद्ध कार्रवाई' में हमारे देश में एचआईवी एड्स के ख़िलाफ़ किए गए उपायों और इंतजामों की जानकारी दी गई है। साथ ही देश में इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या तथा सरकार के प्रयासों से इन मामलों में आई कमी के बारे में भी बताया गया है।

लेख 'ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण' में ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें ग्रामीण महिलाओं में कुपोषण के कारण उन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। साथ ही सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा है।

'स्वास्थ्य बिहार मुहिम से बढ़ रही हैं स्वास्थ्य सुविधाएं' लेख में बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में एनआरएचएम के सहयोग से किए गए स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। 'अनमोल जीवन की रक्षा' लेख से केरल में 108 एंबुलेंस सेवा के उत्कृष्ट कार्यों और सफलता की जानकारी मिली। हमारे देश में आज भी कितने लोग भूखे सोने को मज़बूर हैं। ग़रीबी के चलते कुपोषण की समस्या बढ़ती जा रही है। देश में बढ़ती महंगाई ने तो ग़रीबों के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर दी हैं। लाखों टन अनाज हर वर्ष सड़ जाता है परंतु ग़रीबों को बांटने से इंकार कर दिया जाता है। जितना अनाज हर वर्ष सड़ जाता है उतने अनाज से सैकड़ों लोग अपना पेट भर सकते हैं। परंतु अनाज की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता क़दम नहीं उठाए जाते। सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरबों रुपये ख़र्च किए जाते हैं। काफी हद तक सुधार भी हुए हैं। लेकिन अब भी देश के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा से महरूम हैं। ग्रामीणों को पैदल मीलों चलकर स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। अच्छे डॉक्टरों की भारी कमी है। पहाड़ों के कई अस्पताल सिर्फ़ रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं और पौड़ी ज़िले में भी जिला चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालय व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। अगर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के लिए प्रयास किए जाएं तो लाखों ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, जो अभी इससे महरूम हैं। वैसे तो उत्तराखंड में 108 सेवा के शुरू होने से काफी लाभ मिला है तथा कुछ नये स्वास्थ्य केंद्र भी खुले हैं। परंतु फिर भी दुर्गम क्षेत्रों की स्थिति

अभी भी दयनीय बनी हुई है।

अंक में 'स्वास्थ्य, पोषण और आयुर्वेद', 'बाज़ार की गिरफ़्त में पोषाहार और स्वास्थ्य' एवं 'कागज़ उत्पादन प्रक्रिया का पर्यावरण पर प्रभाव' आलेख काफी अच्छे व जानकारी भरे हैं।

महेन्द्र प्रताप सिंह
मेहरागांव, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

पत्रिका को साप्ताहिक करें

योजना के बारे में मुझे मेरे एक मित्र से पता चला जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। यह मेरा प्रथम अंक था और मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे मैंने एक ही बैठक में पूरी पत्रिका पढ़ ली।

सचमुच इस पत्रिका ने मुझे न केवल भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था (विशेषतया महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठजनों) जैसे ज्वलंत मुद्दों की यथास्थिति से परिचित करवाया बल्कि विभिन्न राज्यों का उदाहरण देकर एक तरीक़े से भारत भ्रमण ही करवा दिया। यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि केरल भारत का जापान है।

पत्रिका में प्रत्येक लेख के अंत में लेखकों का परिचय देना मेरे दिल को छू गया। लेखकों में मैं श्री भारत भूषण जी, डॉ. अरुण जी और सरोज जी से काफी प्रभावित हूं, जिन्होंने मेरे ज्ञानचक्षु खोलने में मेरी मदद की।

मैं पत्रिका पढ़कर इतना उत्साहित हूं कि आप से एक विनती करना चाहता हूं कि या तो इसमें पृष्ठों की संख्या बढ़ा दें या फिर इसे मासिक से साप्ताहिक कर दें क्योंकि मैं एक माह इंतजार नहीं कर सकता।

राजेंद्र चौधरी
आईआईटी, खड़गपुर

गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं

स्वास्थ्य और पोषाहार पर केंद्रित अक्तूबर अंक पढ़ा। अंक में शामिल सभी लेखों से अच्छी जानकारी मिली। अंक खोलते ही सबसे पहले नज़र 'भारत के सौवें अंतरिक्ष मिशन' की सफलता पर पड़ी। वास्तव में देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ताप्ती दत्ता ने अपने आलेख में एचआईवी और एड्स के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं। भारत में एचआईवी का पहला मामला 1982 में मुंबई में सामने आया था। उस वर्ष चेन्नई में भी एड्स के एक मामले का पता चला था। एक अनुमान के अनुसार भारत में 23 लाख 9 हज़ार लोग एचआईवी से ग्रसित हैं। इनमें 39 प्रतिशत महिलाएं और 3.5 प्रतिशत 15 वर्ष से कम उम्र के हैं।

सरकार ने इस बीमारी के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के लिए 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन' का गठन 1992 में किया। अस्तित्व में आने के बाद से ही नैको की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एचआईवी के संक्रमण और निवारण की जानकारी शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में कम पाई जाती हैं, जो एक चिंता का विषय है। इसके लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने की ज़रूरत है। गांधी जयंती पर विशेष में, सरोज कुमार वर्मा ने अपने आलेख में महावीर और गांधी के विषय में अच्छी जानकारी दी। अहिंसा महावीर और महात्मा गांधी का रामबाण था। इनके विचार आज भी प्रासांगिक हैं। हमें उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए।

'मंथन' में विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया लेख सफलता के यथार्थ को समझाता नज़र आया। वास्तव में जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारण अति आवश्यक हैं। अनुशासन, कड़ी मेहनत, मज़बूत इरादे और दूरदर्शिता ऐसे चार शब्द हैं जो सफल जीवन हेतु ज़रूरी हैं। नियमित स्तंभ 'क्या आप जानते हैं' से ज्ञानोपयोगी जानकारी मिली। लेखिका शैलजा सी.पी. सिंह, लेखक ए.के. अरुण, अजय कुमार सिंह एवं भारत भूषण सहित सभी लेखकों के लेख अच्छे और ज्ञानोपयोगी लगें।

अमित कुमार गुप्ता
रामपुर नौसहन, हाजीपुर, वैशाली, बिहार
ई-मेल : kramitkumar2@gmail.com

योजना
आगामी अंक

जनवरी 2013

योजना का जनवरी 2013 अंक **सुशासन** पर विशेषांक होगा।
विशेषांक का मूल्य होगा मात्र ₹ 20।

फरवरी 2013

योजना का फरवरी 2013 अंक **ग्राम सभाओं का सशक्तीकरण** पर केंद्रित होगा।
इस अंक का मूल्य होगा मात्र ₹ 10।

संपादकीय

आर्थिक विकास किसी भी देश अथवा समाज की प्रगति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत स्वतंत्रता के बाद से ही तीव्र औद्योगीकरण, उदार आर्थिक नीतियों और नये कानूनों के माध्यम से, समूचे देश में समान आर्थिक विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के संतुलित विकास के प्रयास निरंतर जारी हैं।

परंतु देश का संतुलित विकास व्यापक क्षेत्रवाद और अन्य संस्थागत कारणों से प्रभावित हुआ है। परिणामस्वरूप भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा विकास की दर साधारण रही है। उग्रवाद, बढ़ती बेरोज़गारी, युवाओं में बेचैनी जैसे अन्य अनेक कारण रहे हैं जिनसे सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा मिला है। इस क्षेत्र के संपोषणीय विकास में ये तत्व बाधक रहे हैं। ये कुछ खामियां ऐसी हैं जिनसे आपसी वैमनस्य और संघर्ष पनपता है। आज यह क्षेत्र आंदोलनों और समस्याओं का ऐसा घर बन चुका है जिससे विभिन्न बहुप्रजातीय समूहों का शांतिपूर्ण अस्तित्व ख़तरे में पड़ गया है। इस जटिल परिस्थिति में विकास और उसके प्रभाव का प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के धनराशि के आवंटन में वृद्धि की है, परंतु क्षेत्र में आर्थिक विकास से जुड़ी अनेक बाधाएं बनी हुई हैं। नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी अमल का अभाव है, अलगाव, हताशा और परेशानी की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। पूर्वोत्तर के लोगों में अलगाव की भावना को समझने और समाधान के लिए संवाद और गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

योजना पत्रिका पिछले सात वर्षों से प्रतिवर्ष दिसंबर अंक पूर्वोत्तर को समर्पित करती रही है। इस वर्ष हमने शृंखला में नगालैंड को लेकर इस क्षेत्र के आठों राज्यों को अपनी विषय-वस्तु बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है।

16,579 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले नगालैंड में 11 प्रशासकीय जिले हैं। पूर्व में इसकी सीमा म्यामां से लगी हुई है, जबकि पश्चिम और उत्तर में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से और दक्षिण में मणिपुर से यह राज्य घिरा हुआ है। लगभग पूरा प्रदेश पर्वतीय है। राज्य की जनसंख्या 19,80,602 है जोकि देश की कुल जनसंख्या का 0.2 प्रतिशत है। यहां की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है। राज्य के 80 प्रतिशत से अधिक लोग साक्षर हैं।

वर्तमान मूल्यों के अनुसार 2007-08 में नगालैंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी रुपये 8,891.8 करोड़ था। 2004-05 और 2007-08 के बीच राज्य की जीएसडीपी मिश्रित की वार्षिक विकास दर 13.1 प्रतिशत रही। मौजूदा मूल्यों के अनुसार निवल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी 2007-08 में ₹ 8146.1 करोड़ थी। नगालैंड की एनएसडीपी में 2004-05 और 2007-08 के बीच 12.8 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक विकास दर से वृद्धि हुई। राज्य की प्रतिव्यक्ति आय 2007-08 में ₹ 32,229 थी, जबकि 2004-05 में प्रतिव्यक्ति आय कुल ₹ 25,842 थी। 2004-05 और 2007-08 में जीएसडीपी 7.6 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक विकास दर से बढ़ी।

राज्य का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) देश के अन्य राज्य के मुक़ाबले ऊंचा रहा है। 1996 और 2006 में एचडीआई का आंकड़ा 8 था जबकि जीडीआई में इसका स्थान 1996 के 7 से बढ़कर 2006 में 8 पर पहुंच गया। मूलत: कृषि अर्थव्यवस्था वाले राज्य (70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं) में कृषि ने 2011-12 में जीएसडीपी में 18.1 प्रतिशत का योगदान किया है।

नगालैंड में 16 विभिन्न जनजातियां और अनेक उप-जनजातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट पोषाक और संस्कृति है। नगा लोगों के रीति-रिवाज़ और परंपराएं कृषि चक्र और त्योहारों के साथ गुंथी हुई हैं। बांस, बागवानी, रेशमपालन, खनिज, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा पर्यटन यहां के प्रमुख उद्योग है। नगालैंड औद्योगिक विकास निगम राज्य में औद्योगिक संरचना का उत्तरदायी है।

अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के कारण राज्य के विकास को सही दिशा और गति नहीं मिल सकी है। विभिन्न क्षेत्रों की तस्वीर मिली-जुली है। जहां विद्युत, दूरसंचार और नागरिक विमानन के क्षेत्र में यह राज्य देश के अन्य भागों के समकक्ष बैठता है, वहीं रेल और सड़क परिवहन के मामले में स्थिति संतोषजनक नहीं है। क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका है। क्षेत्र के विकास के लिए निजी क्षेत्र की संभावनाओं के उपयोग के रास्ते तलाशना भविष्य की प्रमुख चुनौती है। मिलजुल कर निरंतर और सतत नीतिगत उपायों से ही राज्य के विकास को सही दिशा दी जा सकती है। सरकारी और निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी से निकट भविष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र को जीवंत और समृद्ध क्षेत्र बनाया जा सकता है।

योजना के इस अंक में क्षेत्र के विशेषकर नगालैंड के विकास के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विशेषज्ञों के आलेख दिए गए हैं, जिनसे इस क्षेत्र को समझने में पाठकों को कुछ सुविधा होगी।

योजना के सभी पाठकों को नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं। ❑

टाटा मैक्ग्रॉ-हिल

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2013

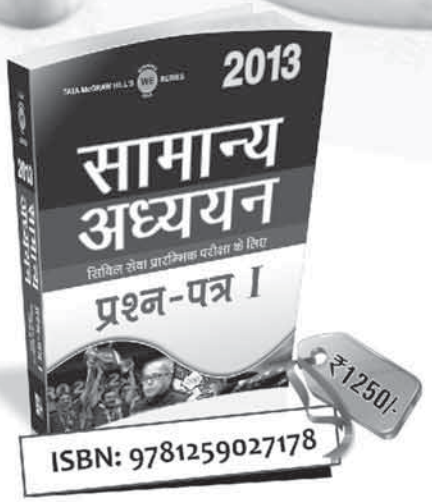

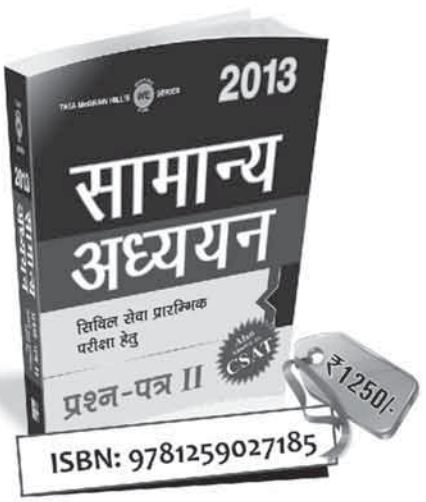

अन्य उपयोगी पुस्तकें

9780070678880
₹ 365/-

9780071074810
₹ 299/-

9780071329514
₹ 350/-

9781259003691
₹ 225/-

9780071329477
₹ 365/-

9780071074957
₹ 325/-

9781259003752
₹ 250/-

Mc Graw Hill Education

टाटा मैक्ग्रॉ-हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड

बी-4, सैक्टर-63, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 301

फोन: +91-120-4383502/4383503, फैक्स: +91-120-4383401, वैबसाइट: www.tatamcgrawhill.com

उत्तर भारत: नवीन बग्गा (naveen_bagga@mcgraw-hill.com); दिल्ली/हरियाणा/पंजाब/चंडीगढ़/जम्मू-कश्मीर/हिमाचल प्रदेश/राजस्थान: आशीष पराशर (09717005237); दिल्ली/राजस्थान: मनीष वार्शने (09560450527); मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़: प्रकाश शर्मा (09907486734); उत्तरप्रदेश/उतराखंड: जगदीश ध्यानी (09670878655)

पूर्वी भारत: झारखंड/उड़ीसा: सतीश कुमार सिंह (09973944225); बिहार: रणविजय कुमार (08809561425)

पश्चिम: महाराष्ट्र/गोवा/गुजरात: जूनियस रॉडिक्स (09833054319); गुजरात/महाराष्ट्र: दिलीप चौरसिया (09769429202)

विक्रय एवं प्रकाशन हेतु जानकारी हेतु लिखें test_prep@mcgraw-hill.com

For online purchase of TMH products please log on to www.tmhshop.com

SHIPPING TMH ₹ 500/-

YH-199/2012

पूर्वोत्तर

निरंतरता- पूर्वोत्तर की बुद्धिमत्ता

● संजीव काकोती

आजकल जब पूर्वोत्तर के बारे में कोई चर्चा होती है तो आमतौर पर इस क्षेत्र को पिछड़ा और अविकसित बताया जाता है। यह बात सच भी हो सकती है बशर्ते कि मूल्यांकन का आधार विकास के उन मापदंडों को बनाया जाए जो आजकल अपनाएं जा रहे हैं। लेकिन अगर चर्चा का दायरा बढ़ाकर इसमें प्रसन्नता के संसूचक और जीवन की गुणवत्ता जैसी अवधारणों को शामिल कर लिया जाए तो समीकरण बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए भूटान के विकास मूल्यांकन में वहां के प्रसन्नता संसूचकों को शामिल किया गया तो परिणाम में बड़ा परिवर्तन आ गया। अब प्रसन्नता संसूचक उस विकास मूल्यांकन के अभिन्न अंग बन गए हैं, जिसे सारी दुनिया अपना रही है और अब धीरे-धीरे ये विकास परिचर्चा के आधार स्तंभ बनते जा रहे हैं।

अब जब कि प्रसन्नता विकास को मापने का एक मापदंड बन चुकी है, इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दोनों अन्य घटक भी विकास के अर्थशास्त्र में छोटे लेकिन प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। ये दोनों घटक हैं - जीवन की गुणवत्ता और निरंतरता। जहां निरंतरता देशों और कार्पोरेशनों द्वारा ध्यान देने की प्रमुख घटक बन गई है, खासतौर से ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किए जाने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे खास मद मान लिया है। जीवन की गुणवत्ता पर चर्चा अभी पूरी दुनिया में शुरू नहीं हुई हैं और इसे प्रसन्नता के संसूचकों के रूप में नहीं माना गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चा के दायरे में जीवन की गुणवत्ता के घटक को लाना ज़रूरी है।

निरंतरता की अवधारणा का आधुनिक और रोचक पहलू यह है कि निरंतरता की अवधारणाएं बराबर बढ़ रही हैं और प्राचीन सभ्यताओं की उत्पादन और वितरण व्यवस्थाएं दार्शनिक आधार प्राप्त कर रही हैं। ये उन बातों पर आधारित हैं, जिन्हें आजकल निरंतरता की सर्वश्रेष्ठ परंपरा माना जाता है। इसीलिए यह अवधारणा बढ़ रही है कि प्राचीन विचारों और परंपराओं में निहित बुद्धिमत्ता से सीख ली जाए, क्योंकि यह समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। निरंतरता की चर्चा में पूर्वोत्तर भारत की परंपराएं महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं।

इस क्षेत्र में अनेक समुदाय, क़बीले और उप-क़बीले रहते आए हैं। पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र अनेक समुदायों से भरा-पुरा है, जिन्हें आदिवासी नाम दिया गया है। इन समुदायों और इनके धर्मों को पूरे विश्व में प्राचीन ज्ञान और बुद्धिमत्ता का कोष माना गया है। यह महत्वपूर्ण है कि आदिवासी समुदायों के प्राधान्य के बावजूद यहां ज्ञान जीवंत परंपराओं में समाहित है। इस प्रकार की सूचना व्यवस्था आधुनिक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक हो सकती है। यह बहुत रोचक होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ परंपराओं की समीक्षा की जाए और देखा जाए कि उनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं।

खासी समुदाय की वनों को पवित्र मानने की परंपरा

इसमें कोई शक नहीं कि पर्यावरण की निरंतरता बनाए रखना प्राचीन बुद्धिमत्ता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में एक है। इसी सिलसिले में खासी समुदाय की वनों को पवित्र मानने की परंपरा का उल्लेख किया जा सकता है। दुनिया के अन्य बहुत से समुदायों की तरह इस क्षेत्र में भी वनों, नदियों और वृक्षों को देवताओं और आत्माओं की निवास स्थली माना जाता रहा है। यही कारण है कि लोग इन्हें आदर की दृष्टि से देखते रहे हैं, उनकी पूजा करते रहे हैं और उनका संरक्षण करते रहे हैं। इसी विश्वास के अंतर्गत किसी वन से एक पत्ती तोड़ना या उसे बाहर ले जाना वर्जित माना जाता रहा है। विश्वास किया जाता है कि अगर इस बात की अवहेलना की गई तो दंड स्वरूप बीमारियां आएंगी और अगर फिर भी पश्चाताप के रूप में कुछ निर्धारित अनुष्ठान न किए गए तो यह बात घातक सिद्ध हो सकती है। निर्धारित अनुष्ठानों और बलि के जरिये वन में रहने वाली आत्माओं को प्रसन्न किया जाता था और इसके बदले ये आत्माएं लोगों का कल्याण सुनिश्चित करती थीं।

आज के औद्योगिक युग में इस प्रकार के विश्वास अक्सर अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिए जाते हैं और आधुनिकता के प्रभाव में इस प्रकार की विचारधारा अब विलुप्त हो रही हैं। अब जबकि जीवन से इस प्रकार के विश्वास गायब होते जा रहे हैं, मानव सभ्यता की निरंतरता को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। एक उदाहरण दिया जा सकता है जो मेघालय में पवित्र वनों के बारे में है। अभी बहुत दिन नहीं हुए कि राज्य सरकार की तरफ से अनेक वनों को पवित्र घोषित कर दिया गया। असल में देखा जाए तो शिलांग नाम भी एक पहाड़ी यू लुम शिलोंग से निकला है और आज भी शिलांग चोटी मौजूद है। यही वह वन था, जहां इस क्षेत्र के प्रधान देवता का निवास था और देवता का नाम था - यू लेई शिलोंग। लैटकोर वन श्रृंखला जहां ऐसे वन मौजूद थे, आज महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र माना जाता है, जहां से अनेक निरंतर बहने वाले स्रोतों को पानी प्राप्त होता है और इन्हीं स्रोतों से पूरे साल शिलांग शहर के अधिकांश मोहल्लों को पानी मिलता है। आज ये वन काटे जा रहे हैं, जिससे पहाड़ स्थित कई सोते सूख चुके हैं और पानी की दुर्लभता शहर में आम बात हो गई है।

ऐसे भू-दृश्य में जहां किसी समय अनेक पवित्र वन मौजूद होते थे, अब उनमें से सिर्फ़ मुट्ठीभर ही बाक़ी बचे हैं। शेष बचे हुए वनों में एक वन है जो माफलांग के आसपास स्थित है। यह शिलांग से 25 किलोमीटर दूर है और इसका क्षेत्रफल 76 एकड़ से ज़्यादा होगा। इसे पर्यावरण का आधार माना जाता है और विश्वास किया जाता है कि यह वन क्षेत्र लगभग 500 वर्षों से ज्यों का त्यों रहा है, इससे किसी ने छेड़छाड़ नहीं की और यहां तरह-तरह की वनस्पतियां और जीव-जंतु रहते हैं। एकमात्र कारण यह है जिसके चलते यह वन बचा रहा वह है कि इसे पवित्र माना गया और लोगों का विश्वास था कि यहां के देवता उनकी रक्षा करते हैं। संभवत: यह महज संयोग नहीं होगा कि शिलांग की जलापूर्ति की बढ़ती ज़रूरतें पास ही स्थित माफलांग डैम से पूरी की जा रही हैं।

माफलांग के पवित्र वन के आसपास जो वनस्पतियां और जीव-जंतु फल-फूल रहे हैं उन्हें अभी तक ठीक से लेखबद्ध नहीं किया जा सका। यह इलाक़ा अनेक प्रकार की वनस्पतियों का क्षेत्र है और हाल ही में पाया गया है कि माफलांग वन क्षेत्र में टैक्सस बकाटा जैसे अनेक दुर्लभ वृक्ष पाए जाते हैं। इस वृक्ष का महत्व चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ गया है क्योंकि इसका इस्तेमाल कैंसर की दवा बनाने में किया जाता है। रोचक बात यह है कि खासी परंपरा में इस वृक्ष का बड़ा सम्मान रहा है और इसे क्शेष ब्लेई कहा जाता था, जिसका मतलब है दैवी वृक्ष अथवा पवित्र वृक्ष। इसे यह नाम क्यों दिया गया? क्या प्राचीन लोगों को इसके चिकित्सा संबंधी गुण की जानकारी थी? ये प्रश्न हमें रोचक संभावनाओं की तरफ ले जाते हैं।

अपातनी कृषि: अपातनी अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला एक प्रमुख कबीला है। ये लोग प्रमुखत: लोवर सुबनसिरी जिले में रहते हैं और मिली-जुली खेती करने की कला में निष्णात हैं। इनके धान के सीढ़ीनुमा खेत मछली पैदा करने के भी काम आते है, जिसके लिए वे किनारे-किनारे तटबंध बनाते हैं जिनमें पानी ठहरता है। इन्हीं खेतों में वे एक प्रकार की मक्के की खेती करते हैं, जिसके पौधे मिट्टी कटाव को रोकते हैं और उनके आसपास

खर-पतवार नहीं जमते। यही नहीं, इन पौधों से मिलने वाली मक्का से कई प्रकार की स्थानीय शराब बनाई जाती है। आमतौर पर छोटी मछलियां धान के खेतों में छोड़ दी जाती हैं और ये मछलियां छोटे-छोटे पौधे और हानिकारक कीटों को खा जाती हैं। ये मछलियां ऐसे तत्व भी छोड़ती है जो मिट्टी के लिए लाभदायक होते है और धान की पैदावार में सहायक बनते हैं। ये मछलियां धान की फ़सल के साथ ही बड़ी हो जाती है और कभी-कभी तो साल में दो बार मछलियों को इकट्ठा कर लिया जाता है।

इसके अलावा अपातनी खेती के जरिये उगाए जाने वाले चावल के पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। इन खेतों में धान की कटाई के बाद पौधों के टुकड़े छोड़ दिए जाते है जो सड़कर कंपोष्ट खाद बन जाते हैं। धान के पुआल को जलाकर खेतों में बिखेर दिया जाता है जिससे मिट्टी में खनिज तत्व बढ़ जाते हैं। पशुओं के गोबर को भी अतिरिक्त खाद के रूप में डाला जाता है। धान के पुआल और रसोई घर के क़चरे से भी खाद बनाई जाती है। अपातनी गांव में यह भी एक सामान्य परंपरा है कि वे अपने गांव के मल को खेतों में डाल देते हैं। गांव अधिकांशत: ऊंचाई पर स्थित हैं जिससे मल खेतों की तरफ निर्देशित करने में आसानी होती है। इससे खेती और मछली की पैदावार बढ़ जाती है। परंपरागत बुद्धिमत्ता का एक और रोचक पहलू है-अपातनी लोगों का वनों के प्रति दृष्टिकोण। इस समुदाय का विश्वास है कि खेती की पैदावार पानी की सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता पर निर्भर है। वह ये भी मानते हैं कि उनके सीढ़ीनुमा खेतों की तरफ बहने वाला पानी उन झरनों और स्रोतों से आता है जो पहाड़ पर स्थित है और इस पानी को आने के लिए जलग्रहण क्षेत्र को बनाए रखना ज़रूरी है। इसी कारण अपातनी लोगों में यह सामाजिक परंपरा विकसित हो गई कि कीइरा अथवा कस्टापनोपसिस जैसे पेड़ों को न काटा जाए क्योंकि ये पानी को रोकते हैं और यह अनोखा गुण इनकी जड़ों में विद्यमान है। यही नहीं पेड़ काटने के बारे में इस समुदाय में अनेक वर्जनाएं प्रचलित हैं और पेड़ काटने पर दंड दिया जाता है, जिससे पेड़ों, वनों और जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वास्तव में अपातनी परंपराओं से भू और जल प्रबंधन की परंपरागत बुद्धिमत्ता ज़ाहिर होती है और आज के युग में ये बातें अनुकरणीय बन जाती हैं।

यह भी ध्यान देने की बात है कि अपातनी परंपराओं जैसी अनोखी और समान परंपराएं अन्य समुदायों में भी मिलती हैं। उदाहरण के लिए नगालैंड के जाबो लोगों की परंपरा है, जो खेती के क्षेत्र में प्रचलित अपातनी लोगों की परंपराओं से मिलती-जुलती है। यहां भी कृषि, मछलीपालन और वानिकी परंपरागत बुद्धिमत्ता पर आधारित है और यह बुद्धिमत्ता समय की कसौटी पर खरी उतरी है।

अंगमी लोगों में प्रचलित नाइट्रोजन फिक्सिंग तकनीक

अंगमी नगालैंड में बसने वाला एक प्रमुख कबीला है। कोहिमा के पास स्थित खोनोमा गांव इस क्षेत्र का सबसे पुराना आबादी वाला गांव माना जाता है। खोनोमा के आस-पास की पहाड़ियों पर ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सैंकड़ों वर्ष पुराने है। इनमें एल्डर के वृक्ष हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमता के लिए कृषि वैज्ञानिकों में लोकप्रिय है। अंगामी कबीले में एल्डर वृक्ष को खेती के लिए महत्वपूर्ण मानने की प्रथा रही है। सदियों से वे इसकी रक्षा करते रहे हैं। असलियत यह है कि उन्होंने एल्डर पर आधारित एक कृषि व्यवस्था विकसित कर ली है, जिसे झूम कहा जाता है। इससे उत्पादकता खासी बढ़ जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जहां नीचे के खर-पतवार और वनस्पतियां साफ़ कर दी जाती हैं और उन्हें जला दिया जाता है ताकि खेती के लिए ज़मीन खाली हो जाए, लेकिन क्षेत्र में उगने वाले एल्डर वृक्षों को नहीं छुआ जाता। एल्डर के पेड़ मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे खेती की अच्छी पैदावार सुनिश्चित हो जाती है। इस व्यवस्था के बारे में अध्ययनों से पता चला है कि ऐसी खेती के जरिये 57 तरह की फ़सलें उगाई जाती है, जो मुख्य फ़सल धान की खेती में सहायक होती हैं। धान की खेती सीढ़ीनुमा खेतों में भी की जाती है। देखा गया है कि चलायमान खेती की परंपरागत व्यवस्था में नौ वर्षों तक ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है और इस दौरान हर दो वर्ष बाद इन खेतों पर खेती की जाती है। दूसरे शब्दों में इससे परती जमीन 1:4 अनुपात में बनी रहती है। इस कृषि व्यवस्था में एल्डर वृक्षों का भी इस्तेमाल होता है और देखा गया है कि हर चार-पांच वर्षों के बाद खेतों की उत्पादकता बहाल हो जाती है। मिट्टी की उत्पादकता बढ़ने का कारण मुख्यत: एल्डर वृक्ष माना जाता है जो खेती के लिए लाभप्रद है।

अध्ययनों से पता चला है कि एल्डर वृक्ष एक खास प्रकार की वनस्पति शाखा का वृक्ष है जो ठंडी जलवायु में खासतौर से उत्तर के नम क्षेत्र में ज्यादा उगता है। यह आमतौर पर 800 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। महत्वपूर्ण है कि एल्डर वृक्ष को उगने के लिए बहुत उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। यही कारण है कि यह सामान्य से घटिया किस्म की ज़मीन पर भी उग आता है, जो आमतौर पर खेती के काबिल नहीं होती। वास्तव में ऐसी भूमि पर एल्डर को उगने देने से बहुत अच्छे नतीज़े दिखाई दिए हैं। एल्डर की जड़ों के कारण मिट्टी की उत्पादकता बढ़ जाती है और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। इस कारण ऐसी मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही, इस वृक्ष की शाखाओं से जो लकड़ी मिलती है उसके अनेक घरेलू उपयोग है, वह जलावन के काम आती है और इससे लकड़ी का कोयला भी बना लिया जाता है। इस वृक्ष की पकी हुई लकड़ी निर्माण के काम आती है और इससे फर्नीचर बनाए जाते हैं।

ऐसे समय में जब भारत के पूर्वी क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति शुरू करने की बातें चल रही है, यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि पहली हरित क्रांति पर्यावरण और स्वास्थ्य परिणामों से मुक्त नहीं थी। कीटनाशक रसायनों, उर्वरकों और भू-जल के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम सामने आए, जो आज स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। हमें गलतियों और अनुभवों से सीखने की ज़रूरत है, जिसे इस्तेमाल करते हुए हम निरंतर परंपराएं और नीतियां विकसित कर सकते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह कहने की ज़रूरत नहीं कि पूरा देश पूर्वोत्तर क्षेत्र की बुद्धिमत्ता और परंपरागत ज्ञान से लाभ उठा सकता है। ❑

(लेखक शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में निरंतरता और संचार पढ़ाते हैं।
ई-मेल : skakoty@gmail.com)

PATANJALI सिविल सेवा की तैयारी हेतु समर्पित भारत का विशेषज्ञ संस्थान I.A.S.

उनके लिए → जो सिविल सेवा की तैयारी प्रारम्भ कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो सुधार चाहते है।

CSAT

नि:शुल्क परिचर्चा के साथ बैच प्रारम्भ

16 नवम्बर (11:30 A.M.)

अन्तर स्पष्ट, विशिष्ट एवं प्रामाणिक है।

धर्मेन्द्र कुमार एवं विशेषज्ञ टीम

CSAT

'हमने जो पढ़ाया उसके समरूप प्रश्न आया'

अनेक जगहों पर सात महीनें CSAT पढकर भी नये तरीके से सात प्रश्न भी नहीं बनें

CSAT Test-Series

कुल 14 टेस्ट व्यापक विवेचना एवं सारगर्भित सामग्री के साथ

16 दिसम्बर (9:30 A.M.)

बैंकिंग एवं रेलवे आदि के प्रश्नों एवं सामग्री की सतही, हू-ब-हू प्रस्तुति नहीं, बल्कि उस स्तर का अध्यापन जिसकी अपेक्षा सिविल सेवा में की जाती है।

नीचे स्तर की सतही अप्रासंगिक सामग्री का अध्ययन करना और उन्हें पढ़कर, समझकर, आत्ममुग्ध होना अच्छी बात नहीं

(पिछले वर्ष एवं इस वर्ष के P.T. से सबक लें)

JAIPUR CENTRE

RAS मुख्य परीक्षा 2012

31, Satya Vihar, Patanjali Bhawan (Near New Vidhan Sabha)

(15, 50 एवं 200 शब्दों की व्यापक विवेचना) परीक्षा परिणाम के तत्काल बाद

CRASH COURSE (सामान्य अध्ययन, दर्शनशास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान)

Course Coordinator : SH. YASHVANT 9799821241, 0141-2741123

PATANJALI

202, IIIrd Floor, Bhandari House (above Post Office) Mukherjee Nagar, Delhi-9

Ph. : 011-32966281, 9810172345

YH-200/2012

पूर्वोत्तर

पूर्वोत्तर भारत का परिवहन ढांचा

● अरविंद कुमार सिंह

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पास विराट प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक संपन्नता है। वैसे तो पूर्वोत्तर के राज्यों का दायरा भारत के कुल क्षेत्र का 7.9 फीसदी ही बैठता है और इसकी 39 मिलियन आबादी देश की आबादी का महज 3.8 फीसदी ही बैठती है, लेकिन इन इलाक़ों का अपना विशेष महत्व है। यहां क़दम-क़दम पर पर्यटन स्थलों की भरमार है, वन्य जीव और समृद्ध हस्तशिल्प और धरोहरें हैं जो दुनियाभर के लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। चाय बागान, तेल, कोयला, खनन और वानिकी जैसी गतिविधियों के चलते यहां देश के अन्य हिस्सों के तमाम लोगों को दशकों से रोज़ी-रोटी मिलती रही है। यहां का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा है इस नाते यहां की अपनी सामरिक और रणनीतिक महत्ता है ही। लेकिन इन सबके बावजूद इन इलाक़ों का पिछड़ापन भी किसी से छिपा नहीं है। तभी भारत सरकार ने इसे विशेष महत्व देते हुए सितंबर 2001 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था जिसे 2004 में पूर्ण मंत्रालय का दर्ज़ा दे दिया गया। सरकार की मंशा है कि यह इलाक़ा राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो और यहां का पिछड़ापन दूर हो इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं।

बावजूद इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई स्तर के प्रयास करने की ज़रूरत है। बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ उग्रवाद की समस्या, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण स्वीकृति में लेट-लतीफ़ी के चलते यहां की तमाम विकास परियोजनाएं बाधित रहती हैं। इसी नाते पूर्वोत्तर के राज्य मुख्यतया सड़क परिवहन और भारत के और इलाक़ों की तुलना में जल परिवहन तंत्र पर ही निर्भर हैं। हाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने आठ राज्यों की 449 किमी लंबी 10 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 704 करोड़ रुपये है। इसी तरह पूर्वोत्तर दृष्टिकोण-2020 दस्तावेज़ के तहत रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी राजधानियों को वर्ष 2017 तक रेल मार्गों से जोड़ने की प्रतिबद्धता जतायी गई है। इस पर क़रीब 17,000 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे। इसी तरह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भी राष्ट्रीय जलमार्ग-2 को एक समर्पित माल ढुलाई गलियारा के रूप में प्रस्तावित किया है। इन सभी परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ रहा है।

सड़क परिवहन

पूर्वोत्तर भारत में वैसे तो क़रीब 85,000

किमी से अधिक सड़कों का जाल है लेकिन इनमें से अधिकतर कच्ची सड़कें ही हैं। पूर्वोत्तर की इन सड़कों में भी 35,000 किमी से अधिक असम प्रांत में और क़रीब 15,000 किमी सड़कें अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2,911 किमी है। इलाक़े की 11,672 किमी जटिल सड़कों का रखरखाव सीमा सड़क संगठन करता है। सीमा सड़क संगठन की ओर से 1,106 किमी की 13 सड़कों का निर्माण विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत और 1901 किमी की 30 सामरिक महत्व की सड़कों समेत कई और विकास कार्य किए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में विकास प्रयासों में गति लाने के मकसद से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नयी सड़कों के निर्माण के साथ कई विद्यमान सड़कों की मरम्मत तथा सुधार संबंधी कार्य अपने हाथ में लिया है साथ ही ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार की यह भी योजना है कि गंगटोक को छोड़कर सभी राज्यों की राजधानियों के साथ चार लेन सड़क संपर्क स्थापित हो जाए। साथ ही सरकार की योजना यह भी है कि यहां के 85 जिला मुख्यालयों पर भी कम से कम दो लेन सड़क सुविधा हो जाए। इससे पड़ोसी देशों जैसे- भूटान, म्यामां और बांग्लादेश में सीमा क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था में भी सुधार होगा। पूर्वोत्तर की सभी सड़क संबंधी परियोजनाओं पर क़रीब 70,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश अनुमानित है। इससे जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा वहीं आर्थिक गतिविधियों के विकास के साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलताएं मिलेंगी।

हाल में संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पूर्वोत्तर राज्यों के सड़कों की दशा पर असंतोष जताया और कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित परियोजनाएं दो से चार साल तक देरी से चल रही हैं। इस क्षेत्र की कठिन परिस्थितियां एक अलग समस्या है लिहाज़ा इस क्षेत्र के लिए विशेष दिशानिर्देश तथा समय से संसाधन प्रदान करने की ज़रूरत है। समिति के मुताबिक परियोजनाओं की लागत मानक राज्यवार स्थितियों के लिहाज़ से होनी चाहिए और भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और अन्य मंजूरियों के लिए यथाशीघ्र सिंगल विंडो सुविधा होनी चाहिए और परियोजनाओं में कार्यरत लोगों को उचित सुरक्षा देने के साथ अन्य सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।

इस अंचल के साथ एक दिक्क़त और भी है। विपरीत जलवायु और परिस्थितियों के कारण हर साल इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों समेत सभी तरह की सड़के बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। विभिन्न नगरों तथा गांवों से गुज़रनेवाले राजमार्गों के किनारे उचित ड्रेनेज प्रणाली न होने से सड़कों को नुक़सान होता है। इस इलाक़े में सड़क दुर्घटनाएं तेज़ी से बढ़ना भी चिंता का बड़ा कारण है।

पूर्वोत्तर इलाक़ों में पुलों की दशा भी चिंताजनक है। पूर्वोत्तर भारत और खासतौर पर असम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही लकड़ी के 41 पुल हैं। पूरे राज्य में पांच हज़ार लकड़ी के पुल हैं जिनकी लंबाई 1.48 लाख मीटर है। लेकिन ये पुल प्रकृति की मार झेलने में सक्षम नहीं है। असम लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए लकड़ी के पुलों की संख्या ही 500 से ऊपर है। लेकिन लकड़ी के इन पुलों से भारी वाहन ले जाना ज़ोखिमभरा काम है।

जल परिवहन तंत्र

देश के अन्य राज्यों से विपरीत अभी भी पूर्वोत्तर भारत में जल परिवहन लाखों नागरिकों के लिए जीवनरेखा का काम कर रहा है। हर साल इन इलाक़ों में बाढ़ के प्रकोप के दौरान जल परिवहन ही इनकी रक्षा करता है। क्योंकि और कोई साधन यहां बेकार साबित होते हैं। साथ ही असम के तीन हज़ार द्वीपों में 15 से 20 लाख की आबादी रहती है, जो अन्य हिस्सों में जाने के लिए मुख्यतया जल परिवहन पर ही निर्भर है।

पूर्वोत्तर में कई छोटी-बड़ी नदियों का जाल बिछा है और प्राचीन काल से ही ये नदियां माल व यात्री यातायात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। यहां 33 बड़ी नदियां हैं, जिसमें से नौवहन योग्य प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, बराक, बरीढ़ींग, कटकहल, सुबनश्री, दिहांग, कोलोंग, गंगाधर, कोलोडीन, पांछर, कपाली मानी जाती है। इन नदियों समेत बाक़ी अन्य नौवहन लायक नदियों की कुल लंबाई 4,191 किमी है। इससे साफ़ है कि पूर्वोत्तर में जल परिवहन की अभी भी असीम संभावनाएं हैं और इनके द्वारा माल परिवहन के साथ रात्रि नौका, नदी पोत विहार, जलक्रीड़ा और पर्यटन संबंधी तमाम गतिविधियों को गति दी जा सकती है।

कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज ने कुछ साल पहले अपने अध्ययन में पाया था कि जलमार्गों से पूर्वोत्तर इलाक़े में 13.74 लाख टन माल ढोया जा सकता है। इससे नामरूप के हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन से क़रीब 7,500 टन खाद हर महीने ढोयी जा सकती है साथ ही डिगबोई, नुमलीगढ़, गुवाहाटी तथा बोगाईगांव जैसी रिफायनरियां भी इसी इलाक़े में आती हैं। इनमें केवल डिगबोई के उत्पादों का उपयोग पूर्वोत्तर के लिए होता है, बाक़ी उत्पादों को पाइपलाइन, रेल या सड़क से भेजा जाता है। अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण और नुमलीगढ़ रिफायनरी की मदद से सिलाघाट पर विशेष फ्लोटिंग पीओएल टर्मिनल भी बनाया गया जिसकी मदद से निजी संचालक पीओएल टैंकरों से कोलकाता में माल भेज रहे हैं। इसी तरह इस अंचल से जूट, चाय और सीमेंट ढुलाई की भी काफी संभावनाएं हैं।

असम सरकार का अंतर्देशीय जलमार्ग निदेशालय देश के व्यवस्थित जलमार्गों के विकास में काफी अहम स्थान रखता है। इसकी स्थापना 1959 में केंद्र सरकार के गोखले समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर की गई थी। इसके अधीन जलमार्ग विकास, नौचालन का नियमन तथा अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित कार्मिकों के प्रशिक्षण जैसे कई काम हैं। लेकिन हाल के सालों में खासतौर पर नौकायन सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं और माल परिवहन की राह में भी कई बाधाएं हैं। फिर भी असम सरकार के कई जलयान फेरी सेवाएं दे रहे हैं और ब्रह्मपुत्र में 50 तथा बराक नदी पर 24 फेरी सेवाएं चलाई जाती हैं। साथ ही यहां से कोयला, उर्वरक, वनोत्पाद, कृषि उत्पादों और मशीनरी आदि की बड़ी मात्रा में आवाजाही होती है। इन इलाक़ों में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में जल परिवहन ही एकमात्र आसरा बनता है।

ब्रह्मपुत्र नदी के धुबरी से सादिया के 891 किमी खंड को 26 दिसंबर, 1988 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 घोषित किया गया था। इस पर तमाम महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं और यह पूर्णतया विकसित हो गया

है। ऐसा आकलन है कि इस राष्ट्रीय जलमार्ग से 2020 तक सालाना क़रीब छह मिलियन टन माल ढुलाई होगी और रोज़गार के साथ पर्यटन संभावनाओं को भी पंख लगेंगे। वैसे भी केंद्र सरकार जल परिवहन क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर को काफी मदद कर रही है और इसके लिए शत-प्रतिशत सहायता अनुदान की केंद्रीय योजना भी है लेकिन अभी भी सहायक नदियों के प्रबंधन को व्यवस्थित बनाना शेष है। क्योंकि ऐसे जलमार्गों पर आधारभूत सुविधाओं की कमी है। इसी तरह इस अंचल में जलयानों की कमी को भी दूर करने की ज़रूरत है। साथ ही बराक नदी के विकास पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत है। सिल्चर और करीमगंज जैसे महत्वपूर्ण नगरों में यह जल परिवहन की जीवनरेखा है। बांग्लादेश के जलमार्गों के जरिये यह हल्दिया पत्तन के साथ जुड़ी हुई है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या छह के रूप में घोषित किया जाना भी सरकार के विचाराधीन है।

लेकिन अभी भी इस अंचल में जल परिवहन और व्यवस्थित बनाने के साथ मनोहारी नदियों में जलक्रीड़ा, बोटिंग, नदी क्रूज आदि को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजना बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जल परिवहन के साथ कई तरह की दिक्क़तें हैं। नौकाओं की संख्या सीमित होने के कारण तमाम इलाक़ों में इन पर बहुत दबाव रहता है। ओवरलोडिंग के चलते दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसी तरह तमाम पुरानी और जर्जर नौकाएं भी चल रही हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही जल परिवहन पर और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है।

नागर विमानन सेवाएं

पूर्वोत्तर भारत में विमानन सेवाओं पर सरकार ने काफी ध्यान दिया है लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। यहां पर्यटन विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण स्थलों के हवाई संपर्क पर ख़ास ज़ोर देना ज़रूरी है। मानसून के दिनों में जब यहां के कई इलाक़े देश के बाक़ी हिस्सों से कट जाते हैं तो अक्सर गुवाहाटी, शिलांग और अगरतला में हवाई सेवाएं स्थगित होती रहती हैं। 2010 में प्रतिकूल मौसम के कारण 532 उड़ानें स्थगित हुईं और क़रीब ऐसी ही हालत 2011 में रही। इसी नाते परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति ने सिफ़ारिश की है कि दिल्ली से इस क्षेत्र को सीधी और नियमित वायुसेवा की नितांत आवश्यकता है। पूर्वोत्तर में उड़ानों के लिए निजी क्षेत्र की विमानन कंपनियों को सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण सेवाओं पर सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार एयर इंडिया की सहायक इकाई एलाएंस एयर को सालाना 35 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। लेकिन जेट एयरवेज जैसी सेवाएं काफी घाटे में चल रही हैं और अपनी सेवाएं घटा रही हैं।

सरकार ने इस बात की मंजूरी भी दी है कि आसियान और सार्क सदस्य देश यानी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यामां, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की एयरलाइंस गुवाहाटी से कितनी भी सेवाएं संचालित कर सकती हैं। समिति के मुताबिक नयी जगहों से भी सेवाएं शुरू करनी चाहिए और अगरतला को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा का दर्ज़ा दिया जाना चाहिए। समिति ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय वायुसेना के बीच समन्वय की कमी के कारण नियमित वाणिज्यिक सेवाएं स्थगित होने या देरी जैसे कारणों को भी उठाया है और लेट-लतीफ़ी का शिकार बनी परियोजनाओं के मसले को भी उठाया है और उचित संख्या में हेलीकॉप्टरों और ऑपरेटरों की भी ज़रूरत बताई है। इस मामले में नागर उड्डयन मंत्रालय के साथ राज्यों को भी आगे आना होगा। हेलीकॉप्टर से उन दुर्गम इलाक़ों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जहां सड़क से बहुत समय लगता है। पूर्वोत्तर भारत में जल्दी सूर्योदय और जल्दी सूर्यास्त होता है। लिहाज़ा इस समय का उपयोग क्षेत्र से अन्यत्र हवाई उड़ानों के लिए किया जा सकता है। समिति ने सिफ़ारिश की है कि गुवाहाटी और अगरतला हवाईअड्डे को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि ये क्षेत्र के लिए हब की तरह काम करें और हवाई उड़ानों के संचालक अपने जहाज़ों को यहां पार्क कर सकें। इसके बाद उनको भोर की उड़ाने शुरू कराने को कहा जा सकता है। हाल में पवनहंस ने इस मसले पर व्यापक अध्ययन करके पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। समिति की राय है कि पर्यटक यहां पहाड़ी सड़कों और रेलों की लंबी और थकाऊ यात्राओं से घबराते हैं लिहाजा पवनहंस के प्रस्तावों की जांच करके उसे अमल में लाना चाहिए।

इसी तरह समिति का मत है कि एयर इंडिया इस क्षेत्र में यथासंभव और अधिक सेवाएं शुरू करे। क्योंकि अभी कोलकाता को छोड़कर दिल्ली या बाक़ी नगरों से पूर्वोत्तर को सीधी विमान सेवाएं बहुत कम उपलब्ध हैं। यहां अगर 50 सीटों वाले एटीआर हवाई जहाज़ चलाए जाएं तो हवाई ऑपरेशन के लिए वे अधिक लाभप्रद होंगे।

रेल परिवहन

तमाम नियोजित विकास के बाद भी पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों की तुलना में रेल सुविधाओं में काफी पीछे है। कठिन पहाड़ी भू-भाग होने के नाते यहां रेल सुविधाओं के विकास में भारी लागत आती है और प्राकृतिक प्रकोप, भूमि अधिग्रहण की दिक्क़तें और उग्रवाद की समस्या भी बाधक बनती है। उग्रवाद प्रभावित इलाक़ों में रेल संचालन भी कठिन काम है। फिर भी, इस माहौल के बावजूद धीरे-धीरे रेल सेवाओं का विकास हो रहा है। कई नयी परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिनके साकार होने पर वंचित इलाक़ों का कायाकल्प होगा और उनकी दिक्क़तें दूर होंगी।

पूर्वोत्तर के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 1971 में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) का गठन किया गया था और इसकी मांग पर कई रेल परियोजनाओं को नयी दिशा मिली। रेल मंत्रालय ने 1979 में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की निर्माण परियोजनाओं को रेल परिचालन से अलग कर महाप्रबंधक निर्माण के अधीन करने का ऐतिहासिक फ़ैसला लिया। पूर्वोत्तर की रेल परियोजनाओं का निर्माण यही संगठन करता है। वहीं संसाधनों की बाधा दूर करने के लिए कई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में शामिल कर नयी ताक़त दी। इसी तरह सुनिश्चित निधि प्रवाह के लिए नान लैप्सेबल पूर्वोत्तर क्षेत्र रेल विकास निधि ने भी काफ़ी मदद की।

पूर्वोत्तर राज्यों को रेल सेवाएं प्रदान करने का काम पूर्वोत्तर सीमा रेलवे करती हैं। इतना ही नहीं तीन पड़ोसी देशों को जोड़ने में भी यह रेलवे जोन सूत्र बनता है। इसी क्षेत्र में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना रेल

आरक्षण केंद्र थेगू (सिक्किम) है। यहीं से देश की सबसे लंबी दूरी की सवारीगाड़ी भी चलती है और विश्व धरोहर में शामिल है। यहां का सिलीगुड़ी जंक्शन देश का एकमात्र स्टेशन है, जहां सभी तीन गेज कार्य करने की हालत में हैं। लेकिन अभी भी पूर्वोत्तर में कोई भी विद्युतीकृत रेल लाइन नहीं है। न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव-गुवाहाटी लाइन का विद्युतीकरण ज़रूर मंजूर किया गया है जिसे 12वीं योजना के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

पूर्वोत्तर में आज़ादी मिलने के बाद सभी रेल, सड़क और संचार प्रणाली सभी अस्त-व्यस्त और खंडित हो गई थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विशेष पहल पर दो साल में असम लिंक परियोजना पूरी हो गई और इस पर पहली सवारीगाड़ी 26 जनवरी, 1950 को शुरू की गई। 15 जनवरी, 1958 में मालीगांव में मुख्यालय के साथ पूर्वोत्तर सीमा रेल अस्तित्व में आई।

लेकिन मौजूदा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का अस्तित्व अतीत ईस्ट बंगाल रेलवे तथा असम रेलवे से जुड़ा रहा है। पूर्वी बंगाल रेल देश की सबसे पुरानी रेलों में है और इसी ने 1878-79 में हल्दीबाड़ी-सिलीगुड़ी संपर्क बनाया था। चाय बागान से जुड़े लोगों की चाहत थी कि उनके कारखानों तक कोयला रेल से पहुंचे। असम की पहली मीटर लाइन 1881 में साकार हुई। यह 65 किमी लंबी डिब्रू-सदिया रेलवे थी जिसे असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी ने बनाई थी और इस पर 30 जुलाई, 1881 को सेवाएं चालू हुईं जो जल्दी ही मुनाफ़े की लाइन बन गई। 1881 में ही दार्जिलिंग की विश्वविख्यात टॉय ट्रेन भी चालू हुई।

लेकिन 1889 में डिगबोई में तेल का पता लगने के बाद नयी हलचल शुरू हुई। असम-बंगाल रेलवे ने 1897 में गुवाहाटी-जमुनामुख लाइन बनाई लेकिन उसी साल आए भयानक भूकंप में यह तहस-नहस हो गया। इसके बाद 1903 में लमडिंग-बदरपुर पहाड़ी रेल बनी जो मणिपुर, मिज़ोरम तथा त्रिपुरा को जोड़ती हैं इसे असम बंगाल रेलवे के इंजीनियरों ने 11 साल में बनाया। 183 किमी लंबी इस रेल लाइन पर 37 सुरंगें और 568 पुल बनाने पड़े जिसमें से 73 बड़े पुल थे। इसके बाद कई विकास परियोजनाएं साकार हुईं। लेकिन अंग्रेज़ी राज में कोलकाता बंदरगाह तक माल पहुंचाने के लिए यहां रेल प्रणाली विकसित हुई थी और अंग्रेजों को देश के अन्य हिस्सों से पूर्वोत्तर को जोड़ने में दिलचस्पी नहीं थी। आज़ादी के बाद 1962 में जब गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला रेल सह-सड़क पुल बना तभी वास्तविक अर्थों में यह इलाक़ा देश के बाक़ी हिस्सों से जुड़ सका।

रांगापाड़ा-नार्थ मुरकांगसेलेक मीटर लाइन का निर्माण 1968 में हुआ और कई परियोजनाएं हाथ में ली गईं। इसके बाद नवंबर 1985 में अमीनगांव में कंटेनर डिपो की स्थापना तथा जुलाई 1994 से राजधानी एक्सप्रेस (गुवाहाटी-नयी दिल्ली) चलाने के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया गया। लेकिन अरसे तक पूर्वोत्तर में मीटर लाइनें ही थीं। 60 के दशक में पूर्व रेलवे में बड़ी लाइन पहुंची। इसके बाद आमान परिवर्तन की योजना प्रोजेक्ट यूनीगेज से विकास की गति और तेज़ हुई। फिर भी असम की राजधानी दिसपुर (गुवाहाटी) तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ही अभी तक रेल से जुड़ा है जबकि बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियां इटानगर, शिलांग, कोहिमा तथा इंफाल और गंगटोक तक रेल लाइन अभी पहुंचना है। इसी तरह कई प्रमुख नगरों तक अभी भी रेल लाइन पहुंचनी है। रेलवे अवसंचरना के अभाव के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में होनेवाला आर्थिक और औद्योगिक विकास अन्य राज्यों में होनेवाले विकास के अनुरूप नहीं है।

इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीते कुछ सालों में रेल विकास की दिशा में ठोस पहल की गई हैं विजन 2020 में इस क्षेत्र के सभी प्रमुख जगहों तक रेल नेटवर्क के विस्तार की परिकल्पना की गई है। इस इलाक़े में सिक्कम को छोड़कर रेल सेवाओं से वंचित बाक़ी पांच राजधानियों के लिए काम चालू है। यह काम मार्च 2017 में समाप्त होने की संभावना है। इस समय पूर्वोत्तर की नयी लाइन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 22,575 करोड़ लागत आएगी। 2012-13 में रेलवे ने यहां की परियोजनाओं के लिए 1,490 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

बिरनीहाट-शिलांग नयी लाइन 108.4 किमी 2017 तक पूरी होगी। वहीं सिक्किम की शिवोक से रंगपो रेल लाइन 52.70 किमी लाइन पर 3,380 करोड़ रुपये की लागत आनी है। यह लाइन कंचनजंघा पर्वत श्रेणी और तीस्ता नदी घाटी से गुज़रेगी। इसी तरह जिरीबाम-इंफाल (तुपुल) बड़ी लाइन की राष्ट्रीय परियोजना साकार होने पर मणिपुर की राजधानी इंफाल तक रेल पहुंच जाएगी। 125 किमी लंबी यह परियोजना मार्च 2016 तक पूरी होगी। इसी तरह 2008-09 के बजट में मिज़ोरम की क़रीब 52 किमी लंबी भैराबी-सैरंग परियोजना मार्च 2015 तक पूरी होगी।

असम की रेल परियोजनाओं में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा बोगीबील पुल भी काफ़ी अहमियत रखता है। संपर्क लाइन सहित बोगीबील पुल की लागत 1,767 करोड़ रुपये है। इसके बनने से दक्षिण असम तक रेल संपर्क हो जाएगा। इसे मार्च 2012 में पूरा करना था लेकिन निधि की तंगी और ख़राब कानून व्यवस्था के कारण इसमें देरी हुई है और अब दिसंबर 2015 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इस तरह 2017 तक कई रेल परियोजनाएं साकार हो सकती हैं। इनमें से प्राय: सभी सामरिक महत्व की भी हैं। भारत सरकार 2007-08 से राष्ट्रीय राजकोष से सामरिक हानि वाले हिस्से के तहत सालाना क़रीब 600 करोड़ की निधि उपलब्ध करा रही है।

हाल के वर्षों में कई रेल परियोजनाओं को साकार करने की दिशा में क़दम उठे हैं। यहां की रेल अवसंचरना के विकास के लिए एक मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन रेल परियोजनाओं की राह में कई तरह की बाधाएं हैं। इस इलाक़े में कई स्टेशन और रेल परियोजनाएं भी उग्रवाद की चपेट में हैं। फिर भी बहादुर रेलकर्मी मोर्चे पर डटे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें उग्रवाद नियंत्रण के लिए यथासंभव बहुआयामी प्रयास कर रहे हैं। बीते तीन सालों में केंद्र सरकार ने क़रीब 12,318 करोड़ और राज्यों ने 289 करोड़ रुपये का सुरक्षा व्यय किया है। इन प्रयासों से हालात काफ़ी सुधरी हैं और परियोजनाओं की गति काफ़ी तेज़ हुई हैं। लेकिन अभी भी कई पक्षों में सुधार की गुंजाइश है। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और संचार तथा परिवहन मामलों के जानकार हैं।
ई-मेल : arvindksinghald@gmail.com)

सात बहनों का अतुलित वैभव

● घनश्याम श्रीवास्तव

पूर्वोत्तर की सात बहनों का सौंदर्य कितना अनोखा, निराला है और उनकी संतानें कितनी जहीन, बौद्धिक और बहुआयामी प्रतिभाओं से पूर्ण हैं, यह सारा देश जानता है। देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर के छात्रों के ख़िलाफ़ कुछ माह पहले जो दुर्भावनापूर्ण माहौल बना था, उस षडयंत्र के बावजूद आज भी सात बहनों का आत्मविश्वास अगर नहीं हिला, तो इसमें ज़रूर कुछ खास बात है। हिंसा और अफ़वाहों का दौर थमने के बाद इसी साल 10 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी एटानगर में चौथे पूर्वोत्तर सांस्कृतिक सम्मेलन के दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने बेहद आत्मविश्वास से कहा- ''हमें अपनी संस्कृति और पुरखों की परंपराओं से मिले संस्कार और उसूलों पर गर्व है।'' यह गर्व पूर्वोत्तर के चप्पे-चप्पे में बिखरा नज़र आता है। किंचित इसी गर्व के भाव के साथ भारत की साझी संस्कृति भी चलती है। चलनी भी चाहिए। एक देश राग की तरह।

खेल, कला, संगीत, साहित्य और हस्तशिल्प से जुड़ी पूर्वोत्तर की कई हस्तियों ने समय-समय पर देश का मान बढ़ाया है। संवेदना के तार छेड़े हैं तो अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों पर भारत का सिर गर्व से ऊंचा करने का अवसर भी हमें दिया है। खामोशी से खड़ी पहाड़ियों की तलहटी में बसे छोटे-छोटे घर दूर से ही किसी स्कूली प्रोजेक्ट के मॉडल की तरह नवोन्मेष से भरे और सुरुचिपूर्ण लगते हैं और उन घरों में रहने वाले लोग प्रकृति के अत्यंत करीब रहते हुए जीवन का शाश्वत प्रकृति-राग सुन कर जीते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं, फिर भी हौसला कहीं कम नहीं होता। अल्लसुबह पहाड़ी ढलानों पर पीठ पर बस्ता टांगे छोटे-छोटे बच्चे पंक्तिबद्ध स्कूलों की ओर जाते दिखाई पड़ते हैं, तो लगता है कि शिक्षा का संस्कार शायद ऐसे ही श्रमसाध्य और संकल्पित चेष्टाओं से फूटता होगा। सात बहनों का अतुलित सौंदर्य निश्चित रूप से इनकी संतानों की वजह से हरदम बिखरता लगता है, जो देश के जीवन में मधुर राग घोलते हुए शायद ही अलहदा शोर के साथ नज़र आता है। लेकिन, जब भी भारत की बात चलेगी, पूर्वोत्तर गर्व से उठ खड़ा होगा, अपनी कहानियों का अनंत विस्तार समेटे हुए।

असम के लोकगीत और फ़िल्मों के गायक दादासाहब फाल्के अवार्ड विजेता भूपेन हजारिका को आज भी देश शिद्दत से याद करता है। फ़िल्म *रुदाली* में गाए गए उनके गीत 'दिल हुम हुम करे...' (असमिया में 'बुकु होम होम करे') के बाद वे देश के जन-जन के हृदय में बस गए थे। लेकिन उसके काफी पहले उनके गाए गीत 'मानुष मानुषेर जोन्नो' ने एक समय पूरे बांग्लादेश में धूम मचा दी थी। उनका यह गीत बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के बाद दूसरा सबसे पसंदीदा गीत चुना गया था। भूपेन हजारिका ने 'बिस्टीरनो परोरे', 'मोई एति जाजाबोर', 'गंगा मोर मां', 'बिमूर्तो मुर निक्षति जेन', 'मानुहे मानुहोर बाबे', 'स्नेहे आमार जोतो शराबोनोर' और 'गुपुते गुपुते किमान खेलिम' जैसे गीत गाए और असमिया गायकी के पर्याय बन गए। सन् 1972 में भूपेन हजारिका ने बर्लिन के 'फेस्टिवल ऑफ पॉलिटिकल सांग्स' में गाकर सबका दिल जीत लिया था। अपनी गंभीर आवाज़, शब्दों के खास उच्चारण, गीत और रोमांस के विलक्षण शाब्दिक कंपोजिशन के लिए वे युवाओं में भी काफी लोकप्रिय रहे।

असम के ही निवासी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी (पुलिस महानिदेशक) और प्रख्यात कवि हरेकृष्ण डेका ने दुनिया को यह बताया कि पुलिस की नौकरी कर रहा व्यक्ति भी कवि जैसा संवेदनशील हो सकता है। इसे उन्होंने प्रमाणित भी किया। असम के 'रामधेनु युग' के हरेकृष्ण डेका को सन 1987 में उनकी काव्यात्मक कृति *आन एजान* के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उन्हें उनके लघु कथा संग्रह *बंदियार* (1996) के लिए कथा पुरस्कार और सन 2010 में असम वैली लिटरेरी

अवार्ड दिया गया था। कविता, लघु कथा, साहित्यालोचना, उपन्यास और संपादन की कई उपलब्धियां हरेकृष्ण डेका के नाम हैं और उन्हें पूर्वोत्तर के साहित्य जगत में काफी सम्मान प्राप्त है।

खेल की दुनिया में मैरी कॉम, डिंको सिंह और देवेंद्रो सिंह भले ही असम का प्रतिनिधित्व करते हों, लेकिन सकल पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित सारा देश इन खेल प्रतिभाओं को अपनी ही विरासत मानता है। 27 लाख की आबादी वाले मणिपुर के ये तीनों खिलाड़ी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हाल ही में संपन्न लंदन ओलंपिक में मुक्केबाज एम.सी. मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीतकर देश को गौरव के क्षण दिए। मुक्केबाज देवेंद्रो सिंह भी लंदन ओलंपिक की मुक्केबाजी स्पर्द्धा में क्वाटर फाइनल तक पहुंचे। प्रख्यात मुक्केबाज डिंको सिंह ने सन 1996 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और वाहवाही लूटी थी।

जहां तक फ़िल्मों की बात है तो डैनी डेंग्जोंग्पा को सारा देश जानता है। सिक्किम के राजपरिवार से संबंधित डैनी ने सैकड़ों फ़िल्मों में काम किया और एक छोटे से राज्य सिक्किम का नाम सबकी जुबान पर चर्चित कर दिया। हिंदी फ़िल्मों में खलनायकी को नयी परिभाषा देने वाले डैनी ने लगभग 170 फ़िल्मों में काम किया और 'पद्मश्री' के अलावा 'फिल्मफेयर अवार्ड' के विजेता भी रहे। डैनी ने हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट के साथ सन 2003 में बनी फ़िल्म *सेवन इयर्स इन तिब्बत* में भी काम किया है। हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू के जानकार डैनी आजकल चुनिंदा चरित्र भूमिकाएं ही कर रहे हैं और इस परिवार का बेटा रिंजिंग भी फ़िल्मों में आने की बाट जोह रहा है।

डैनी की ही तरह असमिया फ़िल्म निर्देशक जान्हु बरुआ को भी फ़िल्मों में काफी ख्याति मिली। सन 2005 की फ़िल्म *मैंने गांधी को नहीं मारा* से खासे चर्चित हुए जान्हु बरुआ को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। असमिया कला सिनेमा के लिए शिद्दत से काम करने वाले भबेंद्रनाथ सैकिया के साथ जान्हु बरुआ ने कई फ़िल्में बनाईं। उन्हें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार के अलावा शिकागो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, ब्रुसेल्स इंडीपेंडेट फ़िल्म फेस्टिवल, फुकुओका इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, फ्रीबोर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लोकार्नो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल, सिंगापुर इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल और मुंबई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया जा चुका है।

साहित्य से लेकर सिनेमा और रंगमंच में भी पूर्वोत्तर का योगदान अविस्मरणीय है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य साहित्य जगत में काफी सम्मानित नाम हैं। प्रख्यात लेखक और आधुनिक असमिया साहित्य को नयी दिशा देने वाले बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को उनके उपन्यास *मृत्युदंड* पर सन 1979 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसी भी असमिया साहित्यकार को यह पुरस्कार पहली बार मिला था। इसके पूर्व सन 1961 में डॉ. भट्टाचार्य को उनके उपन्यास *इयारुयिंगोम* पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। इस उपन्यास को भारतीय साहित्य में 'मास्टरपीस' का दर्ज़ा प्राप्त है। सन 2005 में कथा बुक्स ने उनकी रचना का अनुवाद *लव इन द टाइम ऑफ इनसर्जेंसी* प्रकाशित की थी। डॉ. भट्टाचार्य का एक और उपन्यास *आई (मां)* भी काफी प्रसिद्ध है। वे सन 1983 से 1985 तक असम साहित्यसभा के अध्यक्ष भी रहे। असम के प्रख्यात साहित्यकार, नाट्यकार, बालकथा लेखक और अनुवादक अतुल चंद्र हजारिका भी पूर्वोत्तर के लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं। असमिया भाषा में सैकड़ों पुस्तकों के रचयिता अतुल हजारिका ने 1930 के दशक में रिकॉर्ड संख्या में नाटक लिखकर असमिया थियेटर को नयी ऊर्जा दी थी। लगभग उसी काल में उन्हें 'दीपालिर कोबी' यानी 'युवा कवि' की उपमा मिली थी। उन्होंने बच्चों के लिए कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें *ग्रीमोर साधु* और *अंदेरसोनोर साधु* काफी प्रसिद्ध हुई। उन्होंने कई अचर्चित असमिया रचनाकारों की रचनाएं लिपिबद्ध की और उन्हें साहित्य जगत के सामने लाए। अतुल हजारिका ने साहित्यार्थी लखीनाथ बेजबरुआ की कई रचनाओं का संग्रह और संपादन किया, साथ ही कई प्रतिभाशाली रचनाकार जो कम उम्र में ही चल बसे थे, उनकी रचनाओं का संग्रह *मोरोहा फूलोर कोरोनी* प्रकाशित कराया। अतुल हजारिका उन लोगों में से रहे, जिन्हें असम के प्रख्यात परंपरागत बिहू पर्व को नया चेहरा देने का श्रेय जाता है। अतुल हजारिका को सन 1969 में उनकी कृति *मोंचालेखा* के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। इस कृति में असमिया नाटक और मंच के पांच सौ साल का इतिहास संकलित है। भारत सरकार ने उन्हें सन 1971 में पद्मश्री से नवाजा। प्रख्यात नाट्य लेखक और थियेटर निर्देशक रतन थियम भी पूर्वोत्तर की शान हैं। उन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाज़ा जा चुका है। भारतीय नाटकों में 'थियेटर ऑफ रूट्स' आंदोलन के अगुवा रहे रतन थियम को प्राचीन भारतीय थियेटर के नवजागरण का प्रतीक भी माना जाता है। उन्हें प्राचीन नाटकों को समकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में महारत हासिल है। रतन थियम पेंटिंग, निर्देशन, डिज़ाइन, पटकथा और संगीत की विधाओं में भी उतने ही प्रवीण हैं। सन 1976 में इंफाल के सुदूरवर्ती इलाक़े में 'कोरस रेपर्टरी थियेटर' की स्थापना और निर्देशन का श्रेय भी रतन थियम को जाता है। भारत सरकार ने रतन थियम को 'पद्मश्री' से नवाजा है। रतन थियम को 'कर्णभारम', 'इंफाल-इंफाल', 'चक्रव्यूह', 'लेग्शोनेई', 'उत्तर प्रियदर्शी', 'चिंगलोन मापक तांपक आमा' (नौ पहाड़ियां एक घाटी), 'ऋतुसम्हारम', 'अंधा युग', 'वाहुदक' और 'आशिबागी एशेई' जैसे चर्चित प्राचीन नाटकों को समकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुति के लिए याद किया जाता है। विशिष्ट प्रतिभाओं के अलावा देश की आर्थिक-सांस्कृतिक विरासत समृद्ध करने में भी पूर्वोत्तर की भूमिका काफी अहम रही है। असम के चाय बागानों की खुशबू भारत के करोड़ों घरों में रोज़ ही महसूस की जाती है। देश के आयात और निर्यात के असंतुलन को कम करने में यहां के चाय उद्योग का खासा योगदान रहा है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश हस्तनिर्मित बांस सामग्री और हस्तशिल्प के लिए देशभर में मशहूर है। यहां तक कि विदेशी भी अरुणाचल की हैट और शिल्पकला के मुरीद रहे हैं। जंगलों, नदियों, घाटियों और जैव-विविधता के साथ-साथ दुर्लभ वनोत्पादों के लिए भी सात बहनें मशहूर हैं। ❑

(लेखक द *पब्लिक एजेंडा* **पत्रिका में समाचार संपादक हैं।**

ई-मेल : ghannus@gmail.com)

नगालैंड में उच्च शिक्षा - वर्तमान और भविष्य

● वी. के कंवर

सुपरिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करने के लिए किसी भी समाज को सशक्तीकृत जनशक्ति की ज़रूरत होती है। संगठनात्मक ज़रूरतों, नवोन्मेषी तथा नवाचारी दृष्टिकोण वाले कर्मचारियों और स्नातक तथा परास्नातक कार्यक्रमों को ज्ञान हस्तांतरण मॉडलों की आवश्यकता होती है। शिक्षा, शोध और नवाचार को समझने की ज़रूरत है, जिससे अवसर मिलता है और जो वर्तमान और अपेक्षित व्यवस्थाओं को उन्मुख बना सकता है, जिससे शिक्षण और शोध कार्य संपन्न किए जाते हैं।

हमारे एक बहुत सम्मानित शिक्षाविद् डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, देश के पूर्व राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा था कि 21वीं सदी ज्ञान का युग होगा, जब ज्ञान का अधिग्रहण, अधिकरण और कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण संसाधन बन जाएंगे। सूचना समृद्धि और सत्ता की प्रमुख संचालक रही है। इससे आमजन का सशक्तीकरण होता है, समाज का कायाकल्प होता है, अन्वेषणों तथा नवाचारों को बढ़ावा मिलता है तथा समाज के हर वर्ग में अच्छाई आती है, जिसका परिणाम होता है शांति और समृद्धि। सूचना को शिक्षा, अनुभव, अनुसंधान, बुद्धिमत्ता और जानकारी का मिला-जुला रूप समझा जाता है। इसका पोषण बुनियादी तौर पर शिक्षण संस्थाओं में होता है।

राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा

इस समय (2011-12) देशभर में कुल 634 विश्वविद्यालय तथा 33,023 कॉलेज हैं। इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1,69,75000 (छात्राएं 70,49,000) हैं। पिछले साल इन तकनीकी कॉलेजों से स्नातक बनकर निकलने वाले छात्रों की संख्या सात लाख से कुछ अधिक थी। लेकिन 75 प्रतिशत तकनीकी स्नातकों और 85 प्रतिशत से ज्यादा स्नातकों को देश में तेज़ी से बढ़ रहे उद्योगों में रोज़गार नहीं मिल पाता। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, तो वहां 40 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से तीन नगालैंड में, 10 असम में, 9 मेघालय में, 5 सिक्किम में तथा 3-3 अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में हैं। इन राज्यों में इनके आकार और जनसंख्या के कारण शिक्षा संस्थाओं की संख्या कम है।

वर्ष 2011 में कुल सघउ (सकल घरेलू उत्पाद) का 3.77 प्रतिशत शिक्षा पर ख़र्च हुआ। इसमें से 32.3 प्रतिशत व्यय उच्च शिक्षा पर किया गया। शिक्षा पर बढ़ते ख़र्च के बावजूद हमारी 25 प्रतिशत आबादी निरक्षर है। 15 प्रतिशत भारतीय छात्र ही हाई स्कूल तक पहुंच पाते हैं और इनमें से भी मात्र 7 प्रतिशत कॉलेज और विश्वविद्यालय पहुंचते हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। भारत की उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में सिर्फ़ उतनी ही सीटें हैं जिसमें कि देश की कॉलेज जा सकने वाली जनसंख्या के 7 प्रतिशत विद्यार्थी ही वहां प्रवेश पा सकते हैं।

नगालैंड

नगालैंड राज्य $93^0 20'$ और $95^0 15'$ देशांतर तथा $25^0 60'$ और $25^0 40'$ अक्षांश के बीच तथा पूर्वोत्तर भारत के अंत में स्थित है और इसका भूभाग अधिकांशतः पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई अलग-अलग है, जिसमें समुद्र तल से औसतन 25 मीटर ऊपर (दीमापुर) से लेकर 3,840 मीटर (सारामती पहाड़ी, त्वेनसांग जिला) का भूभाग आता है। क़रीब-क़रीब सारी पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी हैं। ये पहाड़ियां 40 से 60 प्रतिशत तक ढालू हैं और इन पर हर साल औसत वर्षा 200 से 300 सेंमी. तक होती है। सबसे ज्यादा वर्षा जून से अक्टूबर तक होती है और यहां सापेक्ष नमी का स्तर 65 से 90 प्रतिशत तक है।

नगालैंड का कुल क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किमी. है, जिसमें से 6.32 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में आएगा। राज्य का कुल क्षेत्रफल कुल देश के क्षेत्रफल का 0.5 प्रतिशत बैठेगा।

नगालैंड के निवासियों को नगा कहा जाता है और ये 17 कबीलों से संबंध रखते हैं। ये सभी मंगोलॉयड स्टॉक के हैं। कई उप-क़बीले भी हैं। इस राज्य की आबादी कृषि पर आधारित हैं। 68 प्रतिशत आबादी खेती तथा इससे संबंधित गतिविधियों में लगी हुई हैं। राज्य की 3,58,138.70 हेक्टेयर भूमि वनों से ढकीं हुई है। इस राज्य में अनेक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर आधुनिक उद्योग नहीं है और सड़क मार्ग तथा परिवहन सुविधाएं कम होने के चलते इन संसाधनों का सीमित उपयोग ही हो पाता है। राज्य की कुल आबादी 19,80,602 है, जिसमें से 10,25,707 पुरुष और 9,54,895 स्त्रियां हैं। लिंगानुपात 909 तथा जनसंख्या घनत्व 120 प्रति किमी है। ग्रामीण जनसंख्या 14,06,861 है, जिसमें से 7,24,595 पुरुष और 6,82,266 स्त्रियां हैं। शहरी आबादी 5,73,741 है, जिसमें से 3,01,112 पुरुष तथा 2,72,629 स्त्रियां हैं।

नगालैंड में शिक्षा

1967 से इस राज्य की राजभाषा अंग्रेज़ी है तथा राज्य की विधान सभा द्वारा घोषित नगामीज आम भाषा है। इस राज्य में 1,520 प्रारंभिक पाठशालाएं हैं, जिनमें नाम लिखाने वाले छात्रों की संख्या 2,24,715 है। 481 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 92,271 छात्रों के नाम दर्ज़ हैं और 449 उच्च और हॉयर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें छात्रों की संख्या 54,635 है। नगालैंड में साक्षरता दर 80.11 प्रतिशत है, जिनमें 83.29 प्रतिशत पुरुष और 76.69 प्रतिशत स्त्रियां (2011 की जनगणना के अनुसार) हैं। वर्ष 2001 में साक्षरता दर 66.59 प्रतिशत थी, जो पहले के मुक़ाबले 13.52 प्रतिशत ज्यादा है। इसका अर्थ यह है कि इस राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। इस राज्य में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। राज्य की कुल आबादी में से 12 प्रतिशत 18-23 वर्ष की आयु वर्ग में है। नगालैंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत 12,825 छात्र (2011-2012) हैं, जिसमें से 47 प्रतिशत यानी 6,028 महिलाएं हैं। नगालैंड विश्वविद्यालय के पांच स्कूलों में छात्रों की संख्या लगभग 2,000 है। इन स्कूलों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले लगभग 80 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज जाते हैं और मुश्किल से 8.8 प्रतिशत उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों का रुख करते हैं। हर वर्ष लगभग 1,000 छात्र उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर चले जाते हैं। इस राज्य में युवा वर्ग (18-23 वर्ष आयु वर्ग के) की संख्या ज्यादा हैं। इसीलिए हर साल स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या अधिक है। हर साल क़रीब 200 मास्टर डिग्री धारक छात्र पीएचडी के लिए नाम लिखाते हैं और क़रीब 300 डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र कोर्सों में प्रवेश लेते हैं।

देश में वर्तमान में छात्र-शिक्षकों का औसत 20:1 है। लेकिन नगालैंड में यह औसत काफी ऊंचा है। स्नातक छात्र अधिकांशतः मानवीय धारा में पढ़ना पसंद करते है, छात्राएं विज्ञान, कृषि पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेती हैं, जबकि छात्रों के प्रिय विषय वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रबंधन अथवा चिकित्सा शास्त्र हैं।

उच्च शिक्षण संस्थान

इस राज्य में तीन विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक केंद्रीय क्षेत्र में है, जिसे नगालैंड विश्वविद्यालय कहा जाता है। एक अन्य निजी क्षेत्र का है जिसे वैश्विक मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं। हाल ही में नगालैंड सरकार ने राज्य में एक और निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी है। वर्ष 2010 में दीमापुर में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी।

नगालैंड विश्वविद्यालय

1989 में संसद ने नगालैंड विश्वविद्यालय अधिनियम 35 पास किया और 6 सितंबर 1994 में इसका एलान किया गया। अंततः यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। शुरू-शुरू में इसे राज्य की राजधानी कोहिमा में स्थापित किया गया, जो 2 जून, 1996 तक इसका अंतरिम मुख्यालय रहा। वर्ष 2010 में इसका मुख्यालय बदलकर लुमामी कर दिया गया। यह समुद्र तल की ऊंचाई से 1,100 मीटर पर स्थित है और तब से नगालैंड विश्वविद्यालय कार्यशील है।

इस विश्वविद्यालय के चार कैंपस हैं। मेरीमा (कोहिमा) में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्मेनिटीज चलता है। इसमें सात विषय पढ़ाए जाते हैं। मेज्डीफेमा स्थित कृषि एवं ग्राम विकास विद्यालय है, जिसमें 10 विषय हैं। दीमापुर के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में पांच विषय तथा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एक विषय है। लुमामी स्थित विश्वविद्यालय के मुख्यालय में स्कूल ऑफ साइंस में सात विषय और समाज विज्ञान के तीन विषय पढ़ाए जाते हैं। मेरीमा (कोहिमा) के कैंपस में एक समाज विज्ञान विभाग है जिसमें इतिहास, पुरातत्व विज्ञान है। जियोलॉजी विभाग मेरीमा में है।

नगालैंड विश्वविद्यालय एक संबद्ध विश्वविद्यालय है, जिससे इस समय 54 कॉलेज संबद्ध हैं। इनमें से 13 राज्य सरकार के कॉलेज और शेष निजी कॉलेज हैं, जो अधिकांशतः क्रिश्चियन चैरिटी संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। अधिकांश कॉलेज दीमापुर और राजधानी कोहिमा के आस-पास हैं। कुछ कॉलेज दूर दराज और ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर भी स्थित हैं जहां आना-जाना मुश्किल है।

वैश्विक मुक्त विश्वविद्यालय

यह एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है जो पूर्व स्नातक और परास्नातक स्तरों के अनेक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करता हैं। इनके विषय हैं- प्रबंधन और वाणिज्य, स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण विज्ञान, कानून एवं न्यायिक विज्ञान, मनोविज्ञान तथा काउंसिलिंग शिक्षा, पत्रकारिता एवं जनसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान, एप्लाइड साइंस, समाज विज्ञान, पर्यटन, यात्रा एवं आतिथ्य प्रबंधन तथा स्वरोज़गार।

नगालैंड सरकार उच्च शिक्षा की सुविधा आम जन के लिए सुलभ बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है और उच्च शिक्षा के जरिये रोज़गार के अवसर सृजित कर रही है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने सभी जिलों में पॉलीटेकनिक कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। सरकार ने अब तक तीन बीएड कॉलेज खोले हैं, जिनका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षक तैयार करना है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

नगालैंड का एनआईटी एक तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। यह देश के 30 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में से एक है। लेकिन राज्य में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण वर्ष

2009 से असम में एनआईटी सिल्चर के रूप में काम कर रहा था। चालू वर्ष के दौरान इस संस्थान ने दीमापुर के पास चुमुकेदीमा में काम करना शुरू किया। इस संस्थान में तीन बीई पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग शामिल हैं। एमबीबीएस का एक पाठ्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है। निकट भविष्य में एनआईटी नगालैंड 9 पीजी, 14 पीएचडी और एक पी.जी डिप्लोमा कोर्स चलाने की तैयारी कर रहा है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

नगालैंड यूनिवर्सिटी द्वारा मेडजीफेमा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनसे 10 विषयों में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवेलपमेंट (बीएससी-एग्रीकल्चर) और एमएससी (एग्रीकल्चर) की डिग्रियां देता है। यहां जो अन्य विषय पढ़ाये जाते हैं उनके नाम हैं- कृषि विज्ञान, पादप प्रजनन, बागवानी और आनुवंशिकी, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, विस्तार शिक्षा और ग्रामीण विकास।

स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पांच बीटेक पाठ्यक्रम चलाता है। ये हैं- एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी। उधर, प्रबंधन विद्यालय केवल एक कार्यक्रम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है।

नगालैंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेज हैं वह विभिन्न प्रकार के सामान्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इनमें से 46 कॉलेज कला और ह्यूमेनटीज के, सात विज्ञान के, दो कंप्यूटर एप्लीकेशन के, 14 वाणिज्य के तथा 3 प्रंबधन एवं संगीत के और पांच पर्यटन के हैं। इस विश्वविद्यालय से एक नर्सिंग कॉलेज, 3 शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज (बीएड), 3 लॉ कॉलेज और एक पॉलीटेनिक भी संबद्ध है।

इस राज्य में तीन अनुसंधान संस्थान भी हैं। इनके नाम हैं- नेशनल रिसर्च सेंटर, मिथुन (झोरनापानी), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टीकल्चर (मेडजीफेमा) और आईसीएआर रिचर्स कांप्लेक्स फॉर नार्थ ईस्ट हिल रीजन (झोरनापानी)।

राज्य के अग्रणी महाविद्यालय

इस राज्य के अधिकांश अग्रणी महाविद्यालय कोहिमा और उसके आस-पास स्थित हैं। कोहिमा इसकी राजधानी है तथा दीमापुर असम सीमा से लगा हुआ आर्थिक केंद्र है। वहां से आने-जाने और परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ अग्रणी कॉलेजों के नाम हैं- कोहिमा साइंस कॉलेज, पटकई क्रिश्चियन कॉलेज, जाफू क्रिश्चियन कॉलेज, ऐल्डर कॉलेज, कोहिमा लॉ कॉलेज, दीमापुर कॉलेज, फजलअली कॉलेज (मोकोकचुंग) और कोहिमा आर्ट कॉलेज। इन सात कॉलेजों के अलावा पटकई क्रिश्चियन कॉलेज में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों से संबद्ध विषय पढ़ाए जाते हैं। यह एकमात्र स्वायत्तशासी कॉलेज है और नगालैंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है।

राज्य में दूरस्थ शिक्षा की संभावनाएं

दूरस्थ शिक्षा किसी राज्य में दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने का एकमात्र प्रमुख साधन होती है। अब, जबकि भारत में टेलीविजन, रेडियो, लैंड लाइन और मोबाइल फोन तथा इंटरनेट का चलन बढ़ गया है, विश्वविद्यालय और कॉलेज भी इस काम में हाथ बटा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा दूरस्थ शिक्षा की ज़रूरत पेश करने की आवश्यकता हैं। यही नहीं, राज्य में पुस्तकों, शोध-पत्रिकाओं तथा पत्र-पत्रिकाओं के वितरण की भी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि इसके जरिये ही दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कुछ समय पहले दो हज़ार किलोग्राम का उपग्रह एडूसैट केवल शिक्षा में इस्तेमाल के लिए छोड़ा था। इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में किया गया है और इसके जरिये देश के दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों तक शिक्षा का संदेश पहुंचाने में किया जा रहा है। इस उपग्रह में एक केयू बैंड, 6 नेशनल एक्सटेंडेंड सी बैंड ट्रांसपोंडर और 5 क्षेत्रीय बीम वाले केयू बैंड हैं। इस उपग्रह का इस्तेमाल राज्य में दूरदराज के कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक शिक्षण संस्थानों, हाई स्कूलों तथा शिक्षक प्रशिक्षण और पॉलीटेक्निक संस्थानों तक पहुंचने के लिए किया गया है।

इस सुविधा के जरिये शिक्षकों और छात्रों को एक-दूसरे से बातचीत करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे ज्ञान, विचारों, अनुभवों और नये घटनाक्रमों के बारे में संपर्क होता है। इस सुविधा से छात्र नयी अवधारणाओं के बारे में बात कर सकते हैं और वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई व्यावहारिक स्थितियों को समझ सकते हैं। एडूसैट करियर काउंसिलिंग का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें कुल मिलाकर 50 सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल लगे हैं, जिनके जरिये उच्च शिक्षा संस्थानों और नगालैंड के तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों से संपर्क हो पाता है। एडूसैट नेटवर्क के अंतर्गत कोहिमा में एक ट्रांसमिशन हब और स्टूडियों बनाया गया हैं। निजी कॉलेजों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

ज़रूरत यह समझने की है कि साक्षरता चाहिए अथवा शिक्षा। एक ऐसा राज्य जहां की 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, शिक्षा पर वहां के लोग ख़र्च नहीं कर सकते, पढ़कर निकलने वाले स्नातक और परास्नातकों में से 25 प्रतिशत से ज्यादा बेरोज़गार रह जाते हैं। इससे शिक्षा की किसी समाज में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ऐसे समाज में शिक्षा सिर्फ़ पढ़ना-लिखना जानने का साधन बनकर रह जाती है, सोचने और उस पर अमल करने का नहीं।

नगालैंड में शिक्षा की चुनौतियां

दुर्गम स्थिति : दीमापुर को छोड़कर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त लगभग सभी कॉलेज दुर्गम स्थानों में स्थित हैं। केंद्र सरकार भी इस स्थिति से चिंतित है और नगालैंड सहित देश के सभी भागों में रहने वाले लोगों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन्हें प्रदान की जाने वाले सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। मूल सुविधाओं की कमी है, जिससे ये विश्वविद्यालय और कॉलेज देश-दुनिया से कटे हुए हैं। वहां पर परिवहन, टेलीफोन आदि की सुविधाएं नहीं हैं। अच्छे शिक्षकों की कमी है और किसी भी अन्य पहाड़ी राज्य की तरह नगालैंड में रहन-सहन का ख़र्च अन्य राज्यों की तुलना 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक है। ऊंचाई और ढलान ज्यादा होने के चलते परिवहन समयसाध्य और ख़र्चीला है।

सामाजिक कारक: इस राज्य में 17 प्रमुख क़बीले हैं, कई उप-क़बीले और खानदान हैं, जिनका भूमि प्रबंधन का अपना तरीक़ा है। माना जाता है कि ज़मीन पूरे गांव के समुदाय की है और राज्य सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए यहां ज़मीन खरीद कर शिक्षण संस्थान चलाना मुश्किल है। इस क्षेत्र के भूमिपति और ग्रामवासी ज़मीन के बदले नौकरी अथवा ठेका पाने पर ज़ोर देते हैं। कभी-कभी ये समूह दबाव बनाते हैं। अलग-थलग होने के चलते शिक्षण संस्थान भयाक्रांत रहते हैं।

शिक्षण गुणवत्ता तथा अनुसंधान संस्कृति : नगालैंड के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान एक उपेक्षित क्षेत्र है। कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए ज़रूरी है कि वे राज्य के निर्माण के लिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखें। ज़ोर शिक्षण पर दिया जाता है, ताकि हर विषय में अच्छे से अच्छा अनुसंधान हो सके और लोग काम करने के लिए प्रेरित हों। हाल के वर्षों में एक सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दी है और शिक्षक समुदाय के लोग विभिन्न वित्त पोषक एजेंसियों से अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त करके उन्हें प्रस्तुत करते है।

निजी भागीदारी: इस राज्य में 54 में से 41 कॉलेज क्रिश्चियन चैरिटेबल संगठनों और अन्य निजी संस्थाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं और संचालित किए जा रहे हैं। इनकी शिक्षण गुणवत्ता, फैकेल्टी, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के आधार पर मूल्यांकन किए जाने की ज़रूरत है। अगर कोई कॉलेज अपेक्षा से नीचे स्तर पर काम करता पाया जाए, तो उसे असंबद्ध करने के लिए एक अन्य तरीक़ा विकसित करने की ज़रूरत है।

राज्य की शिक्षा संबंधी सीमाएं

शिक्षण अपनी पसंद पर आधारित एक पूर्णकालिक काम है। देश के अन्य भागों की तरह यहां भी शिक्षण का काम समयावधि के हिसाब से मापा जाता है। यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार एक सहायक प्रोफेसर को कम से कम 18 पीरियड प्रति हफ़्ते पढ़ाना चाहिए। यह ठीक भी है। इसी तरह से काम के घंटे भी निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के लिए भी काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ शिक्षक सदस्य शिक्षा, स्वतंत्रता के नाम पर कक्षाओं से गायब रहते हैं और इसका कोई वैध कारण नहीं होता।

नगा लोगों का भोजन करने का तौर-तरीक़ा भी अलग है। वह सबेरे सात-आठ बजे दिन का खाना खाते हैं और रात के 6 से 8 बजे तक उनका रात्रि भोजन का समय होता है। जुलाई से सितंबर तक भारी वर्षा का मौसम होता है और शरद काल में यहां दिन छोटे होते हैं। अक्टूबर से मार्च तक दिन छोटे होने के चलते इस क्षेत्र में कोई प्रभावी समय तालिका बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दुर्गम इलाका, परिवहन सुविधाओं की कमी, सड़कों की बुरी स्थिति और प्रभावशाली बिजली की आपूर्ति न होने का भी राज्य में पढ़ाई-लिखाई के माहौल पर असर पड़ता है।

ज्ञान का माहौल

अनुसंधान में रुचि बनाए रखने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए वरिष्ठ शिक्षक सदस्य को पूर्व स्नातक और परास्नातक छात्रों को पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि छात्रों की ज्ञान पिपासा शांत हो सके। लेकिन पूरे देश के कुछ फैकेल्टी मेंबर्स जिनमें नगालैंड के लोग भी शामिल हैं, वरिष्ठ हो जाने पर कक्षाओं में नहीं जाना चाहते। राज्य के उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण को संस्थागत कार्य माना जाता है, लेकिन अनुसंधान को वर्जित समझा जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मूल सुविधा और प्रसाशन की प्रक्रिया के कारण अच्छी गुणवत्ता वाला अनुसंधान मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने आप को विशेषज्ञ बताने वाले सदस्य दमनात्मक रवैया अपनाते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के विनिर्दिष्ट प्रकार की परियोजनाओं पर अनुसंधान पर विचार ही नहीं किया जाता।

किसी भी शिक्षण संस्थान में पुस्तकालय को शिक्षकों और छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस राज्य में कॉलेज के पुस्तकालयों के लिए अधिकांशत: पुस्तकें खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता, जिससे वे पत्र-पत्रिकाएं भी नहीं मंगा पाते।

राज्य के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थान

श्रेष्ठता के सृजन और अच्छी गुणवत्ता के कार्य के लिए राज्य के हर हितधारक के लिए निरंतर वचनवद्धता की ज़रूरत होती है। अगर दीर्घावधि के लिए योजना बनाई और उसे ईमानदारी से लागू किया जाए तो इसे गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता द्वारा मिशन माना जाएगा। आर्थिक-सामाजिक विकास के साथ ही किसी राज्य को स्कूली स्तर की विज्ञान शिक्षा और पॉलीटेक्निक और कम्युनिटी कॉलेज जैसे द्वितीयक स्तर के शिक्षण संस्थानों की स्थापना की ज़रूरत होती है। किसी राज्य में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा तभी हो पाएगी जब वहां (क) अनुसंधान पर ज़ोर दिया जाए, (ख) ऐसे कॉलेजों की स्थापना की जाए, जिनमें शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, (ग) गुणवत्ता आश्वासन और सुधार हो, (घ) सभी हितधारकों का सहयोग मिले, (च) विकास गतिविधियों के लिए समाज तक पहुंच मिले, (छ) सामाजिक विध्न-बाधाओं से मुक्ति मिल सके, किसी प्रकार का भय का वातावरण न रहे, (ज) शिक्षण तथा अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले और (झ) अच्छे शिक्षकों और अनुसंधान कर्ताओं को प्रोत्साहन मिल सके।

शिक्षण का काम वस्तुत किसी व्यक्ति में ज्ञान का हस्तांतरण करके उसकी क्षमता बढ़ाना है। दूसरी तरफ अनुसंधान से मूल्यांकन, टोह, पुरस्कार और समाज हित के लिए प्रतिस्पर्द्धा भी ज़रूरी है। हमारे अनुसंधान और नये ज्ञान के विकास के लिए विश्वास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य में शिक्षाविदों, नीति-निर्धारकों और प्रशासकों को शिक्षण के हित में सही और न्यायोचित ढंग से नियोजन करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार, स्वार्थ, आर्थिक-राजनीतिक दबाव पक्षपात आदि के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों पर दबाव न पड़े। तदनुसार, शिक्षण संस्थानों में उपयुक्त नियम और आचार संहिताएं रहें। इन संस्थानों में अच्छी गुणवत्ता की मूल सुविधाएं, फैकल्टी, पुस्तकालय तथा अनुसंधान और शिक्षण का माहौल हो, जिससे अच्छी गुणवत्ता की जनशक्ति पैदा हो और अनुसंधान का काम आगे बढ़े। हमारे शिक्षण संस्थानों में यदि नकारात्मक मापदंड हटा दिए जाएं, और गंभीरता से सुधार के क़दम उठाए जाएं तो किसी क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी नहीं रह पाएगी। ❑

(लेखक नगालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी (जुन्हेबोतो) के कुलपति हैं।
ई-मेल : vicechancellornu@yahoo.com)

नगालैंड में कृषि विकास

● अमृत पटेल

गोपाल कलकोटि

ग्यारह जिलों से बना नगालैंड एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि के कारण स्थानीय जनजातीय लोग प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इससे राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को आजीविका प्राप्त होती है। राज्य की जलवायु कहीं उपोष्ण (सब ट्रॉपिकल) है तो कहीं समशीतोष्ण वार्षिक वर्षा का औसत 1600-2500 मिमी के बीच रहता है। राज्य में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 7,21,924 हेक्टेयर है, जिसमें से 70 प्रतिशत 2,500 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है और शेष 30 प्रतिशत निचली पहाड़ियों वाले क्षेत्र में। एक प्रकार से यह धान का कटोरा जैसा प्रतीत होता है। चावल यहां के अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन है। राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र के 70 प्रतिशत में धान की ही फ़सल ली जाती है। राज्य के कुल कृषि उत्पादन में धान का योगदान 75 प्रतिशत के लगभग है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में मक्के की भी फ़सल ली जाती है, जिसका एक बड़ा भाग सुअरों के भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। राज्य की 90 प्रतिशत भूमि व्यक्तिगत भू-स्वामियों की संपत्ति है। यहां की भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है और विभिन्न स्थानों में बिखरी हुई है। प्रस्तुत आलेख में कृषि विकास को बढ़ावा देने वाले सरकारी प्रयास, 1961-62 से 2010-11 तक कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां और चिंता के क्षेत्रों की संक्षिप्त समीक्षा की गई है। इसके साथ ही बारहवीं योजनावधि में अनुसंधान और विकास के प्रयासों में दोगुनी तेज़ी लाने के सुझाव दिए गए हैं।

राज्य के कृषक पारंपरिक रूप से चार प्रकार की कृषि पद्धतियां अपनाते हैं, यथा 1. झूम खेती, 2. टेरेस राइस कल्टीवेशन (टी आर सी) अर्थात छत पर धान की खेती, 3. ईंधन आरक्षित वन और 4. घरेलू बगीचे। किसान परंपरा से झूम खेती करते आए हैं। झूम का चक्र सामान्यत: 6 से 10 वर्षों का होता है और यह किसानों की जोत पर निर्भर करता है। वर्ष 2009 में 90,940 हेक्टेयर में झूम खेती होती थी, जबकि टीआरसी के तहत 83,330 हेक्टेयर क्षेत्र था।

राज्य का कृषि क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से चार क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से विभाजित है यथा- ऊंची पहाड़ियां, कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां, निचली पहाड़ियां और मैदानी इलाक़े। इनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान है। धान आमतौर पर सभी क्षेत्रों की प्रधान उपज है। कहीं-कहीं इसकी अकेले ही खेती की जाती है तो कहीं मक्का, ज्वार, बाजरा की फ़सल के साथ सब्ज़ियां भी उगायी जाती है। किसान रबी और ख़रीफ मौसम में कई प्रकार की फ़सलें लेते हैं यथा- धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ और जई जैसे अनाज, दूसरा दलहन, अरहर, उड़द, मूंग, राजमा, चना, मटर आदि एवं तीसरा तिलहन मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, सूरजमुखी, सरसों आदि, और चौथा वाणिज्यिक फ़सलें- गन्ना, कपास, जूट, आलू, चाय, टेपियो आदि का। अनाज और वाणिज्यिक फ़सलों का 90 प्रतिशत उत्पादन ख़रीफ मौसम के दौरान होता है जबकि दलहनों और तिलहनों का 55 प्रतिशत रबी के मौसम में होता है। रबी की तुलना में ख़रीफ फ़सलों की उत्पादकता अधिक होती है।

घरेलू बगीचे में खेती करने वाले किसानों में अधिक संख्या महिलाओं की है, जो अपने उपभोग के लिए ताज़ी सब्ज़ियां उगाती हैं। परंतु अब इसका विस्तार हो रहा है और अपने उपभोग के अलावा अन्य स्थानीय लोगों को भी ताज़ी सब्जियां उपलब्ध करायई जाती है।

यह क्षेत्र लोगों की आय का साधन बनता जा रहा है।

सरकारी पहल

कृषि के महत्व को स्वीकार करते हुए नगालैंड सरकार केंद्रीय सरकार के सघन सहयोग से, कृषि उपज और उत्पादकता में वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर अमल कर रही हैं इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जहां कृषि को बढ़ावा देना है, वहीं ग्रामीण ग़रीबों की आजीविका में सुधार के लिए आय में वृद्धि, निर्धनों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करना, स्थानीय प्रजातियों जीवद्रव (जर्मप्लाज्म) का संरक्षण और इन सबसे जुड़े कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में मानवीय क्षमता को सुदृढ़ बनाना भी, इनका लक्ष्य है। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि अनुसंधान सिंचाई विकास, कृषि यांत्रिकी, फ़सल केंद्रित विकास कार्यक्रम, आवश्यक सामग्रियों के प्रदाय और विपणन सेवाओं पर विशेष ज़ोर दिया गया है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में (1) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (2) राज्यों के कृषि अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास, (3) फ़सलीय क्षेत्रों का गठन, (4) दलहन, तिलहन, मक्का और जैविक कृषि विकास (5) वाणिज्यिक कृषि पद्धति पर आधारित सतत विकास (6) नगालैंड कृषि विपणन बोर्ड, (7) वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना, (8) कृषि का यांत्रिकीकरण और (9) एकीकृत विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से मानव संसाधन विकास सम्मिलित है।

निष्पादन

विकास प्रक्रिया के प्रति कृषकों की जागरुकता और उसमें भाग लेने की उनकी इच्छा के कारण निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। वर्ष 1961-62 से 2010-11 के दौरान अनाज, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक फ़सलों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

तालिका-1 में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार 1961-62 से 2010-11 के बीच एकाध अपवादों को छोड़कर रकबा, उत्पादन और उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि 2000-01 से 2010-11 के बीच मामूली वृद्धि दर्ज़ हुई।

- 1961-62 से 2010-11 के बीच सभी फ़सलों के रकबे में (93,830 हेक्टेयर से बढ़कर 3,94,070 हेक्टेयर) की वृद्धि 420 प्रतिशत हुई, फसलों का उत्पादन 1,05,510 मीट्रिक टन से बढ़कर 10,28,020 मीट्रिक टन (974 प्रतिशत) हो गया, तथा उपज प्रति हेक्टेयर 1,124 से बढ़कर 2608 (232 प्रतिशत) हो गई।
- ख़रीफ फ़सलों का रकबा 2010-11 में 96.4 प्रतिशत था, जो 1961-62 के 97.5 प्रतिशत के लगभग बराबर ही था, परंतु कुल कृषि उत्पादन में ख़रीफ फ़सलों का अंश 2010-11 में 88.8 प्रतिशत रहा जोकि 1961-62 के 82.9 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक था।
- 1961-62 में खाद्यान्न फ़सलों का रकबा और उत्पादन कुल फ़सलों का क्रमशः 93 प्रतिशत और 60.2 प्रतिशत था। परंतु 2010-11 में खाद्यान्न फ़सलों के क्षेत्रफल में आंशिक (55.3 प्रतिशत) कमी हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1961-62 से 2010-11 के बीच खाद्यान्न फ़सलों के क्षेत्रफल में जहां 342.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं खाद्यान्न का उत्पादन बढ़कर 794.4 प्रतिशत हो गया। कुल उपज में 161.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई।
- क्षेत्र और उत्पादन के लिहाज से 1961-62 में तिलहन फ़सलों के रकबे और उपज का अंश क्रमशः जहां 1.8 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत था, वहीं 2010-11 में यह आंकड़ा बढ़कर क्रमशः 16.7 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत हो गया।
- 1961-62 की तुलना में वाणिज्यिक फ़सलों का रकबा 2010-11 में 5.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गया और उत्पादन में हिस्से में कोई वृद्धि नहीं हुई, जो क्रमशः 39.1 प्रतिशत और 38.1 प्रतिशत रहा।
- रबी के मौसम में सभी फ़सलों के क्षेत्रफल में भारी वृद्धि हुई। 1961-62 में रबी फ़सलों का रकबा जहां कुल 3350 हेक्टेयर था वहीं 2010-11 में बढ़कर यह रकबा 67,440 हेक्टेयर तक पहुंच

तालिका- 1

अनाज, दलहन, तिलहन एवं वाणिज्यिक फ़सलों का रकबा, उत्पादन और पैदावार ('000 हेक्टेयर क्षेत्र में, उत्पादन और पैदावार 000 मीट्रिक टन और किग्रा)

	1961-62			2000-01			2010-11		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
अनाज रकबा	84.75	00.00	84.75	198.00	6.50	204.50	254.07	10.33	264.40
उत्पादन	62.48	00.00	62.48	294.50	12.20	306.70	512.38	19.48	531.86
पैदावार	737	00.00	737	1487	1876	1499	2016	1885	2011
दलहन रकबा	01.25	01.29	02.54	12.00	13.50	25.50	15.43	19.00	34.43
उत्पादन	00.52	00.54	01.06	11.55	12.50	24.05	17.03	19.43	36.46
पैदावार	417	416	417	962	925	943	1103	1022	1058
उप-योग रकबा	86.00	01.29	87.29	210.00	20.00	230.00	269.50	29.33	298.83
उत्पादन	63.00	00.54	63.54	306.05	24.70	330.75	529.41	38.91	568.32
पैदावार	732	418	728	1457	1235	1438	1965	1326	1901
तिलहन रकबा	00.58	01.16	01.74	25.25	22.50	47.75	31.23	34.61	65.84
उत्पादन	00.27	00.43	00.70	27.15	16.10	43.25	34.90	32.63	67.53
पैदावार	465	370	402	1075	715	905	1117	942	1025
वाणि. रकबा	03.90	00.90	04.80	04.99	01.47	06.46	25.90	03.50	29.40
उत्पादन	39.66	01.61	41.27	75.10	11.30	86.40	348.76	43.41	392.17
पैदावार	10169	1788	8598	15050	7687	13374	13465	12402	13339
योग रकबा	90.48	03.35	93.83	240.24	43.97	284.21	326.63	67.44	394.07
उत्पादन	102.93	02.58	105.51	408.30	52.10	460.40	913.07	114.95	1028.02
पैदावार	1137	770	1124	1699	1184	1619	2795	1704	2608

स्रोत : कृषि विभाग, नगालैंड सरकार

गया। कुल मिलाकर 2013 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्पादन जहां 1961-62 में 2580 मीट्रिक टन था, वहीं 2010-11 में बढ़कर 1,14,950 मीट्रिक टन हो गया। इस प्रकार इस अवधि में उत्पादन में 4455 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई। फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उपज भी 770 किग्रा. से बढ़कर 1704 किग्रा. (221 प्रतिशत) हो गई।

- 1970 के दशक तक रबी फ़सल के दौरान जिन अनाजों की खेती का कोई नामोनिशान नहीं था 1980-81 में 2700 हेक्टेयर में उनकी फ़सलें ली गई, जो 2000-01 में बढ़कर 6,500 हेक्टेयर (2407 प्रतिशत) तक पहुंच गया। वर्ष 2010-11 तक इन फ़सलों का रकबा 382.6 प्रतिशत बढ़कर 10,330 हेक्टेयर तक पहुंच चुका था। अनाज के उत्पादन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। अन्नोत्पादन 1980-81 में 4,000 मी.टन था, 2000-01 में यह 12,200 मी.टन पर पहुंच गया तथा 2010-11 में और भी बढ़कर 19,480 मी.टन तक पहुंच गया। प्रतिशत के हिसाब से 1980-81 की तुलना में 2000-01 में 305 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ और 2010-11 में जो बढ़कर 487 प्रतिशत हो गया। रबी फ़सल के दौरान अन्नोत्पादन की उत्पादकता 1,481 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़कर क्रमशः 1876 कि.ग्रा./हेक्टेयर और 1,885 कि.ग्रा./हेक्टेयर हो गया।
- 2009 में 16,57,900 हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कृषि के अंतर्गत कुल 3,87,860 हेक्टेयर (23.39 प्रतिशत) था।
- 2003 और 2009 के बीच झूम धान, दलहन और तिलहन तथा अन्य अनाज की खेती के अंतर्गत औसत क्षेत्र का अंश 2003 के स्तर से नीचे आ गया था, जबकि मक्का और वाणिज्यिक फ़सल के अंतर्गत औसत क्षेत्र का अंश बढ़ गया।
- 2003 और 2009 के बीच 2003 के स्तर से झूम और टीआरसी धान की क्षेत्र में क्रमशः 104.58 प्रतिशत और 104.22 प्रतिशत का आंशिक सुधार हुआ। दलहन और तिलहन के औसत क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि (108.14 प्रतिशत) हुई कुल कृषि (110.23 प्रतिशत) और मक्का (124.93 प्रतिशत) के क्षेत्र में भी भारी वृद्धि हुई, परंतु अन्य अनाजों के क्षेत्र में 82.23 प्रतिशत की कमी दर्ज़ की गई झूम धान और टी आर सी धान के क्षेत्र में भी जनसंख्या में हुई वृद्धि के अनुसार ही (2002 में 18,06,844 से 2010 में 24,34,897) बढ़ोतरी हुई। बाज़ार में मक्के की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों की अनुकूल प्रतिक्रिया के कारण मक्के के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- कुल कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक फ़सलों के अंश (7.86 प्रतिशत) में भी बदलाव पाया गया। वर्ष 2003 से 2010 तक सात वर्षों में इन फ़सलों के क्षेत्रफल में 200.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका-2 से स्पष्ट है कि 2003 से 2009 के बीच झूम और टीआरसी पद्धति की खेती में धान की उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर उपज) में शत-प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि दर्ज़ की गई। यह वृद्धि अधिक उपज देने वाले बीजों के चयन और ग्रामवासियों द्वारा अपनाई गई बेहतर प्रबंधन तकनीक के कारण हासिल हो सकती हैं वर्ष 2005-06 को सरकार ने कृषकों का वर्ष के रूप में मनाया, जिसका सकारात्मक प्रभाव टीआरसी धान की फ़सल पर छोड़कर सभी श्रेणियों की फ़सलों के क्षेत्रफल पर पड़ा।

राज्य में शनैः शनैः एक फ़सली खेती के स्थान पर बहुफ़सली खेती की पद्धति अपनाई जा रही है।

तालिका-2 में दर्शाए गए आंकड़ों से स्पष्ट

तालिका-2

2003 से 2009 की अवधि में विभिन्न फ़सल प्रणालियों के अंतर्गत रकबा (क्षेत्र)

वर्ष	धान		मक्का	दलहन	उप	वाणिज्यिक	अन्य	योग
	झुम	टीआरसी		तिलहन	योग	फसलें	अनाज	
2003	88500	67500	45140	91270	292410	14660	32000	339070
% अंश	(26.10)	(19.91)	(13.31)	(26.92)	(86.24)	(04.32	(09.44)	(100.00)
2004	87100	66900	46400	93180	293580	21530	27880	342990
2005	88150	68250	51600	98347	306347	22590	26200	355137
2006	99980	64700	57170	107710	329560	55100	57530	442190
2007	97420	68580	63640	106040	335680	17800	14650	368130
2008	95780	73200	64400	96650	330030	30620	20300	380950
2009	90940	83330	66420	97710	338400	43350	6110	387860
औसत	92553	70351	56396	98701	318001	29379	26381	373761
% अंश	24.76	18.82	15.09	26.41	85.08	07.86	07.06	100.00

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, नगालैंड सरकार

तालिका-3

2003 से 2009 की अवधि में झूम धान के अंतर्गत रकबा, उत्पादन और पैदावार

वर्ष	रकबा हेक्टेयर	उत्पादन मीट्रिक ट.	पैदावार किग्रा./हे.	झुमिया जनसंख्या	रकबा हेक्टेयर	कुटा हुआ चावल
2003	88500	128000	1450	1102176	0.08	58.07
2004	87100	133500	1530	1158361	0.08	57.62
2005	88150	134100	1520	1217411	0.07	55.06
2006	99980	160000	1600	1279471	0.08	62.53
2007	97420	166460	1710	1344695	0.07	61.90
2008	95780	171080	1790	1413244	0.07	60.53
2009	90940	175510	1930	1485287	0.06	59.08
औसत	92553	152664	1649	1285806	0.07	59.25
% वृद्धि	104.58	119.27	113.72	116.66	-87.5	102.03

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, नगालैंड सरकार

तालिका-4

एनएसडीपी का सीएजीआर प्रतिव्यक्ति कृषि फ़सलें और पशुधन (1993-94 से 2004-05)					
	एनएसडीपी	प्रतिव्यक्ति	कृषि	फ़सलें	पशुधन
नगालैंड	8.18	2.8	6.63	12.57	6.63
एनईआर	4.21	2.32	2.99	03.12	2.37
भारत	5.95	4.01	2.48	02.09	3.51

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, नगालैंड सरकार

होता है कि 2003-09 की अवधि में झूम धान के रकबे, उत्पादन और उत्पादकता में 104.58 प्रतिशत से लेकर 113.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वही झूम किसानों की संख्या में 116 प्रतिशत से भी अधिक इज़ाफ़ा हुआ। यद्यपि प्रतिव्यक्ति क्षेत्र में 87.5 प्रतिशत की कमी आई, परंतु प्रतिव्यक्ति चावल का उत्पादन 102.03 प्रतिशत बढ़ गया।

समूचे राज्य में टीआरसी के क्षेत्रफल और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। इसके कारण झूम धान की उपज में आई कमी की भरपाई आसानी से हो जाती है। इसके अतिरिक्त, आलू, टमाटर जैसी सब्ज़ियों और मछली तथा घोंघा के उत्पादन को भी तेज़ी से अपनाया जाने लगा है, जिससे कृषक परिवारों की आय का पूरक स्रोत विकसित हो रहा है।

तालिका-4 में 1993-94 से 2004-05 के दशक के दौरान समूचे भारत और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में नगालैंड के कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाया गया है। राज्य का निवल घरेलू उत्पाद प्रतिव्यक्ति, कृषि, फ़सल और पशुधन जैसे निर्णायक प्रचालों की संयोजित वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) से राज्य की अग्रणी स्थिति का पता चलता है।

1961-62 से 2000-01 की अवधि की तुलना में 2000-01 से 2010-11 की अवधि के दौरान अनाज वाणिज्यिक फ़सलों, सभी फ़सलों और खरीफ फ़सलों के रकबा और उपज की सीएजीआर अधिक थी, जबकि दलहन, तिलहन और रबी फ़सलों का उत्पादन और क्षेत्र दोनों ही कम थी। अनाज उत्पादन की सीएजीआर क्षेत्रफल की अपेक्षा कम थी। तालिका-5 से स्पष्ट है कि 2000-01 से 2010-11 के बीच 1961-62 से 2000-01 की अवधि की तुलना में सभी फ़सलों और सटीक फ़सलों की उपज अधिक थी।

तालिका-5 में दर्शाया गया है कि 1961-62 से 2010-11 के बीच प्रत्येक दशक के दौरान रबी और खरीफ दोनों ही फ़सलों के मौसम में रकबे और उत्पादन में जो वृद्धि देखी गई उसका कारण उनके बीच एक सुदृढ़ और सकारात्मक संबंध का होना रहा था।

चावल

पूर्वोत्तर क्षेत्र की तुलना में नगालैंड में चावल की औसत उत्पादकता कमतर है। कुल चावल उत्पादन में पारंपरिक प्रजातियों का योगदान लगभग 70 प्रतिशत है। शेष 30 प्रतिशत उन्नत प्रजातियों का अंश है।

तालिका-5

रकबे एवं उत्पादन की मिश्रित वार्षिक विकास दर एवं उत्पादन तथा पैदावार में प्रतिशत वृद्धि						
	1961-62 से 2000-01			2000-01 से 2010-11		
	रकबा	उत्पादन	पैदावार	रकबा	उत्पादन	पैदावार
अनाज	2.20	4.06	101.8	2.36	5.13	32.1
दलहन	6.09	8.33	126.1	2.77	3.86	12.2
खाद्यान्न	2.52	4.32	97.5	2.41	5.04	32.2
तिलहन	8.86	11.15	125.1	2.96	4.13	13.2
वाणिज्यिक	0.76	1.91	55.5	14.77	14.74	(-0.3)
सभी फसलें	2.88	3.85	44.0	3.02	7.58	61.1
खरीफ	2.54	3.60	49.4	2.83	7.59	64.5
रबी	6.82	8.01	53.8	3.97	7.46	43.9

पारंपरिक प्रजातियां 300-2500 मीटर की ऊंचाई पर उगायी जाती है। उनके प्रबंधन में कोई आधुनिक पद्धति नहीं अपनाई जाती। इन प्रजातियों की उत्पादकता तो कम होती है, परंतु उनमें कीड़े आमतौर पर नहीं लगते तथा ये प्रजातियां शीत और उग्र मौसम के प्रति सहनशील होती है। राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र ने 867 पारंपरिक प्रजातियों की पहचान की है, जो मुख्यत: तीन श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है- चिपचिपा चावल, भूरा चावल और सुगंधित चावल की पैदावार अधिक होती है। सुगंधित चावल की पैदावार प्रति हेक्टेयर 2500 किग्रा. तक होती है जबकि चिपचिपे चावल की पैदावार 1600 से 2000 किग्रा./हेक्टेयर है। 1990 के दशक के बाद से उन्नत प्रजातियों की पैदावार में अधिक सुधार आया है। सार्स-1 और सार्स-6

तालिका-6

रकबा और फ़सलों के उत्पादन में अंतर्संबंध	
फ़सलें	मूल्य
अनाज फ़सलें	0.831676532
दलहन फ़सलें	0.96980913
खाद्यान्न	0.84707632
तिलहन	0.982790363
वाणिज्यिक फ़सलें	0.976246421
सभी फ़सल	0.957966976

जैसी प्रजातियों की पैदावार 3,000 किग्रा./हेक्टेयर से लेकर 5,300 कि.ग्रा./हेक्टेयर तक जा पहुंची है।

पठारों पर चावल की खेती दो प्रकार से होती हैं एक है– सूखा पठार जिसमें सिंचाई केवल धान के पौधों के बढ़त के समय की जाती हैं यह समय जून से अक्तूबर का होता है। दूसरा है गीला पठार जहां पानी को रोककर वर्षभर सिंचाई की जाती हैं सूखे पठारों की अपेक्षा इन पठारों की पैदावार अधिक होती है। पहले सूखे पठारों में खेती को अच्छा नहीं समझा जाता था। परंतु अब संचार और आवागमन की सुविधाओं के विस्तार के कारण इन इलाक़ों में नकद फ़सलें आलू, टमाटर आदि ली जा रही है। अब उनकी क़ीमत बढ़ गई है।

सिंचाई

राज्य में वर्षा की वार्षिक दर 1,500 और 2,500 मिमी. के बीच रहती हैं परंतु पहाड़ी

क्षेत्र होने के कारण बहुत सारा पानी बह जाता है, जिससे उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाती। सिंचाई मुख्यरूप से वर्षा और झरनों पर ही निर्भर है। राज्य में कुल सिंचाई क्षमता 1,65,000 हेक्टेयर के लिए तैयार की गई है। परंतु मुश्किल से 49,000 हेक्टेयर में ही सिंचाई हो पाती है। आमतौर पर नहरों/नालियों की दिशा बदल कर सिंचाई की जाती है। अक्सर जल का भंडारण कर और पाइप लाइन के जरिये भी सिंचाई होती है।

चिंता के क्षेत्र

कृषि की संवेदनशीलता: रवींद्रनाथ और अन्य के अध्ययन के अनुसार राज्य के 11 में से 6 जिले (तुएनसाय, वोखा, मोन, मोकोकचुंग फेक और जुन्हेबोटो) अति संवेदनशील से मामूली संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। ये अध्ययन वर्षा पर निर्भर फ़सलों कृषि पर आधारित व्यक्तियों के घनत्व कुल बोए गए रकबे कृषि सामग्रियों की गुणवत्ता, भूजल की उपलब्धता आदि प्राचलों के अनुसार किया गया है। जलवायु के लिहाज़ से तुएनसांग जिला अति संवेदनशील जिला बना हुआ है।

जल

कृषि मुख्यत: वर्षा पर निर्भर है। परंतु पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण तमाम पानी बहकर बेकार चला जाता है। फलस्वरूप ज़मीन कम पानी सोख पाती है। दूसरे, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। इसका कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल भंडारण की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण रबी (शीतकाल) के मौसम में पानी की कमी हो जाती है। इससे सिंचाई उचित रूप से नहीं हो पाती। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग सिंचाई की क्षमता में विस्तार की योजनाओं पर काम कर रहा है, परंतु अभी यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। कभी-कभी भारी वर्षा के कारण भूस्खलन भी होता है। और इससे सिंचाई की संरचनाओं को भी क्षति पहुंचती है।

मृदा विकृति

राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भू-उपयोग नियोजन ब्यूरो (2000) के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 60 प्रतिशत भाग विभिन्न प्रकार की मृदा विकृतियों से ग्रस्त है। मृदा अर्थात मिट्टी का क्षरण गंभीर और प्रमुख समस्या है। इसके अलावा मृदा अम्लीयता और पोषक तत्वों की क्षति की भी समस्या हैं भारी वर्षा के कारण मिट्टी का क्षरण होता है जिससे उपजाऊ मिट्टी अम्लीय हो जाती है और उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे पौधों में फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है और धान के पौधे का विकास रुक जाता है। तुएनसांग और कोहिमा जिलों की मिट्टी में पोटाश तत्व का अभाव है, जिससे अनाज की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। राज्य का अधिकांश भू-क्षेत्र इन दोनों प्रकार की समस्याओं के गिरफ़्त में है।

झूम कृषि

राज्य की 52 प्रतिशत भूमि में झूम कृषि होती है। कृषि की इस पारंपरिक पद्धति ही भू-क्षरण भूमि विकृति और जल संसाधनों के ह्रास का प्रमुख (70 प्रतिशत) कारण है। झूम कृषि के अन्य प्रतिकूल प्रभावों में सम्मिलित है वायु प्रदूषण, मिट्टी में फास्फोरस की कमी करना, मिट्टी में नमी और भूजल स्तर में गिरावट निचली पहाड़ियों में बाढ़, और नदियों में तलछट के जमाव में वृद्धि।

कम उत्पादकता

कम उत्पादकता के कारणों में प्रमुख है-1. प्राकृतिक आपदाएं और मुख्य कृषि भूमि की विकृति, 2. वैज्ञानिक और उन्नत कृषि और विपणन आदि के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने वाली संरचना और व्यवस्था का अभाव।

रणनीति

राज्य में पारंपरिक कृषि को लाभकारी वाणिज्यिक कृषि में बदलने की क्षमता है और नगालैंड वर्षा पर निर्भर कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकता है। जैविक कृषि के भी संवर्धन की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि तकनीकी रूप से ठोस, आर्थिक रूप से व्यावहारिक, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, सामाजिक रूप से स्वीकार्य उपायों से कृषि का टिकाऊ विकास किया जाए। इसके लिए भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक संसाधनों के समुचित उपयोग की योजनाओं पर काम चल रहा है। इस प्रक्रिया में कृषि व्यवसाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अधिक अवसरों के सृजन पर ज़ोर दिया जा रहा है ताकि शहरों की ओर पलायन में कमी आए। मैदानी सर्वेक्षण और किसानों के साथ संवाद से स्पष्ट होता है कि विजन 2020 दस्तावेज़ (2020 के दृष्टिपत्र) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई आवश्यक है।

अनुसंधान

यह निश्चायक रूप से स्थापित करना आवश्यक है कि झूम कृषि पर्यावरण की शत्रु नहीं है। उस समय जब इस तरह की भूमि में फ़सल नहीं ली जा रही होती है, तब जा वन वनस्पति जन्म और आकार लेती है, उससे भूमि में कार्बन तत्वों की वापसी हो जाती है। यह मात्रा उससे अधिक होती है जो खेतों को जलाये जाने से नष्ट होती है। इस पद्धति को टिकाऊ वाणिज्यिक कृषि से जोड़ा जा सकता है। शोधकर्ताओं को झूम पैदावार की अवधि, परती अवधि और कृषि के काम नहीं आ रही भूमि की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि झूम कृषि से प्रतिवर्ष चावल की उपज में आने वाली कमी की भलाई हो सके।

पूर्वोत्तर में प्रजातियों के सुधार और प्रचार में लगी संस्थाएं आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) मेदजीफेया और सार्स (एसएआरएस) यिसेम्यांग स्थानीय 86 पारंपरिक प्रजातियों के जीवद्रव (जर्मप्लाज्म) का आधुनिक प्रजनन तकनीक के लिए उपयोग कर सकती है। ताकि तापमान, जल संकट और कार्बन डाई-ऑक्साइड के संघनन की समस्याओं से निपट सकने वाली चावल की प्रजातियों का विकास किया जा सके।

सार्स के अनुसार मेहौरू की उपज 3,000 से 3,500 किग्रा. हेक्टेयर एन्जोबानो की उपज 3000 से 3700 किग्रा हेक्टेयर और नगालैंड स्पेशल की 2,050 से 3,000 किग्रा/हेक्टेयर होती है जबकि टीआरसी धान की उपज औसतन 2,340 किग्रा. प्रति हेक्टेयर होती है।

उत्पादकता में वृद्धि हेतु सुधार

अनुसंधान और विकास प्रयासों को छोटी जोत वाले सीमांत तथा लघु कृषकों की भूमि को व्यावहारिक और संपोषणीय बनाने की ओर केंद्रित करने की ज़रूरत है ताकि खेतों की पैदावार और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। किसानों के स्व सहायता समूहों और सहकारी समितियों की सहायता इस कार्य के लिए ली जा सकती है। पैदावार में वृद्धि के लिए, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में संकर बाओ और साहू प्रजातियों के धान को बढ़ावा दिया जाना भी

उपयोगी हो सकता है।

जैविक कृषि

सरकार को आशा है कि राज्य जैविक कृषि में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए कृषि और फ़सलों की वृद्धि के सभी पहलुओं पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। सीमांत कृषक के स्तर पर फ़सलों की उत्पादकता में सुधार भी आवश्यक है।

बीज उत्पादन और प्रमाणन

वर्तमान में सरकार अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज राज्य के बाहर से खरीद कर किसानों को देती है। सरकार की नीति है कि न केवल अधिक उपज देने वाली फ़सलों प्रजातियों का विकास हो बल्कि राज्य में ही बेहतर किस्म के बीजों का वांछित मात्रा में उत्पादन किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए एक समुचित संस्थागत संरचना का निर्माण आवश्यक है। इसमें बीज विकास उत्पादन बढ़ोतरी, परीक्षण, मानकीकरण, प्रमाणन, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण, परिवहन और वितरण की प्रक्रिया निहित है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त सुयोग्य कर्मचारियों की भर्ती ज़रूरी है। साथ ही सभी प्रकार से प्रशिक्षित ऐसे किसान भी चाहिए जो नवीन पद्धतियों को अपनाने में रुचि रखते हों। महत्वपूर्ण स्थानों पर बीज बैंकों की स्थापना से किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर बेहतर बीज मिल सकेंगे।

अवस्थापना का समर्थन

नगालैंड में 90 प्रतिशत ज़मीन व्यक्तिगत हैं और ज़मीन छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित हैं और वह भी विभिन्न स्थानों में फैले हुए हैं। किसान अभी भी पारंपरिक प्रजातियों का उपयोग कर रहे हैं जो कम उपज देती है। संस्थागत ऋण राष्ट्रीय औसत के 20 प्रतिशत के बराबर है। किसानों को उत्पादकता बढ़ाने वाली वैज्ञानिक तकनीक के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। विद्यमान संस्थागत संरचनात्मक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज, उर्वरक, कीट नाशक, कृषि यंत्र, संस्थागत ऋण आदि समय पर और उचित दर पर मिल सके। कृषि की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी और विपणन सेवाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए।

सिंचाई

नदियों में बहकर बेकार चले जाने वाले वर्षा जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए सिंचाई प्रणालियों और संरचनाओं का निर्माण करना होगा। लघु सिंचाई कार्यक्रम में 1. एक-दो हेक्टेयर वाले खेतों के लिए उथले कुओं, 2. दीमापुर के मैदानी क्षेत्रों में गहरे कुओं, 3. पेयजल हेतु कम गहरे कुओं, 4. झरनों और वर्षाजल संचय हेतु जलाशय सिंचाई तालाबों, 5. ऊंचाई वाले स्थानों पर सिंचाई के लिए उद्वहन सिंचाई प्रणाली, 6. रबी और वाणिज्यिक फ़सलों के लिए फव्वारा/टपक सिंचाई परियोजनाओं को निर्माण सम्मिलित है। निर्मित सिंचाई क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करना होगा।

पानी के रिसाव को रोकने के लिए किसानों को बड़े पैमाने पर कृषि तालाबों को सुधारने का काम हाथ में लेना होगा। छोटे खेतों में पानी को रोककर रखने का भी प्रबंध करना होगा ताकि रबी के मौसम में फ़सलों की सिंचाई में समस्या न हो। इसके लिए किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा।

मृदा स्वास्थ्य

मृदा अर्थात मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसानों के खेत में ही जाकर मिट्टी का नियमित परीक्षण किया जाना चाहिए। मिट्टी के परीक्षण पर आधारित उपयुक्त तरीक़े अपनाकर उसकी गुणवत्ता सुधारने का प्रबंध किया जाना चाहिए।

संस्थागत सुदृढ़ीकरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और एसएआरएस सार्स (राज्य कृषि अनुसंधान केंद्रों) को संगठनात्मक और वित्तीय तौर पर सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। किसानों की समस्या के निराकरण के लिए उन्हें शोध के जरिये ऐसे लघु उपकरण और औजारों का विकास करना चाहिए जो पर्वतीय और लघु कृषकों के लिए उपयोगी हो। कृषि विकास केंद्रों को आईसीएआर और एसएआरएस के साथ प्रभावी तालमेल जमा कर किसानों, विशेषकर महिला किसानों को समर्थ और सशक्त बनाना चाहिए। बारहवीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी से ही इन सब कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से अपनाना होगा। कृषि विकास केंद्रों का परिवर्तन का एजेंट बनकर किसानों को आधुनिक कृषि और उससे जुड़े तमाम विषयों यथा– ऋण, फ़सलबीमा, विपणन आदि की जानकारी देनी होगी।

ऋण एजेंसियां

इस क्षेत्र में बैंकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में कृषि विकास में उत्प्रेरक की भमिका अदा करने में आगे बढ़कर उन्हें किसानों की मदद करनी होगी। महत्वपूर्ण और निर्णायक स्थानों पर शाखाएं खोलकर बैंकों का न केवल वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए बल्कि उन्हें तकनीकी मदद भी उपलब्ध करानी चाहिए। सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना ज़रूरी है। बैंकों और बीमा कंपनियों को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो किसानों के हित में हों। राज्य सरकार को ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए जिससे किसानों को ऋण प्राप्त करने और उसे अदा करने में कोई असुविधा न हो। जागरुकता के लिए प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए।

स्थानीय संस्थाएं

विकेंद्रीकृत विकास के लिए इन संस्थाओं की भागीदारी अनिवार्य शर्त है। ज़मीनी स्तर की इन संस्थाओं को संगठनात्मक और वित्तीय दृष्टि से मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। उनके कार्यों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी कार्यक्षमता का निर्माण इस प्रकार हो कि वे लघु कृषि योजनाओं की नियोजन, क्रियान्वयन, समीक्षा और अनुवीक्षण स्वयं कर सकें।

फ़सल प्रणाली का परिशोधन

भूमि, मृदा, जल, जलवायु बाज़ार, कृषि प्रसंस्करण, मिट्टी एवं जल संरक्षण पर आधारित सूक्ष्म नियोजन की आवश्यकता है ताकि कृषि जलवायु पर आधारित चारों क्षेत्रों में कृषि का भलीभांति विकास हो सके। चारों क्षेत्रों में कम से कम 200 किसानों को इन कार्यक्रमों में सम्मिलित करना आवश्यक है। इस क्षेत्र के विकास के लिए उपर्युक्त कार्यक्रमों पर निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन होना चाहिए। ❑

(लेखकद्वय में से क्रमशः प्रथम मुंबई स्थित ग्रामीण ऋण की अंतरराष्ट्रीय सलाहकार हैं एवं द्वितीय मुंबई में मलाड (प.) स्थित नगीनदास खांडवाला कॉमर्स कॉलेज के उप प्राचार्य हैं।
ई-मेल : dramritpatel@yahoo.com)

उद्यमिता विकास

नगालैंड के आर्थिक विकास में मुख्य मुद्दा

● सुनील कुमार सैकिया

युवा वर्ग में उद्यमिता विकास की भावना लाना एक बड़ी चुनौती है लेकिन इसे किसी अर्थव्यवस्था में बेकारी की समस्या से निपटने में रामबाण माना गया है। इसीलिए उद्यमिता विकास चुनौती भी है और समस्या का समाधान भी। इस लेख में उद्यमिता के विभिन्न पक्षों की व्याख्या करने और यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में और खासतौर से नगालैंड में उद्यमिता विकास के जरिये कैसे समस्याओं से निपटा जा सकता है

किसी राज्य अथवा राष्ट्र के आर्थिक विकास में उद्यमिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बेहतर सेवाएं और माल उपलब्ध कराने तथा संपत्ति सृजन और रोज़गार के अवसर पैदा करने का अचूक साधन माना जाता है। आजकल के संदर्भ में युवावर्ग में उद्यमिता की भावना विकसित करना अपने देश में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि क्योंकि सभी बेरोज़गार युवकों को सरकार रोज़गार देने में असमर्थ है। कार्पोरेट क्षेत्र में सिर्फ़ सीमित अवसर हैं, जो मात्र सर्वश्रेष्ठ लोगों के लिए हैं और उनमें भी निरंतरता का आश्वासन नहीं होता। यही नहीं, यह भी मुश्किल है कि कोई आदर्श काम मिल ही जाए और वह संबद्ध व्यक्ति के रुचि का हो। आजकल रोज़गार के सीमित अवसर होते हैं और साथ ही किसी विकसित अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक उद्यमियों को तभी ठीक काम मिल पाता है, जब उन्हें सही तकनीकें मालूम हों और वे उन अवसरों से लाभ उठाने की क्षमता विकसित कर सकें। इसीलिए उद्यमिता विकास किसी समस्या का समाधान भी है और चुनौती भी। इससे लोगों का पिछड़ापन दूर होता है। उनमें असंतुलन घटते हैं और वे इसके जरिये प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करने में समर्थ होते हैं। इस तरह से रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके जरिये व्यापार ज़ोख़िम उठाया जाता है। संपत्ति की सर्जना की जाती है और व्यक्तिगत तथा मुद्रा संबंधी संतुष्टि मिलती है।

उद्यमिता की अवधारणा का विकास

उद्यमिता जिसके लिए अंग्रेज़ी शब्द इंटरप्रेन्योर इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेंच शब्द इंटरप्रेडर से निकला है, जिसका मतलब है शुरू करना। अगर इसे व्यापारिक संदर्भ में लें, तो इसका मतलब होगा- व्यापार शुरू करना। इसे नवाचारों की शुरुआत और अर्थव्यवस्था में नायक अर्थात नौकरी पैदा करने वाले अर्थ में भी परिभाषित किया जाता है। 16वीं, 17वीं और 18वीं और 19वीं सदी में अर्थशास्त्री इसे ज़ोख़िम उठाने वाले के रूप में परिभाषित करते रहे हैं और वह व्यक्ति मानते रहे हैं जो ब्याज लेकर पूंजी उपलब्ध कराता है और प्रबंधकीय क्षमता वाले व्यक्ति जिससे लाभ उठाते हैं।

20वीं सदी में उद्यमिता की अनेक परिभाषाएं विकसित की गईं। इनमें से एक परिभाषा जिसे महत्वपूर्ण समझा गया वो है जोसेफ ए संपीटर की परिभाषा, जिसे संपीटर्स मॉडल कहा गया। बाद में 1961 में डॉक्टर डेविड मैक्लेलैंड, 1964 में पीटर डकर, 1971 में फ्रैंक नाइट, 1975 में अल्बर्टो सपीरो, 1980 में कार्ल वेस्पर ने परिभाषित किया। 1981 में जिब और रिसे ने, 1983 में रॉबिंस ने, 1984 में रोंसटैंट ने, 1985 में रॉबर्ट हिसरिस ने और 1994 में टिमोंस ने भी परिभाषा दी।

भारत में गायकवाड (1975) और वसंत देसाई (1990) ने देश में उद्यमियों के विकास के कई मॉडल विकसित किए।

भारत में उद्यमिता विकास

भारत में लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जिसे सिएट इंस्टीट्यूट हैदराबाद भी कहा जाता है, ने 1962 में हार्वड विश्वविद्यालय के सहयोग से पहली बार उद्यमिता विकास के प्रयास किए। हार्वड विश्वविद्यालय के डॉ. डेविड मैक्लेलैंड ने 1961 में ट्रेट मॉडल की अवधारणा विकसित की। उन्हें परीक्षण के तौर पर भारत आने और यहां पर यह अवधारणा लागू करने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के

आधार पर सिएट इंस्टीट्यूट के सहयोग से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसे लागू किया। बाद में इसे तमिलनाडु में भी लागू किया गया। (प्रोफेसर डी. नागैया -*पूर्वोत्तर में उद्यमिता विकास)*, लेखक- डी.डी. माली 2000। 1962 से अब तक भारत के अनेक संस्थानों ने समय-समय पर कुछ संशोधनों के साथ इसे अपनाया। इनमें से कुछ अनुभवी संस्थानों के नाम हैं- एमएसएमई/एनआई हैदराबाद (इसे पहले सिएट इंस्टीट्यूट/एनआईएसआईईटी भी कहा जाता था), ईडीआईअहमदाबाद और एनआईईएसबीयूडी, नई दिल्ली (ये दोनों संस्थान 1983 में शुरू किए गए), आईआईई (गुवाहाटी-1994) ये संस्थान भी ट्रायल एंड एरर बेसिस पर नये दृष्टिकोण लागू करते रहे हैं।

भारत में जब औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद उद्यमियों की पहली पीढ़ी पैदा करने की दिशा में ज्यादा गतिशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया, इससे देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर उद्यमिता विकास शुरू हुआ। इन उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अनेक संगठनों ने जो सुविधाएं पेश कीं उनसे शहर के युवकों ने लाभ उठाया लेकिन ग्रामीण युवकों तक उन्हें पहुंचाना एक मुश्किल काम था। स्थानीय संस्थानों/एजेंसियों के सहयोग से ही ऐसा किया जा सकता था। इस मामले में हैदराबाद में एनआईएमएसई, अहमदाबाद के ईडीआई, नोएडा के एनआईईएसबीयूडी और गुवाहाटी के आईआईई को उद्यमिता विकास संस्कृति विकसित करने के काम में शामिल किया गया। राज्य स्तर के अनेक उद्यमिता विकास सस्थानों का भी सहयोग लिया गया ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकसित की जा सके। भारत के विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों ने उद्यमिता अवधारणा पर आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किए।

भारत में फिलहाल 2000 संस्थान, संगठन, मंच एवं एसोसिएशन हैं, जो उद्यमिता विकास के काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों और भारत के प्रबंधन इंजीनियरिंग और वाणिज्य संस्थानों में भी उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। साथ ही, ऐसे आयाम और विशेष क्षेत्र चुने गए हैं, जिनसे उद्यमिता विकास में सहायता मिलती है। इसके अलावा ईडीआई, एनआईईएसवीयूडी, ईएमपीआई बिजिनेस स्कूल, नर्सी मोंजी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आदि ने भी उद्यमिता विकास पर पूर्णकालिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

पूर्वोत्तर में उद्यमिता विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता विकास की अवधारणा सबसे पहले 1973 में तब शुरू की गई थी, जब असम सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. शरत चंद सिन्हा के कार्यकाल के दौरान 'हाफ ए मिलियन जॉब' नाम की एक योजना शुरू की। बाद में इसे एक अलग संगठन ईएमटीसी (इंटरपेंयूरियल मोटीवेशन ट्रेनिंग सेंटर यानी उद्यमिता प्रेरणा प्रशिक्षण केंद्र को सौंप दिया गया) असम सरकार ने सीएट इंस्टीट्यूट हैदराबाद से भी इस प्रशिक्षण केंद्र का सहयोग मांगा, जो मुख्यत: उद्यमिता विकास क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान के काम के क्षेत्र में था। इस संस्थान की 9 शाखाएं खोली गईं। वर्ष 1973 में उत्तर पूर्वी औद्योगिक कंसलटेंसी आर्गनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसे विकासपरक वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि का सहयोग प्राप्त था और जिसने गुवाहाटी में काम शुरू किया। इसका एक प्रमुख काम था उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। 1979 में हैदराबाद के सिएट संस्थान में गुवाहाटी में अपना पूर्वोत्तर केंद्र खोला। 1984 में इसी संस्थान का नाम एनआईएसआईईटी हो गया और 1994 में इसी का नाम बदलकर आईआईई कर दिया गया। 1987 में विकास के लिए काम करने वाले वित्तीय संस्थानों और बैंकों में एक और संगठन की स्थापना की, जिसे पूर्वोत्तर कंसलटेंसी संगठन कहा गया। इसका मुख्यालय इंफाल (मणिपुर) में है। इस संस्था का एक प्रमुख कार्य है- उद्यमिता विकास। इसके अलावा माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमएसएमई/डीआई), नेशनल स्माल इंडस्ट्री कार्पोरेशन (एनएसआईसी), खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) भी इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास के काम में लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में एनआईआरडी, आरजीवीएन, सीएपीएआरटी, अनेक गैर-सरकारी संगठन, औद्योगिक संगठन आदि भी उद्यमिता विकास का काम कर रहे हैं। इसी तरह से कई राज्य स्तर के संगठन भी इस काम में लगे हुए हैं। इनके नाम हैं- उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय (जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र सहित), ग्राम विकास निदेशालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम जैसे- एएसआईडीसी और एआईडीसी (असम), एनआईडीसी (नगालैंड), टीआईडीसी (त्रिपुरा), एमआईडीसी (मेघालय), एमएएनआईडीसीओ (मणिपुर), एपीएसएफडीसी (अरुणाचल प्रदेश), एसआईडीआईसीओ (सिक्किम), आदि तथा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेपलपमेंट, स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन। इस तरह के राज्य स्तर के कार्पोरेशन नगालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा आदि में काम कर रहे हैं और ये उद्यमिता विकास के काम में लगे हुए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई अन्य विकासपरक और वित्तीय संस्थान भी यह काम कर रहे हैं। इनमें केबीआईसी, बीसी (हैंडीक्राफ्ट), एनएसआईसी, एनईआरएएमएसी, एनईएचएचडीसी, स्पाइसेज बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, रबर बोर्ड, क्वायर बोर्ड। एपीडा और एम्पीडा जैसे संगठन भी अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। एसएफसी, एसआईडीवीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, नेडफी और व्यापारिक बैंकों ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानीय उद्यमियों की सहायता के लिए अपनी शाखाएं खोली हैं। अनेक समितियों, मंचों और एसोसिएशनों ने इस क्षेत्र में विचार गोष्ठियां, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और अपनी सिफ़ारिशें केंद्र और राज्य सरकारों को भेजी हैं। इन सभी कोशिशों के बावजूद नतीज़े बहुत धीमें रहे हैं और इनके परिणाम उस प्रकार के नहीं रहे जैसी उम्मीद की गई थी। लेकिन इसके कई अन्य कारण भी बताए जा सकते हैं जैसे- क्षेत्र का भौगोलिक रूप से अलग-थलग होना, सीमित मूल सुविधाएं, वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी आर्थिक सूचनाओं की कमी, बाहर से कड़ी प्रतियोगिता और अधिक उत्पादन लागत इनके कारण भी इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास धीमा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उद्यमिता विकास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।

इस क्षेत्र में कुछ संस्थानों ने उद्यमिता संस्कृति के विकास की कोशिशें की हैं, जिनसे परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन इनके परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई और पूर्वोत्तर तथा अखिल भारत के आंकड़ों की तुलना तालिका-1 में दी जा रही है।

नगालैंड में उद्यमिता विकास

नगालैंड पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में से एक है। अधिकाशंतः यह एक पहाड़ी राज्य है और मुख्य व्यवसाय खेती है। इसकी जनसंख्या का एक छोटा भाग पशुपालन, कपड़े की बुनाई, लौहशिल्प, हस्तशिल्प और ऐसे ही कामों में लगा हुआ है। यह राज्य प्रमुख रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला है और इसकी 82.26 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। पिछले दशक के दौरान जहां प्रारंभिक क्षेत्र का हिस्सा कम हुआ है। वहीं अन्य क्षेत्रों का बराबर विकास हुआ है। इसका कारण यह है कि खेती के अलावा फुटकर व्यापार और सार्वजनिक प्रशासन में सबसे ज्यादा रोज़गार के अवसर पैदा हुए। राज्य के इंप्लाइमेंट के रजिस्टरों के अनुसार फिलहाल 66 हज़ार से ज्यादा युवक बेरोज़गार हैं। यह राज्य में रोज़गार की स्थिति का एक बहुत छोटा अंश है जो 6.5 प्रतिशत के आसपास है। नगालैंड में बेरोज़गारी बढ़ रही है लेकिन अपना काम-धंधा शुरू करने का हिस्सा भी बढ़ रहा है। एनएसएसओ द्वारा जारी नगालैंड के रोज़गार संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य के हर 1,000 पीछे 596 यानी 60 प्रतिशत परिवार अपने काम-धंधे में लगे हुए हैं, जिसमें खेती भी शामिल है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 44 प्रतिशत लोग नियमित वेतनभोगी हैं और 43 प्रतिशत आबादी स्वयं के रोज़गार में लगी हुई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्व रोज़गार के संबंध में बात करें तो हर 1,000 पीछे 565 लोग खेती में और 8 लोग गैर-खेती क्षेत्र में लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रति 1,000 पीछे 305 परिवार अपना खुद का काम-धंधा चला रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर भाग स्वरोज़गार, बेकरी, फास्ट फूड, जलपान गृह, होटल रिसॉर्ट, कार रेंटल, पर्यटन, पत्थर तोड़ने और इसी तरह के अन्य व्यापारों में लगा हुआ है। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। इसमें मरम्मत और सर्विसिंग शामिल है। घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, मोबाइल, फोटोग्राफी, कार मरम्मत आदि जैसे उद्योग भी लोकप्रिय हैं। उच्च टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर और इलेक्ट्रोनिक उपकरण की मरम्मत भी इसी में शामिल है। वेबसाइट का विकास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर एकाउंटिंग, डीटीपी आदि के काम में भी लोग लगे हुए हैं। निर्माता क्षेत्र में बढ़ईगीरी, फर्नीचर बनाने, हस्तशिल्प, रबर के सामान बनाने आदि का काम लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि समग्र रूप से देखा जाए तो राज्य के आर्थिक विकास में स्व-रोज़गार एक बड़ा धंधा बना हुआ है लेकिन उद्यमिता के अभाव के चलते संभावित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। हाल की घटनाओं से सिद्ध हुआ है कि युवा वर्ग व्यापार (11 प्रतिशत) होटल और रेस्तरां उद्यम (3 प्रतिशत), परिवहन उद्यम (दो प्रतिशत), निर्माण (एक प्रतिशत) में भी लगे हुए हैं। इन उद्यमों में राज्य की 18 प्रतिशत जनशक्ति लगी हुई है।

नगालैंड के योजना विभाग के अनुसार पिछले दो वर्षों में (2010 से 2012 तक) लगभग 3 हज़ार नगा युवकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया। नगालैंड सरकार इन प्रशिक्षार्थियों की सहायता कर रही है और उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इन प्रशिक्षणार्थियों की सहायता के लिए नगालैंड सरकार ने 10 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज़ भी शुरू किया है जिसके अंतर्गत युवा वर्ग को क्षमता विकास उपाय के लिए सहायता दी जाती है।

हालांकि नगालैंड के युवा वर्ग की राज्य सरकार ने सहायता की है। लेकिन निर्माता क्षेत्र में वह उनकी ज्यादा सहायता नहीं कर पा रही है। वह उनकी क्षमता निर्माण में विफल रही है और जीवंत जनशक्ति से लाभ नहीं उठा सकी है। यही कारण है कि बेरोज़गारी की समस्या राज्य में बढ़ रही हैं। बड़ी संख्या में युवक-युवतियां विश्वविद्यालयों से पढ़कर बाहर आ रहे हैं और उन्हें रोज़गार के अवसर नहीं मिल पा रहे है। जो शिक्षित युवा वर्ग की बेरोज़गारी का कारण बन रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी विकास में औद्योगीकरण की अभिन्न भूमिका होती है। लेकिन इस राज्य का दूरदराज में स्थित होना, राज्य में सड़कों और बिजली जैसी मूल सुविधाओं की कमी तथा परंपरागत कानून जिसके अंतर्गत किसी बाहरी व्यक्ति को भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती, औद्योगीकरण में आड़े आ रही है। इन मुश्किलों के बावजूद राज्य में औद्योगीकरण के प्रयास चल रहे हैं। तुली में एक कागज़ मिल फिर शुरू की गई है। यह पिछले 15 वर्षों में रुग्णावस्था में थी। इसमें प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन से लेकर 200 मीट्रिक टन तक कागज़ बनाया जा सकता है, जिससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। उद्योगों के विकास के लिए मूल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। बांस की चीज़ें

तालिका-1

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अखिल भारत एमएसएमई

राज्य का नाम	एमएसएमई की कुल संख्या	अचल निवेश (करोड़ रुपये में)	उत्पादन (करोड़ रुपये में)	रोज़गार
अरुणाचल प्रदेश	1411	34.17	69	4,330
असम	2,19,092	1,287.39	4,907	4,87,871
मणिपुर	25,283	403.67	703	1,53,715
मेघालय	54,101	164.45	481	75,607
मिज़ोरम	12,529	139.89	207	28,622
नगालैंड	15,623	378.55	650	66,466
सिक्किम	415	12.60	44	1,580
त्रिपुरा	27,448	329.27	461	62,861
पूर्वोत्तर का जोड़	**3,56,002**	**2,749.99**	**7,412**	**8,81,052**
अखिल भारत का जोड़	**119.50 लाख**	**1,78,699.00**	**4,18,263**	**282.57 लाख**

आंकड़े वर्ष 2004-05 के हैं।

बनाने को भी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके लिए नगालैंड सरकार ने 2004 में एक नगालैंड बांस नीति अपनाई है।

हस्तशिल्प और हस्तकरघा क्षेत्र में भी रोज़गार की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य में भारी मात्रा में कच्चा माल और कुशल श्रम उपलब्ध है। इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जिनके अंतर्गत तैयार माल विश्व के बाज़ारों तक पहुंचाया जा सकता है और इस प्रकार से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

ठीक-ठाक तरीक़े से राज्य में उद्यमिता विकास शुरू करने के लिए नगालैंड सरकार ने अनेक क्षमता निर्माण उपाय शुरू किए हैं। इनमें 2010-11 को उद्यमी वर्ष के रूप में मनाना शामिल है। आईआईई को 1,000 नगा युवकों को प्रशिक्षित करने का काम भी सौंपा गया था।

नगालैंड में उद्यमी वर्ष मनाए जाने से पहले एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने के भी उपाय किए गए। इसके लिए आईआईई ने दीमापुर में वर्ष 2005-06 के दौरान बांस और बेंतो पर आधारित उद्योग शुरू किए। शुरू-शुरू में सिर्फ़ 18 स्वयं सेवक सामने आएं लेकिन बाद में बड़ी संख्या में लोग इनमें शामिल हुए और उनकी संख्या समय बीतने के साथ बढ़ती गई। बाद में इस प्रकार के उद्यमिता विकास के प्रयास राज्य के आठ और जिलों में शुरू किए गए। इनके नाम हैं- दीमापुर, कोहिमा, लोंगलेंग, मोन, मोकोकचुंग, जलूकी, फेक और जुन्हेबोतो। इनके जरिये अनेक कारीगरों को बेंत और बांस क्षेत्र में सहायता दी गई। उनके माल के वितरण के इंतजाम किए गए और उनके उत्पादों का उच्चीकरण किया गया।

एक और क्षेत्र जिसमें नये प्रकार के अभियान शुरू किए गए, वह था ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम। इसे दीमापुर नगालैंड में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईई ने 97 छोटी यूनिटें शुरू की, जिनमें 87 को बैंकों से वित्तीय सहायता मिली और 10 में उद्यमियों ने अपना पैसा लगाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 900 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आईआईई में वित्त वर्ष 2011-12 तक 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करके 1247 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया। ऐसे ही अन्य संगठन हैं जो उद्यमिता विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और युवा वर्ग को सूचना मार्गदर्शन, अन्य प्रकार की सहायता देकर उद्यमिता के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे है।।

नगालैंड राज्य धीरे-धीरे मगर पक्के तरीक़े से उद्यमिता विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वह रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके जरिये स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे लोगों के पिछड़ेपन में कमी आ रही है और क्षेत्रीय असंतुलन खत्म हो रहा है तथा यह क्षेत्र भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था की तरह विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि क्षेत्र में मूल सुविधाओं का विकास किया जाए और उद्यमिता विकास की गति बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालन तेज़ किया जाए। ❑

(लेखक भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी में उद्यमिता विकास एवं प्रबंधन विभाग के प्रमुख हैं।

ई-मेल : drsaika@yahoo.com)

ENGLISH
By
Muntosh Mishra "भारत"
UPSC (CSAT)
English Comprehension के लिए special और
Completely separate Batch December के प्रारंभ में
UPSC/CPF/Bank PO/SSC/CDS
NDA/LIC/TGT/PGT/DSSSB/NET
Other descriptive examinations
• 7 days' classes free
• Vocabulary के लिए आधे घंटे हर दिन
• Practice sets+Previous years' के Questions का solution
• मात्र 2-3 महीने में English की किसी भी competition के लिए पूर्ण तैयारी
• Printed, updated study materials
• UPSC, PO और SSC के लिए Separate Batches
• English में लिखना सिखाने पर विशेष ध्यान
अगर आपको लगता है कि आपकी ENGLISH
बहुत कमजोर है तो FREE TRIAL CLASSES जरूर लें।
Satisfaction नहीं होने पर Fees 45 दिनों में कभी भी वापस
दोबारा classes लेने पर कोई शुल्क नहीं
THE WELL™
sanctum of success
308, Top floor, Jyoti Bhawan in front of Post Office,Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi
Mo.09811141396, 09899324319 email- thewell4english@gmail.com
YH-207/2012

पर्यटकों का उभरता गंतव्य - नगालैंड

● संदीप बनर्जी

नगालैंड पहाड़ी इलाक़ों वाली एक संकरी पट्टी वाला राज्य है जो असम के पूर्व में स्थित है। यह म्यामां से पश्चिम पड़ता है। नगालैंड भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। पूर्वोत्तर के पड़ोसी राज्यों में - इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर है। मुख्य रूप से यह एक जनजातीय राज्य है और प्रकृति इस पर बहुत मेहरबान रही है। इसे पूर्वोत्तर का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस राज्य में कई हरी-भरी घाटियां, पानी से लबालब बहते नाले, ऊंची पहाड़ियां, कई दुर्गम क्षेत्र और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। किसी भी प्रकृति प्रेमी पर्यटक के लिए यह एक आदर्श गंतव्य बन सकता है।

इस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है और यहां के लोग 16 जनजातीय कबीलों से संबंध रखते हैं। इन सबकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। हर एक की अपनी भाषा है, अपने रीति-रिवाज हैं, अपनी परंपराएं हैं और ये भारत के अन्य लोगों से बिल्कुल भिन्न प्रकार की हैं, जिन्हें देखकर मन मुग्ध हो जाता है। दीमापुर यहां का व्यापारिक नगर है और नगालैंड का यही एक शहर है, जो रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। नगालैंड का उल्लेख महाभारत में आता है। माना जाता है कि भीम ने दीमापुर का भ्रमण किया था और यहीं पर उन्होंने हिडिंबा से विवाह किया था, जो एक महान कछारी परिवार की थी। इस बात को देखते हुए दीमापुर की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान है। कोहिमा नगालैंड की राजधानी है जो एक पर्वतीय नगर है और यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध की ऐतिहासिक कब्रिस्तान मौजूद है।

हालांकि नगालैंड में एक पर्यटक गंतव्य बनने के सभी गुण मौजूद हैं फिर भी यह राज्य काफी समय तक पर्यटकों से अछूता रहा, क्योंकि यहां पहुंचने के साधन सुलभ नहीं थे, मूल सुविधाओं का अभाव था और इस राज्य पर 'अशांत क्षेत्र' होने का तगमा लगा हुआ था। इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। जो लोग यहां आते भी थे, वे पूर्व धारणाओं और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर आते थे। यह राज्य कितना भी सुंदर और प्राकृतिक दृश्यों वाला रहा हो, लेकिन पर्यटकों को इसकी जानकारी नहीं थी और न ही इस राज्य के अनोखेपन के बारे में लोगों को कुछ मालूम था।

दशकों तक परस्पर अविश्वास और नासमझी के शिकार रहे नगालैंड में अब निश्चय ही सामान्य स्थिति बहाल हो चुकी है। इसके साथ ही अब यह राज्य एक संभावित पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर रहा है और यहां पर्यटन स्थल पर निवेश भी ज़ोर पकड़ रहा है। अतीत में यहां अशांति रही है जो इस बात के लिए सराहना की पात्र होगी कि इसी के कारण यहां का मूल प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा बरक़रार है और यह क्षेत्र अब समग्र रूप से समझदारी और शांति का क्षेत्र बन चुका है। अब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में तेज़ी से आर्थिक प्रगति हो रही है और यहां से होकर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक गलियारे के निर्माण की कोशिश हो रही हैं। इसके कारण नगालैंड अब आर्थिक समृद्धि के कगार पर है। इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारें जिन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास में हैं, उनमें पर्यटन सबसे ऊपर है, क्योंकि यह ऐसा उद्योग है जो पर्यावरण हितैषी और प्रगति पथ पर तेज़ी से बढ़ने वाला है। यहां किसी भी यात्री के देखने के लिए अनेक स्थान है, जिनसे वह स्थानीय संस्कृति का आभास पा सकता है। साथ ही, निवेशकों के लिए यहां स्वर्णिम अवसर उपलब्ध हैं जो नगालैंड पर्यटन उन्हें प्रदान करता है। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि उद्यमी यहां आएं और निवेश करें। हाल ही में नगालैंड सरकार भी अपने पर्यटन निदेशालय के जरिये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पर्यटन निदेशालय इस राज्य में पर्यटन संवर्धन की नोडल एजेंसी है और यह सिर्फ़ सरकार का एक अंग ही नहीं, बल्कि अत्यंत प्रयत्नशील कार्यालय है और अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूक है। यह निदेशालय संभावित निवेशकों को आकर्षित करने की सभी कोशिशें कर रहा है और उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। यहीं नहीं, यह निदेशालय मूल सुविधाओं के विकास और विपणन तथा संवर्धन अभियानों को संचालित करने में बहुत रुचि ले रहा है और इनसे पर्यटन के प्रति जन-जागृति पैदा हो रही है। यह निदेशालय पहले ही राज्यभर में विभिन्न स्थानों पर अनेक पर्यटन निवास और अतिथिशालाएं बना चुकी है, जिनसे पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं।

नगालैंड सरकार इस राज्य को सांस्कृतिक, जातीय, एडवेंचर और प्राकृतिक पर्यटन के गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा रही है। एम्यूजमेंट पार्क, रोपवे और बड़ी संख्या में रिसॉर्ट और होटल बनाने की योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, ताकि पर्यटकों के लिए सभी मूल सुविधाएं जुटाई जा सकें। फिलहाल राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसके लिए उसने एक अनोखी सांस्कृतिक विरासत की छवि बनाई है। सरकार

ने एक मॉडल विकसित किया है, जिसके अनुसार सभी गांव, संचार और संपदाओं के जरिये अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। सरकार ने एक ग्राम पर्यटन बोर्ड स्थापित किया है, जिसकी देखरेख में ग्रामवासी अपने गांव में पर्यटकों को आकर्षित करके आय में वृद्धि कर सकेंगे। इस मॉडल के तीन उद्देश्य रखे गए हैं। ये हैं- राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन तथा नगालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और पर्यावरण तथा रोमांचक पर्यटन का केंद्र बनना। इसके लिए इस समय राज्यभर में अनेक विचारगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं तथा मानव संसाधन विकास संबंधी अन्य प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई पर्यटक किसी गांव में प्रवेश करता हैं, उसे ट्राइबल कोड ऑफ ऑनर दिया जाता है। पर्यटकों को हर तरह की मेज़बानी और सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें पूरे गांव का अतिथि और मित्र माना जाता है। पूरे ग्राम समुदाय का स्नेह पाकर पर्यटकों को पूरा भरोसा हो जाता है कि अतिथि के रूप में उनसे किसी तरह के दुर्व्यवहार की अशंका नहीं है। असलियत यह है कि हर अतिथि, गांव की परंपरागत सांस्कृतिक गतिविधियों और भोजन बनाने में हाथ बंटा सकता है। इसके लिए वह मेज़बान की पाक कला से लाभ उठाते हुए स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल कर सकता है। यह मॉडल नगालैंड आने वाले विदेशी पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय हो चुका है। इस मॉडल के अंतर्गत राज्य सरकार अनेक गांवों को रूरल टूरिज्म के लोकप्रिय गंतव्यों के रूप में प्रचारित करती रही है। लोंगखुम, उंगमा, जुलेकी, पोइलवा और अन्य गांव जो दक्षिण में अंगामी क्षेत्र के रास्ते में पड़ने वाली प्राकृतिक रूप से सुंदर जूकू घाटी के मार्ग पर पड़ते हैं, पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं। राज्य की राजधानी कोहिमा के नज़दीक स्थित गांव खोनोमा अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए मशहूर है। इसके पास ही स्थित सीढ़ीनुमा खेतों में विभिन्न ऊंचाइयों पर धान की 20 किस्में उगाई जाती हैं। देखने में ये खेत अनोखी छटा प्रस्तुत करते हैं। पास ही स्थित खोनोमा गेट नगा पहाड़ियों में अंग्रेज़ों के प्रवेश की याद दिलाते हैं। आस-पास के गांवों के लोग ऐसी मूल सुविधाओं की योजनाएं बना और उन्हें संचालित कर रहे हैं कि पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए वे विभिन्न प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। इसके लिए तीन पर्यटक केंद खोले गए हैं, जिनमें से एक वंखोशुंग (वोखा जिले में) दूसरा और तीसरा इनपुर और मुलुंगिनसेन (दोनों मोकोकचुंग जिले में) चल रहे हैं, जिनके लिए मूल सुविधाएं सुदृढ़ की जा रही हैं।

नगालैंड में राज्य पयर्टन नीति 2001 जब से अमल में आई और तब से इसके अंतर्गत राज्य में पर्यटन का विकास किया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों को इस राज्य में आने के लिए रेस्टिक्टेड एरिया परमिट/प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। राज्य पर्यटन नीति के अंतर्गत रेस्टिक्टेड एरिया परमिट लेने की प्रक्रिया पहले आसान बनाई गई और एक जनवरी, 2011 से इसे समाप्त कर दिया गया। नये नियमों के अंतर्गत अब सभी विदेशी पर्यटकों को जिले के स्थानीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आगमन के 24 घंटे के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के नागरिकों के लिए रेस्टिक्टेड एरिया परमिट/ प्रोटेक्टेड एरिया परमिट अब भी लागू नहीं है। 2001 की पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यटकों को परमिट लेने की इस शर्त के कारण राज्य में पर्यटकों का आगमन धीमा रहा है, लेकिन पर्यटकों के आगमन में हर साल धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। हालांकि नगालैंड आने वाले घरेलू पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट लेना अब भी ज़रूरी है। कुछ भी हो, लेकिन शिलांग मुख्यालय वाले गैर-सरकारी संगठन इंपल्स नेटवर्क और राज्य के नागरिक इस बात से खुश हैं कि अब पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन, इसके साथ ही वे पर्यटकों की सुरक्षा और उत्तरदायी पर्यटन को लेकर भी सतर्क हैं कि इनके कारण स्थानीय आबादी को किसी तरह की समस्या न हो और पर्यटकों के कारण वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी बुराइयां पैदा न हों। नगालैंड एक जनजातीय राज्य है और यहां के अधिकांश नागरिक सीधे-सादे और औसत ग्रामीणों की तरह हैं। वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। उनका कहना है कि पर्यटकों के लिए भी एक आचरण-संहिता होनी चाहिए जिसे मौजूदा पर्यटन नीति में शामिल किया जाए ताकि राज्य से सख्त संदेश भेजा जा सके और राज्य की छवि एक पर्यटनहितैषी राज्य की हो।

आज नगालैंड में विदेशी और घरेलू सभी तरह के पर्यटकों का आगमन हार्नबिल वार्षिक उत्सव के दौरान देखा जा सकता है। नगा जनजीवन में नृत्य और संगीत का बहुत महत्व है। यहां हर उत्सव के अपने रंग हैं। उत्सव के मौके पर नृत्य और भोज खास बातें हैं। देसी और स्थानीय वाद्ययंत्रों के जरिये संगीत प्रस्तुत किया जाता है। कुछ खास उत्सवों

के नाम हैं- वसंत ऋतु में होने वाला आओ लोगों का मुआत्सु उत्सव, फरवरी के आखिर में पड़ने वाला अंगामी नगाओं का सेक्रेनऐनी उत्सव, अप्रैल में पड़ने वाला फोम लोगों का मोनयू उत्सव और नवंबर के शुरू में आयोजित किया जाने वाला लोथा लोगों का तोखूएमोंग। ये सभी उत्सव पर्यटकों में लोकप्रिय हैं। राज्य सरकार और पर्यटन निदेशालय इन उत्सवों को प्रचारित करके बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन जिन पर्यटकों के पास खाली समय होता है वे ही राज्य के इन विभिन्न उत्सवों का आनंद उठा पाते हैं। आम पर्यटक जो समयबद्ध तरीक़े से आयोजित पर्यटन दौरों पर इस राज्य में आते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने हर साल सात दिन का एक नगा संस्कृति कैप्सूल तैयार किया है जो राज्य में हार्नबिल उत्सव के नाम से मशहूर है। इस उत्सव का नाम प्रसिद्ध भारतीय पक्षी हार्नबिल के नाम पर रखा गया है, जिसकी नगालैंड में भी बहुत मान्यता है। इस उत्सव का पहली बार आयोजन वर्ष 2000 में किया गया था। तब से एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका है और यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रमुख साधन बन गया है। यह उत्सव हर साल पहली दिसंबर से शुरू होता है। इसी तारीख़ को 1963 में नगालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। यह उत्सव हर साल नगा हेरिटेज गांव किसामा में आयोजित किया जाता है। यह गांव राज्य की राजधानी कोहिमा से क़रीब 12 किमी. दूर है। पिछली बार वर्ष 2001 में इस समारोह में लगभग एक लाख पर्यटक पहुंचे थे। इंग्लैंड, पोलैंड, इजराइल, जापान, थाइलैंड, अमरीका, इटली, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, हालैंड, बेल्जियम, म्यामां, वियतनाम और लाओस जैसे दूरदराज के देशों से यह उत्सव देखने पर्यटक किसामा पहुंचे थे। इस उत्सवों में नगालैंड की संस्कृति, नृत्य, कला, संगीत और परंपरागत खेल और रीति-रिवाज़ के अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के संगीत और नृत्य की झलक भी प्रस्तुत की गई। इस तरह से यह उत्सव सिर्फ़ नगालैंड का ही नहीं, बल्कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, नृत्य और संगीत का एक उदाहरण बन गया। इसने इन राज्यों के विभिन्न क़बीलों में सांस्कृतिक एकता की भावना पैदा की।

नगालैंड की प्राकृतिक सुंदरता, उसकी वनस्पतियां और जीवन शैली, लोगों का इतिहास और सांस्कृतिक विविधता तथा प्राचीन परंपराएं, अनेक नृत्य शैलियां, संगीत, हस्तशिल्प आदि मिलकर इस राज्य को पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक बना देती हैं। यह क्षेत्र वनस्पतिशास्त्र के हिसाब से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यहां अनेक प्रकार के पशु-पक्षी और वनस्पतियां पाई जाती हैं। अनेक दुर्लभ पौधे मिलते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में अभी तक विवरण प्राप्त नहीं था। नगालैंड में 360 किस्म के फलों के वृक्ष पाए जाते हैं। यहां पर रोडोडेंड्रोन वृक्ष पाया जाता है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे पेड़ के रूप में *गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स* में दर्ज़ है। इसी बात का लाभ उठाते हुए राज्य सरकार ने राज्य की वनस्पतिशास्त्रीय समृद्धि को रोडोडेंड्रोन ट्रेल और ऑर्चिड ट्रेल नाम से जोड़कर वनस्पतिशास्त्रीय पर्यटन शुरू किया है। यहां के गाइड जंगल में इन वृक्षों और उनके पर्यावरण संबंधी महत्व से परिचित हैं। नगालैंड ट्रेकर्स पैराडाइज है और जूकू घाटी के आस-पास गर्म सोतों के नज़दीक ट्रेकिंग करने लोग पहुंचते हैं। पर्यटन निदेशालय ट्रेकर्स को ज़रूरी उपकरण और तंबू आदि उपलब्ध कराता है। इसके कारण नगालैंड में पर्यटकों का आगमन बहुत बढ़ गया है।

पर्यटन विभाग ने अपनी अलग से वेबसाइट शुरू कर दी है और नगालैंड के पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार कर रहा है। इसके लिए विशेष प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भी नगालैंड सरकार की बहुत सहायता की है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की तरह नगालैंड के बारे में भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार अभियान चलाया है। इससे वर्तमान समय में नगालैंड को बहुत लाभ हो रहा है। राज्य की तरफ से देश-विदेश में आयोजित होने वाले पर्यटन मेलों में विशेष पंडाल लगाए जाते हैं। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में मानव संसाधन विकास पर खूब ज़ोर दिया जा रहा है जिससे अधिक संख्या में कुशल जनशक्ति उपलब्ध है। इसी तरह से जहां हर क्षेत्र में अच्छी प्रगति की गई है, वहीं मूल सुविधाओं की गुणवत्ता भी सुधारी जा रही है, जो पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रमुख साधन है।

बहुत दिनों तक नगालैंड की छवि ऐसी रही है कि उसका जिक्र उठते ही मन में एक अशांत क्षेत्र की छवि उभरती थी। लेकिन अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस राज्य में निश्चय ही परिवर्तन की बयार बह रही है। बीते दिनों की घटनाएं अब नेपथ्य में चली गई हैं। आज नगालैंड भविष्य की ओर देख रहा है और वह खुले मन से पर्यटकों को अपनी उस सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि की ओर आकर्षित कर रहा है, जो उसकी पहचान है। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।
ई-मेल : sandbane@gmail.com)

IAS

दीक्षांत

PCS

सा. अध्ययन & CSAT

by

DIKSHANT TEAM

नया बैच हेतु | निःशुल्क कार्यशाला | 11 DEC. 11 AM

PT TEST SERIES

From 9 DEC.

GS - 36 Test	by	DIKSHANT TEAM
CSAT - 20 Test	by	Anil Srivastava & Dhrub Singh के निर्देशन में

समाजशास्त्र

by

DR. S. S. PANDEY

नया बैच हेतु | निःशुल्क कार्यशाला | 11 DEC. 10 AM

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

SOCIO MAINS	SOCIO PT	GS MAINS	GS PT	CSAT	GS PT + MAINS
Rs. 8000/-	Rs. 5000/-	Rs. 8000/-	Rs. 5000/-	Rs. 4000/-	Rs. 10000/-
• Study Material	• Study Material	• Study Material	• Study Material	• Study Material	• Study Material
• Class Notes	• Class Notes	• Class Notes	• Class Notes	• Class Notes	• Class Notes
• 6 Tests (Mains)	• 10 Tests (PT)	• 6 Tests (Mains)	• 12 Tests (PT)	• 10 Tests (CSAT)	• Test (6 + 12)

Please Send DD in favour of Dikshant Education Centre, payable at Delhi with 2 Passport Size Photographs.

TATA Mc Graw Hill से प्रकाशित पुस्तकें

PT + MAINS SPECIAL PROGRAMME

• नवीन घटनाओं एवं नवीन सैद्धांतिक विकास के साथ सम्बद्ध करते हुए अध्यापन • प्रश्नोत्तर परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें संभावित प्रश्नों के उत्तरों की रूपरेखा पर चर्चा एवं UPSC में पूछे गए 10 वर्षों के प्रश्नों की समीक्षा • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राजनैतिक, आर्थिक, समसामयिक व सामाजिक विषयों की तैयारी हेतु विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था • PCS परीक्षा हेतु विशेष कक्षा कार्यक्रम • Current Affairs और सामान्य ज्ञान अभिवर्धन पर विशेष बल • NCERT, India Year Book, Economic Survey, Hindu आदि पर आधारित परीक्षण व्यवस्था • त्रिस्तरीय जांच परीक्षा- 1. Daily Class Test, 2. Unit Wise Test, 3. Test Series

हमारे संस्थान के सफल छात्र

Dikshant Education Centre

303-309-310, Jaina Building Extension, Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09, Ph.: 011-47082542, 47082542, 9868902785, email: dikshantias2011@gmail.com

YH-202/2012

उत्सवों की भूमि : नगालैंड

● अमिताभ रे

दिसंबर के महीने में आप नगालैंड या खास कर कोहिमा में हों। कोहिमा से महज 12 किमी. की दूरी पर ही है किसामा गांव। यहां पहुंचते ही आप पहुंच जाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी धनेश उत्सव में। धनेश उत्सव नगालैंड सरकार द्वारा नयी सहस्राब्दी के पहले साल में शुरू किया गया था। तब से यह उत्सव हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाला यह उत्सव हर नगालैंड वासी को एक सूत्र में बांध देता है और एक मेले में परिवर्तित हो जाता है, जहां राज्य के हर कोने से और पड़ोसी राज्यों से आए लोग जुटते हैं और रंगीन प्रस्तुतियों में हिस्सा लेते हैं। यहां शिल्प, खेल, खाद्य मेले, पारंपरिक खेल और रस्मों-रिवाज़ों का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। मेले में पारंपरिक कला जैसे- हाथों से बनाई पेंटिंग, काष्ठशिल्प और मूर्ति शिल्प का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा मेले में लोग फूल प्रदर्शनी, सांस्कृतिक समागम, गीत, नृत्य, फैशन शो, सौंदर्य प्रतियोगिता, पारंपरिक तीरंदाजी, नगा पहलवानी, आदिम खेल और संगीत समारोहों का आनंद लेते हैं। यहां कई अद्भुत खेल जैसे- तेल चुपड़े बांस के खंभों पर चढ़ना और 'नगा राजा' मिर्च खाने की प्रतियोगिता आदि के प्रति लोगों का खासा रुझान देखने में आता है। यहां देसी जड़ी-बूटियों की दवाओं की दुकानों पर भी भारी भीड़ होती है।

विभिन्न जनजातियों और उपजातियों की पारंपरिक जनजातीय संस्कृति का आनंद लेने के बाद यदि आपको ऐतिहासिक स्थलों में रुचि है, तो आप कोहिमा युद्ध स्मारक की यात्रा कर सकते हैं। युद्ध स्मारक द्वितीय विश्वयुद्ध में शहीद हुए सिपाहियों की याद में बनाया गया है। यहां लगभग 1,100 सौ ब्रिटिश और 330 भारतीय सिपाहियों को दफ़नाया गया है।

बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाने वाला यह धनेश उत्सव नगालैंड के पारंपरिक त्योहारों की रीतियों से थोड़ा अलग है। यहां उन रीतियों का पालन नहीं किया जाता, जो स्वाभाविक तौर पर गांवों के त्योहारों में देखने में आते हैं। खासकर साल के विशेष समय पर मनाए जाने वाले त्योहारों के रीति-रिवाज़ों से अलग, जिन्हें पूरा गांव मिल कर मनाता है। धनेश उत्सव में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यहां उन्हीं रीति-रिवाज़ों को शामिल किया जाए, जिसका आनंद राज्य के बाहर से आए पर्यटक भी ले सकें। यह उत्सव उल्लास और गर्व का प्रतीक है। संभव है कि उत्सव में जिस किसी एक गांव को प्रदर्शन का अवसर मिले, दूसरी बार उसका नंबर चालीस-पचास साल या उसके बाद ही आए। प्रतिवर्ष एक गांव एक जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि आओ और अंगामी जैसी बड़ी जनजातियों के कई गांव हैं, इस लिहाज से उन्हें किसामा में प्रदर्शन के लिए काफी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है।

नगालैंड को 'उत्सवों की भूमि' कहा जाता है। राज्य की 16 बड़ी जनजातियों और उप जनजातियों की अपनी विशिष्ट

सांस्कृतिक परंपराओं के पालन की अपनी विधि है, जिसे वे कला प्रदर्शनों के माध्यम से नगा उत्सवों में प्रकट करते हैं। राज्य की अस्सी फीसदी आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं और इनमें से अधिकतर उत्सव कृषि कर्म से ही जुड़े हुए हैं। संपदा से पूरित और भरपूर प्राकृतिक सुषमा के वरदान से युक्त नगा लोग प्रकृति के इस वरदान का जीभर कर आनंद उठाते हैं और उन्हें लोगों की भरपूर प्रशंसा भी मिलती है। नगाओं के त्योहारों की विशिष्टता यह है कि वे ईसाइयत के गुणों के साथ पहचाने जा सकते हैं। बावजूद इसके स्थानीयता, परंपराएं और संवेदनाओं की तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती।

मोऊ जिले की कोन्याक जनजातियों द्वारा मनाया जाना वाला आओलेंग मॉन्यू त्योहार फ़सल बोने के बाद मनाया जाता है। आओलेंग ली मार्च-अप्रैल के महीने में यह त्योहार छह दिन तक मनाया जाता है। इसमें यंगवां और काहशिह नामक देवताओं की प्रार्थना की जाती है और उनसे अच्छी सेहत, सुरक्षा, अच्छी पैदावार और वंश वृद्धि की कामना की जाती है। इसके बाद स्थानीय व्यंजन जैसे- पाउंड, चॉप, हंडिया और सूअर का मांस परोसा जाता है। इस दौरान मछली मारना, शिकार करना, खेल, गायन और नृत्य आम दृश्य होते हैं। पहले में यह त्योहार सगाई और शादियां तय करने का माध्यम भी हुआ करता था।

बुशू आठ दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जो दीमापुर जिले की कचारी जनजातियों द्वारा जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। कचारियों के लिए बुशू आत्मा का संगीत है। इस त्योहार के दौरान कचारी लोग खूब गाते हैं, नाचते हैं और शादियां रचाते हैं। इस दौरान बुजुर्गों के सम्मान की परंपरा भी निभायी जाती है। पूरे त्योहार के दौरान बैगपाइपर की तरह एक वाद्य 'मुरी' बजाया जाता है।

पारेन जिले की जेलियांग के नाम से जानी जाने वाली जेमेन लियांगमई जनजाति फ़सल बुवाई के बाद हर साल मार्च और अक्तूबर महीने में मेलिंगी नचेगानखिया नामक त्योहार मनाती हैं। गांव के पुजारी के मंत्रोच्चार एवं आग जलाने के साथ उत्सव शुरू होता है, जो शत्रुओं और जंगली जानवरों से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। गांव वाले इस अग्निपिंड से अपने-अपने घर आग ले जाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। त्योहार के दौरान महिलाओं को बुनाई और घरेलू कामों जैसी दिनचर्या से थोड़ी निजात मिल जाती है। त्योहार परिवार के लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का भी अवसर देता है। इस दौरान उपहारों का आदान-प्रदान, सामुदायिक भोज का आयोजन, पीने-पिलाने का दौर और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। इसके साथ-साथ युवा अविवाहित पुरुष पारंपरिक रीतियों के अनुसार जंगलों में शिकार करने जाते हैं और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर अपनी महिला साथी को रिझाने की कोशिश करते हैं।

त्युयेनसांग और किफिरे जिले की यिंमचुंगरू जनजाति मेटुम नियो त्योहार मनाती हैं। फ़सल से जुड़ा यह त्योहार आठ अगस्त से शुरू होकर पांच दिनों तक चलता है। स्थानीय मान्यता है कि हडिया पेय का सेवन करने वाले देवता अरिंपु यह चाहते हैं कि लोग फ़सल से जुड़े कामों से पांच दिन का अवकाश लें। पुजारी द्वारा उत्सव की घोषणा के बाद एक हृष्ट-पुष्ट पशु की बलि दी जाती है। मांस गांववालों में वितरित होता है। यह त्योहार आपसी शत्रुता भूल कर मित्रता बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और इसके लिए खेल, गायन और नृत्य का आयोजन किया जाता है।

पारेन जिले की कुकी जनजातियों का विश्वास है कि राक्षसों का अधोलोक पर राज है और कुकी धील्हा नामक राक्षस को प्रसन्न रखना ज़रूरी है। जनवरी के महीने में कुकी जनजाति राक्षसों को प्रसन्न करने के लिए मिमकुट उत्सव का आयोजन करती हैं। दो सफेद मुर्गे की बलि से यह उत्सव शुरू होता है। त्योहार शुरू होने से पहले वे गांव, खेत-खलिहान, जलाशयों आदि की सफ़ाई करते हैं। त्योहार के दौरान गांव के युवा एक सामुदायिक शयनागार 'फान' में निवास करते हैं और उन्हें जंगल से मिथुन पकड़ना होता है, जिसका सामूहिक भोज में उपयोग होता है।

मोकोकचुंग जिले की आओ जनजाति मई के महीने में फ़सलों की बुवाई के बाद मोआत्सू त्योहार मनाती हैं। धान की फ़सल की निड़ाई को प्रदर्शित करता 'टग ऑफ वार' खेल का आयोजन होता है। वास्तव में मोआत्सू का मतलब आने वाले दिनों में बेहतरीन फ़सल का होना है। त्योहार के दौरान आओ जनजाति के लोग अपने देवता लिजाबा को प्रसन्न करने के लिए सूअर और अन्य पशुओं की बलि देते हैं। गांव के नाचते हुए युवाओं को महिलाएं पका हुआ मांस और चावल की शराब परोसती हैं। ये युवा नाचते हुए गांव के चारों ओर घूमते हैं ताकि बुरी शक्तियां भाग जाएं। गांव का प्रधान आने वाले गंभीर मुद्दों पर लोगों को अपनी सलाह देता है। हाल के दिनों में इस त्योहार के दौरान सरकारी नीतियों को भी प्रचारित किया जाने लगा है।

हर साल सितंबर के महीने में त्युयेनसांग-किफिरे की संगतम जनजाति के लोग छह दिनों का कृषि उत्सव मोंगमोंग मनाते हैं। संगतम जनजाति में अंक छह की शुभ संख्या मानी जाती है। जन्म के छह दिनों के बाद बच्चे का नामकरण भी किया जाता है। त्योहार के दौरान पुजारी मृतात्माओं के लिए छह्म त्योहार और दूसरा बबेरू पुजारी जीवित लोगों के लिए मोंगमोंग त्योहार की घोषणा करता है। वास्तविक त्योहार मुसुयांगताप के साथ शुरू होता है। यह एक रीति है, जिसमें रसोई घर में रखे तीन पत्थरों को, जिन्हें देवता लिजाबा की संज्ञा दी जाती है, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाता है।

मोन्यू बुवाई के बाद का त्योहार है, जो लोंगलेंग जिले की फोम जनजाति द्वारा हर साल किसी संकट के पहले छह दिनों तक मनाया

जाता है। मोन्यू का शाब्दिक अर्थ 'स्त्रियों के प्रति लगाव और आदर' है और यह त्योहार घर के पुरुष सदस्यों द्वारा परिवार की विवाहित कन्याओं और बहनों के प्रति लगाव और आदर प्रदर्शित करने का एक अवसर है। त्योहार के दौरान स्त्रियों को चावल की अच्छी शराब और विशिष्ट पकवान समर्पित किए जाते हैं। त्योहार का समापन बुजुर्गों द्वारा मांस और चावल की शराब के आदान-प्रदान के साथ होता है।

हर साल जुलाई के मध्य में त्युयेनसांग जिले की चांग जनजाति अंधेरे से मुक्ति का त्योहार नाक्यूलुम मनाती हैं। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सामुदायिक शयनागार को करीने से सजाता है और बच्चों के बीच बाजरे का बना केक वितरित करता है।

फेक जिले की पोचुरी जनजाति हर साल फरवरी के महीने में दस दिनों तक नाझु नामक बुवाई का उत्सव मनाया करती है। नाझु जीवित और मृत व्यक्तियों और उसके अनदेखे संरक्षक के बीच एक आत्मिक रिश्ते का त्योहार है। इसके अलावा नाझु समुदाय के बीच मज़बूत बंधन की भावना भी विकसित करता है। नाझु उत्सव के दौरान अन्य रीति-रिवाज़ों के अलावा अविवाहित लोगों द्वारा जोड़े का चयन भी किया जाता है।

कोहिमा जिले की रेंगमा जनजाति हर साल नवंबर के महीने में फ़सल की कटाई के बाद नगदा त्योहार मनाती हैं। रेंगमा लोगों का मानना है कि नगदा सभी त्योहारों की मातृशक्ति है। हर घर की माएं कटाई के बाद आए नये अन्न को चखती है और इसके बाद त्योहार की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान पुरानी मान्यता के अनुसार बलि दिए गए विभिन्न पशुओं के पैर का मांस औरतों के रिश्तेदारों के बीच बांटने का भी चलन है। मृतात्माओं की कब्रों पर भोजन और स्थानीय कच्ची शराब चढ़ायी जाती है। त्योहार के दौरान 'नगदा केनिहुन्जोंन' की परंपरा निभायी जाती है, जिसके तहत पुरुष पारंपरिक लिबास पहने एक योद्धा के वेश में गांव के सामुदायिक शयनागारों में जाया करते हैं। पुरुषों के साथ पारंपरिक लिबास में महिलाएं भी एक टोकरी में मांस और चावल की शराब लेकर पीछे-पीछे चलती हैं।

कोहिमा जिले की अंगामी जनजातियों द्वारा फ़सलों की कटाई के बाद 10 दिनों तक चलने वाला सेक्रेन्यी त्योहार मनाया जाता है। आधिकारिक रूप से इस उत्सव के शुरू होने का दिन 15 फरवरी है। अंगामी दर्शन के अनुसार मानव का शरीर उमो (भौतिक) और यूफू (अभौतिक) का मेल है। इसलिए मानव शरीर को एक अंतराल पर शुद्ध करने की प्रथा है। पानी सबसे अच्छा शुद्धिकरण पदार्थ है। उत्सव की शुरुआत एक पवित्र कुए पर समुदाय के पुरुष सदस्यों के स्नान से होती है। दो नये शॉल पर पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है। यह शॉल काला और सफेद होता है, जिसे रिवाज़ के तौर पर युवा पुरुष ओढ़ते हैं। त्योहार के दौरान महिलाओं को शुद्धिकरण किए गए कुएं पर जाने की इज़ाजत नहीं होती लेकिन वे उत्सव के पहले कुएं के पानी से अपने घर साफ़ कर सकती हैं।

अंगामियों के सेक्रेन्यी त्योहार की तरह फेक जिले की चखेसांग जनजाति मध्य जनवरी में 10 दिवसीय सुक्रीयूनी त्योहार मनाती है। इस त्योहार में एक विशिष्ट दिन निर्धारित होता है, जिस दिन पवित्र कुएं के जल से माताएं अपनी बेटियों का शुद्धिकरण करती हैं। मुख्य गोत्र निवास के बाहर बांस के खंभों पर शिकार किए गए जानवरों और पक्षियों को लटकाया जाता है। यह आने वाले सालों में शत्रुओं पर विजय और गांव की समृद्धि का प्रदर्शन स्वरूप होता है। यह त्योहार सामाजिक भोज के माध्यम से गांव के समुदायों के बीच सौहाद्र का संदेश देता है।

नवंबर के पहले सप्ताह में वोखा जिले की लोथा जनजाति नौ दिवसीय त्योहार तोखू इमोंग मनाती हैं। इस दौरान मित्रों और रिश्तेदारों के बीच नजदीकी प्रदर्शित करने के लिए तीन के गुणांक में मांस का वितरण किया जाता है। मृतात्माओं की शांति के लिए उनकी कब्रों पर उबला चावल, पका हुआ लीवर और चावल की शराब परोसी जाती है। अन्य उत्सवों की अपेक्षा तोखू इमोंग आराम का त्योहार है और इस दौरान गांव वाले शिकार, मछली मारना, व्यापार और यात्राएं आदि नहीं करते।

त्युयेनसांग जिले की खियामनियुंगम जनजाति आठ दिनों तक सोकुम त्योहार मनाती है। पूजा और आत्माओं को भोग देना इस त्योहार का हिस्सा है। सोकुम के दौरान ही नये झूम खेत के निर्माण की घोषणा की जाती है। नियम के अनुसार मेजबान अपने झूम खेत के बारे में मित्रों और समुदाय के सदस्यों को नहीं बता सकता। यह त्योहार सांस्कृतिक समन्वय के अलावा संसाधनों के साझा उपयोग का अवसर भी देता है। त्योहार की विशेष बात एक ऐसा आयोजन है, जिसमें गांव के प्रशासन पर चर्चा होती है और इसमें कथाओं के माध्यम से बुजुर्ग अपने गांव के युवाओं को पारंपरिक संदेश भी दिया करते हैं। त्योहार के दौरान अपने मृत परिजनों को याद करने की भी परंपरा निभायी जाती है।

जुन्हेबोतो जिले की सुमी जनजाति का विश्वास है कि तुलुनी उत्सव अपने योद्धाओं को मान देने और तड़क-भड़क प्रदर्शित करने का अवसर है। फ़सलों की कटाई के बाद सात दिनों तक मनाये जाने वाले इस त्योहार के दौरान बुजुर्गों को मांस अर्पित करके पारिवारिक बंधन मज़बूत करने की कोशिश की जाती है। त्योहार के दौरान संपन्न लोग अपने श्रमिकों और समाज के निचले तबके के लोगों को उपहार और मांस आदि वितरित करते हैं। त्योहार के दौरान युवाओं की शारीरिक और बौद्धिक क्षमताएं भी परखी जाती है। विवाह संबंधों के लिए महिलाएं भी अपनी स्वास्थ्य क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं।

नगालैंड में त्योहारों की पुरातन परंपरा है ताकि ये कठिन और विपरीत परिस्थितियों से भी उबर पाने में समर्थ रहें। यहां तक कि आदिम समाज से होते हुए मुख्यधारा की धार्मिक मान्यताओं के सफ़र में भी त्योहारों का उत्साह फ़ीका नहीं पड़ा। आज इंटरनेट से में भी नगालैंड के विविध समुदाय के लोग प्रकृति के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए पारंपरिक रीति-रिवाज़ों का पालन करते हैं। यह आश्चर्य ही है कि यहां के अधिकांश लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करते हैं। त्योहार वस्तुतः नगा लोगों के जीवन में आनंद और प्रतिदिन के जीवन में ऊर्जा भरने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होता तो देश के इस दूरदराज के इलाक़े की कठिन परिस्थितियों में लोगों का जीवन इतना सहज कैसे रह पाता? ❑

(लेखक योजना आयोग में उप सलाहकार हैं।

ई-मेल : araypc@gmail.com)

A Leading Institute of India for the last 2.5 Decades

DASTAK CAREER COACHING

proudly announce their **SELECTIONS 2011-12**

PCS-2009

Rank 4th	Rank 7th	Rank 16th	Rank 40th	Rank 48th	Rank 58th	Rank 66th	
Khushi Ram Roll No. 032856 Distt. Cane Officer	Ashwini Singh Roll No. 033712 Distt. Agri. Officer	Satendra Kr. Roll No. 059184 Distt. Agri. Officer	Santosh Kr. Singh Roll No. 034544 Trade Tax Officer	Vinod Kr. Singh Roll No. 046188 Distt. Agri. Officer	Devendra Niranjan Roll No. 093093 Distt. Agri. Officer	Anil Kr. Verma Roll No. 097990 Distt. Agri. Officer	Ajay Gautam Roll No. 048309 Trade Tax Officer

IAS-PCS GENERAL STUDIES | PRE & MAIN EXAMINATION

भारतीय अर्थव्यवस्था - Ravi Sinha (Sinha Sir)

भूगोल - Er. Mohd. Nasim Siddiqui (M.B.A.)

इतिहास - Mukesh Baranwal

भारतीय राज व्यवस्था - Dr. Vinay Singh

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - Dr. Rajesh Yadav

सामयिकी व साक्षात्कार - Satish Prashant

IAS-PCS CSAT

Reasoning
PRADEEP RAI

Numerical Ability
Er. MOHD. NASIM SIDDIQUI (M.B.A.)

Language Comprehension
DILIP KUSHWAHA (English Language Expert)

SSC-Bank-RAILWAYS

Reasoning
PRADEEP RAI

Mathematics
Er. MOHD. NASIM SIDDIQUI (M.B.A.)

English
DILIP KUSHWAHA

General Studies
Ravi Sinha, Mukesh Baranwal
Er. Mohd. Nasim Siddiqui

DASTAK CAREER COACHING

13, Kamla Nehru Road, Civil Lines, Allahabad Call : 0532-2407428, 3291384, 9415252965

YH-205/2012

पूर्वोत्तर की भौगोलिक संरचना

● अजय सिंह पटेल
मृत्युंजय सिंह

पूर्वोत्तर राज्यों को सात बहनें भी कहा जाता है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य देश-विदेश से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सात बहनों में से सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश पूर्वी हिमालय में स्थित हैं। ये बर्फ़ीली चोटियों और इनसे निकलते झरनों, दर्रों, घाटियों व पहाड़ियों से आंलिगन करते मेघों से युक्त है। इन चोटियों में कुला कांगड़ा, चुमलहारी, काबस, जांग सांगला, पौहुनी और नामचाबर्वा मुख्य हैं। नामचाबर्वा से दक्षिण की ओर नगालैंड, मणिपुर व मिज़ोरम में पटकोई बुम, नागा, मणिपुर, लुसाई, अराकानयोमा एवं त्रिपुरा का घने वनों से ढका पहाड़ी सौंदर्य है। त्रिपुरा के उत्तर पश्चिम में मेघालय राज्य पठारी विशेषता से युक्त गारो, खासी, जयंतिया व मिकिर पहाड़ियां हैं जो न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है बल्कि विश्व की विशेष आदिवासी संस्कृतियों को पोषित किए हुए हैं। इन सबके मध्य में उपजाऊ मैदानी भाग है जिसमें ब्रह्मपुत्र अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाहित हो रही है। अन्य जीवों के साथ एक सींग वाला गैंडा इस मैदान की शोभा बढ़ाता है। इस उपजाऊ मैदान में वनस्पति एवं जैविक विविधता को आश्रय मिला हुआ है। पूर्वोत्तर का सौंदर्य वहां के धरातलीय उच्चावच और जलवायु से प्रभावित है।

पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु धरातलीय उच्चावच से प्रभावित है तथा यहां का वर्तमान धरातलीय उच्चावच भूगर्भिक इतिहास की देन है। आज से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व कीटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत एवं तिब्बत पठार के मध्य टेथिस सागर था। प्रायद्वीपीय भारत निरंतर उत्तर की ओर खिसक रहा था जिस कारण टेथिस सागर सिकुड़ रहा था इससे टेथिस सागर तल धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा था। इस प्रकार टेथिस सागर कम गहराई का छिछला सागर था। तिब्बत से बहने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां दक्षिण की ओर टेथिस सागर में निरंतर अवसादों का निक्षेपण कर रही थी। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर की ओर बहने वाली चंबल सदृश्य नदियां भी टेथिस सागर में गिरती थी तथा अवसादों का निक्षेपण करती थी। इससे टेथिस सागर निरंतर छिछला बना रहा और सिकुड़ता रहा। इस क्रिया के आगे बढ़ने पर 4 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस का उत्तरी भाग वलित होकर ऊपर उठा और हिमालय की मुख्य श्रेणी के रूप में परिवर्तित होने लगा। 1 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व इसी प्रकार हिमालय की दूसरी श्रेणी का उत्थान हुआ जिसे मध्य हिमालय कहते हैं। इस दौरान मुख्य श्रेणी की ऊंचाई भी निरंतर बढ़ रही थी। इसी क्रम में 1 करोड़ से 10 लाख वर्ष पूर्व तक शिवालिक श्रेणी का उत्थान हुआ साथ ही मुख्य व मध्य हिमालय भी निरंतर ऊंचे उठ रहे थे। अब तक टेथिस सागर सिकुड़ कर लंबा संकरा खड्डानुमा बचा हुआ भाग था जो हिमालय के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ था। हिमालय से पूर्व की नदियां जो टेथिस सागर में गिरती थी उनकी अपरदन शक्ति हिमालय के उत्थान की दर से अधिक थी इसलिए हिमालय के उत्थान का उनके प्रवाह मार्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फलस्वरूप सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार से निकलकर हिमालय के दक्षिण में बने खड्ड में अवसादों का निक्षेप करती रही हैं। इनके साथ-साथ नवीन हिमालय की श्रेणियों से निकली अन्य नदियां गंगा, यमुना व इनकी सहायक नदियां भी हिमालय को काट-काटकर अवसादों का निक्षेप करती रहीं। समय के साथ-साथ टेथिस सागर का अवशेष खड्ड भी भर गया एवं आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व मैदान का निर्माण हो गया। जिसे हम पश्चिम में सिंधु-सतलज, मध्य में गंगा का मैदान एवं पूर्व में ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान कहते हैं। उक्त प्रक्रिया आज भी चल रही है। जिसमें

प्रायद्वीपीय पठान के उत्तर की ओर खिसकने के कारण असम में भूकंप आते हैं। उत्तर भारत सहित पूरा पूर्वोत्तर भूकंप क्षेत्र में है। हिमालय आज भी ऊंचा उठ रहा है। ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक आज भी हिमालय का कटाव कर रही हैं एवं प्रतिवर्ष भारी मात्रा में हिमालय की मिट्टी असम के मैदान में बिछा रही है। वर्तमान समस्त पूर्वोत्तर राज्य उक्त भूगर्भिक हलचल का परिणाम है।

हिमालयीन धरातल : सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश मुख्य हिमालय श्रेणी के भाग हैं। यहां की चोटियां, दर्रे व घाटियां हिमालय के उत्थान एवं नदियों के अपरदन का परिणाम है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली अराकॉनयोमा पहाड़ी समूह भारतीय हिमालय का पूर्वी मोड़ कहा जाता है जो मेघालय पठार के दबाव में दक्षिण की ओर मुड़ गया है। यह पर्वत समूह हिमालय श्रेणी से कम ऊंचा है। इस पर्वत समूह में नगालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम व त्रिपुरा की पहाड़ियां आती हैं।

प्रायद्वीपीय धरातल : मेघालय राज्य में पाई जाने वाली चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों से मेल खाती हैं। इस आधार पर मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इन दोनों का मध्य भाग बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा बिछाई गई मिट्टी में दबा हुआ है। अत: मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया व मिकिर पहाड़ियां अमरकंटक, पचमढ़ी जैसी प्राद्वीपीय पहाड़ियां हैं जोकि भूगर्भिक दृष्टि से हिमालय पहाड़ियों से भिन्न है।

मैदानी धरातल : असम का मैदान 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन काल में बना है जिसमें अत्यधिक गहराई तक निक्षेपों का जमाव पाया गया है। असम के मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किमी दूरी पर 5,150 मीटर ऊंचाई से निकलती है। यह सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में प्रवाहित होती है। नामचाबरवा पर्वत के पास यह गहरे खड्ड का निर्माण करती है। इस स्थान पर एवं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। लोहित, दिहांग तथा दिवांग के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक डिबोंग, लुहित सेसरी तथा दक्षिण की ओर से नीचा डहांग नदियां मिलती हैं। असम के मैदान में पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसमें स्वर्णसीरी, भद्री, धनसीरी, बंडी, मानस, सकोंश, धारला व तिस्ता नदियां उत्तरी किनारे से और बुरहीदिहिंग, दिसांग, दिखो, जॉझी, कुलसी और जिन्जीराम दक्षिणी किनारे से मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा मैदान में लगातार मिट्टी का निक्षेप किया है जिससे यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। अधिक निक्षेप से ब्रह्मपुत्र की धारा में अनेक द्वीपों का निर्माण हुआ है। यद्यपि कुछ बड़े द्वीपों के निर्माण में विद्वानों ने भूकंप का सहयोग माना है। ब्रह्मपुत्र द्वीपों के निर्माण के साथ-साथ उनका कटाव भी करती है। इन द्वीपों में कुछ इतने बड़े हैं कि उनमें अनेक गांवा बसे हुए हैं। उपजाऊ मैदानों ने जीवों एवं वनस्पतियों की विविधता एवं सघनता दोनों का पोषण किया है। जीवों एवं वनस्पतियों की समृद्धि में यहां की जलवायु का भी योगदान रहा है।

जलवायु रचना

वर्षा : कर्करेखा, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम से होकर जाती है। शेष पूर्वांचल कर्करेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर भारत की तरह पूर्वोत्तर की जलवायु भी मानसूनी है लेकिन यहां वर्षा की मात्रा शेष भारत की वर्षा के औसत से अधिक है। पूर्वोत्तर में वर्षा बंगाल की खाड़ी की हवाओं से होती है। इन मानसून हवाओं का एक जून को त्रिपुरा एवं मिज़ोरम में आगमन हो जाता है। ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से बिना किसी अवरोध के सीधे त्रिपुरा व मिज़ोरम की पहाड़ियों से टकराती हुई अराकान योगा पहाड़ियों से टकराती हैं एवं ऊपर उठती हैं जिससे वर्षा होती है। पीछे से आने वाली हवाएं इन हवाओं को धक्का देती हैं। इस प्रकार हवाओं का क्रम बनता है जोकि अराकान योमा पहाड़ियों से अवरोधित होता हुआ उत्तर की ओर गमन करता है। उत्तर में अराकानयोमा से भी अधिक ऊंची हिमालय पर्वतश्रेणी इन हवाओं का मार्ग रोक लेती हैं। इस प्रकार मानूसनी हवाएं अराकानयोमा एवं हिमालय श्रेणी में फंसकर वर्षा करती हुई हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर गमन करती हैं जहां शेष अरुणाचल प्रदेश, भूटान व सिक्किम में वर्षा करती हुई हिमालय के सहारे उत्तरांचल की ओर निकल जाती हैं। मानसून हवाओं की एक अन्य शाखा बंगाल की खाड़ी से चलकर सीधे मेघालय की गारो एवं खासी पहाड़ियों से टकराती हैं। इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है। जिनका दक्षिण का भाग खुला हुआ है। अत: दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाएं सीधे इन पहाड़ियों से टकराती हैं तथा शेष तीन ओर से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है, जिससे वर्षा होती है। माउसिनराम खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रेणी के शीर्ष पर स्थित है। यहां संसार की सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। चेरापूंजी यहां से 16 किलोमीटर पूर्व में स्थित है जहां पहले विश्व की सर्वाधिक वर्षा हुआ करती थी। अब यह कीर्तिमान माउसिनराम को जाता है। इस प्रकार संपूर्ण पूर्वोत्तर में 200 सेंमी से अधिक औसत वर्षा होती है।

तापमान : समुद्र तल की ऊंचाई से ऊपर जाने पर तापमान में 6.5 अंश सेल्सियस प्रति किमी की दर से कमी होती जाती है तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी होती जाती है। सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश दोनों उत्तर में है। एवं दोनों ही हिमालय की श्रेणियों पर स्थित है जिससे इनकी ऊंचाई दूसरे पूर्वोत्तर प्रदेशों की तुलना में अधिक है। अत: ऊंचाई पर इनका तापमान कम होता है। इस आधार पर जलवायु वैज्ञानिक कोपेन ने पूर्वी मुख्य हिमालयीन राज्यों को शीतल आर्द्र जलवायु के समकक्ष रखा है जिसमें वर्ष के चार महीने का तापमान 10 अंश सेल्सियस से कम होता है। ग्रीष्म

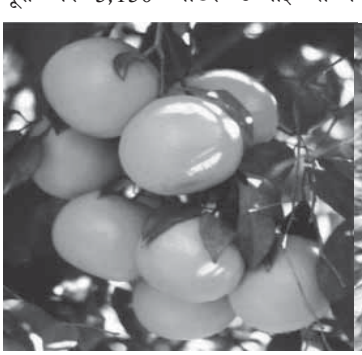

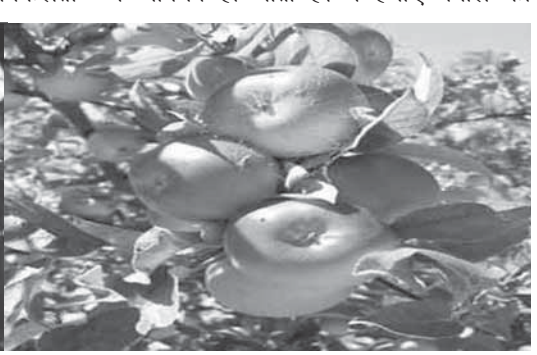

ऋतु छोटी किंतु वर्षा वाली होती है। असम का मैदान आर्द्र समताप जलवायु रखता है जो कि भारत के उत्तर के मैदानों के समतुल्य है किंतु यहां पंजाब, हरियाणा जैसे शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा नहीं होती है। मेघालय पठार एवं उत्तरी त्रिपुरा प्रायद्वीप उष्ण मानसूनी जलवायु रखता है। मिज़ोरम, मणिपुर एवं नगालैंड भी इसी प्रकार जलवायु रखते हैं किंतु उनकी उष्णता कम है। उक्त तापमान एवं वर्षा ने वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की प्रजाति व व्यवहार को निर्धारित एवं नियंत्रित किया है।

वनस्पति रचना : मैदानों से पर्वतों पर ऊपर की ओर जाने से तापमान में कमी आने लगती है। इसका प्रभाव वनस्पतियों पर स्पष्ट होने लगता है। वनस्पतियां तापमान एवं वर्षा का अनुसरण करती हैं। इसलिए यहां मैदान से पर्वत शिखर की ओर क्रमिक वनस्पति विविधता पाई जाती है। इन वनस्पतियों का क्रम इस प्रकार बदलता है कि वे एक से दूसरे प्रकार में अतिव्यापन करते हैं। फलस्वरूप यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि कहां पर कौन-सा वनस्पति प्रकार समाप्त हो रहा है तथा कहां से कौन-सा वनस्पति प्रकार प्रारंभ हो रहा है। इस कारण वनस्पतियों की ऊंचाइयां लगभग में होती हैं।

- **उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन :** ये वन प्राय: 200 सेंमी वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नगालैंड में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन सदा हरे रहते हैं। इनके वृक्ष 60 मीटर तक बढ़ जाते हैं। इन वनों में एक साथ अनेक प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें आबनूस, रोजवुड आदि वृक्ष होते हैं जिनका व्यापारिक महत्व है।
- **अर्द्ध उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन :** ये वन लगभग 900 मीटर की ऊंचाइयों से 1,600 मीटर की ऊंचाइयों तक पाए जाते हैं। इनमें साल, चिनौली, दिनेलिया, अमूरा, सिनेमन, शीशम, खैर, सेमल लेंडी तथा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। सवाना प्रकार की लंबी घास, बलसम, आर्चिड की झाड़ियां, बांस, लताएं भी इन वनों में उगती हैं।
- **शीतोष्ण कटिबंधीय वन :** ये वन 1,600 से 2,700 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। इनमें मुख्यत: ओक, बर्च, मैपिल, एल्डर, मगनौलिया, लारेल के चौड़े पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं।
- **शीतशीतोषण कटिबंधीय वन :** ये वन 2,700 मीटर से 3,600 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। इनमें मुख्यत: नुक़ीली पत्तियों वाले वृक्ष विलोफर, रोडेडोण्ड्रन, स्प्रूस, देवदार, चीड़ आदि मिलते हैं।
- 3,600 से 5,000 मीटर की ऊंचाई तक सिल्वरफर, बर्च, जूरीफर सैज लिचन, भोजपत्र जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इससे ऊपर 5,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई तक छोटी-छोटी घास एवं सुंदर पुष्प होते हैं। इसके ऊपर केवल बर्फ़ पाई जाती है। जो सफेद चोटियों के रूप में हिमालय का सौंदर्य बढ़ाती है। सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में पुष्पी वनस्पतियां प्रमुख हैं। रोहडोडेन्ड्रन का वृक्ष सिक्किम का राज्य वृक्ष है।

वनस्पति विविधता : पूर्वोत्तर भारत में भारत की जैव विविधता का एक तिहाई है। यहां लगभग 7,500 पुष्पी पौधे, 700 आर्चिड, 60 बांस, 65 साइट्स, 28 कोनिफर, 500 मांस, 700 फर्न और 725 लाइकेन प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत का 98 प्रतिशत रोहडोडेन्ड्रन हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें 72 प्रजातियों, 20 उपप्रजातियां तथा 19 प्रकार पूर्वी हिमालय में दर्ज़ किए गए हैं। रत्तन एक महत्वपूर्ण साठा या केन होता है जिसका उपयोग फर्नीचर, चटाई आदि बनाने में बांस की तरह उपयोग किया जाता है। भारत की 60 में से 26 रत्तन प्रजातियां पूर्वोत्तर में मिलती हैं। सवाना घास के लिए ब्रह्मपुत्र मैदान एवं बांस व साल वृक्षों के लिए असम के वन जाने जाते हैं।

जैव विविधता : पूर्वोत्तर भारत का विश्व के प्रमुख जैव-विविधता क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान है। यहां वनस्पतियों, जीवों, पक्षियों में उच्च स्तर की विविधता के अनेक कारण हैं।

- भारतीय प्लेट जोकि कभी अफ्रीका से संबद्ध थी तथा इसकी वनस्पति व जीव यूरेशिया से भिन्न थे। इसका यूरेशियन प्लेट से संगम हुआ है। पूर्वोत्तर भारत दोनों प्लेटों के इसी संगम स्थान पर है। इससे भारतीय प्लेट की वनस्पति एवं जीवों का यूरेशियन प्लेट की वनस्पति एवं जीवों से संगम हुआ है। प्राचीन वनस्पतियों व जीवों के साथ-साथ इनसे संकर प्रजातियों का भी जन्म हुआ जिससे जैव विविधता समृद्ध हुई। पूर्वोत्तर के पूर्व में इंडो मलाया वनस्पति क्षेत्र जोकि दक्षिण पूर्व एशिया की उष्णकटिबंधीय वनस्पति रखता है ने भी यहां की वनस्पातिक विविधता में योगदान किया है। ध्रुवीय वनस्पति हिमालय के ऊपरी भागों में है यहां ध्रुवीय वनस्पति प्रजातियों को आश्रय मिला है।
- वनस्पति जलवायु का अनुसरण करती है। धरातलीय विषमताएं भौगोलिक स्थिति जलवायु के घटक तापमान, वायु एवं वर्षा को प्रभावित और निर्धारित करते हैं। पूर्वोत्तर में धरातलीय उच्चावच में भिन्नता ने वहां जलवायु विविधता को उत्पन्न किया जिससे यहां भूमध्यरेखीय वनस्पति से ध्रुवीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन विविध जलवायु और वनस्पति समूहों ने अनेक भिन्न-भिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्रों का निर्माण किया है जिनमें भिन्न-भिन्न जीवों का विकास हुआ है। अनुकूल वर्षा एवं तापमान ने प्रवासी पक्षियों के समूहों को भी आकर्षित किया है जो यहां प्रजनन करते हैं।
- वानस्पतिक एवं जैव विविधता का दीर्घ काल तक संपन्न बने रहने का एक कारण मानव हस्तक्षेप का कम होना भी है। दुर्गम परिस्थितियों में आदिवासी समूहों ने भिन्न-भिन्न पारिस्थितिकी में सामंजस्य स्थापित किया। सरल तक़नीक एवं जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था के कारण वनस्पति विविधता एवं जैव विविधता में (झूम कृषि को छोड़कर) ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। भिन्न-भिन्न आदिवासी समूहों ने अपनी विशिष्टि संस्कृतियों एवं परंपराओं का विकास किया जिनमें अपने आसपास की वनस्पतियों एवं जीवों के प्रति सम्मान, सामंजस्य एवं सीमित उपभोग है। किंतु अब आधुनिक सभ्यता के प्रभाव एवं तक़नीक से जैव विविधता के अति दोहन और क्षति से संरक्षण की आवश्यकता है।

यहां भारत की एक तिहाई जैव विविधता पाई जाती है। यह क्षेत्र जैव विविधता में अग्रणी है। फॉरेस्ट कंसरवेशन प्रोग्राम डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के बैकग्राउंड पेपर बायोडाइवरसिटी सिगनिफकंस ऑफ नार्थ ईस्ट इंडिया के अनुसार, जीवों की 3,624 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें 50 मोलस्क, 235 मछलियां, 64

एम्फीबोलाइट, 137 सरीसृप, 541 पक्षी एवं 160 स्तनधारी प्रजातियां हैं। विषम उच्चावच एवं विपरीत परिस्थितियों के कारण जीवों एवं उनके वितरण की पूरी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हुई है। बारकिंग डियर, लीफ हिरण, त्वांग मेकांक की खोज से और नये जीवों की जानकारी मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

प्राइमेट्स (मानव सम वानर) : पूर्वोत्तर में इस प्रकार की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें होलोक गिब्बन, गोल्डन लंगूर, फेयरी लंगूर, नेपाल लंगूर, केप्ड लंगूर, स्लो लॉरिस, नार्थन पिगटेल्ड मेकॉक, स्टम्पटेल्ड, मेकॉक, उल्लेखनीय हैं। होलोक गिब्बन पूर्वोत्तर के असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय त्रिपुरा और मिज़ोरम में पाया जाने वाला दुर्लभ प्राइमेट है। गोल्डन लंगूर हिमालय के तराई क्षेत्र में मानस और संकोश नदी के मध्य, असम भूटान सीमा एवं त्रिपुरा में पाया जाने वाला स्थानीय प्राइमेट है। फेयरी लंगूर अति दुर्लभ प्रजाति है। असम के उत्तरी कछार पहाड़ी पर इसके कुछ झुंड पाए गए हैं। नेपाली लंगूर सिक्किम और नेपाल में पाया जाने वाला स्थानीय प्राइमेट है। असम के धुबरी जिले के चकराशिला पहाड़ी सरंक्षित क्षेत्र में स्टप टेल्ड प्रजाति पाई जाती है। स्टंप टेल्ड और नार्थन पिगटेल्ड मेकॉक लुप्तप्राय प्रजाति हैं। स्लो लोरिस पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय वन में पाया जाने वाला अति लुप्त प्राणी है।

मांसभक्षी : पूर्वोत्तर में बड़ी बिल्ली प्रजाति के लिए अरुणाचल प्रदेश मुख्य है। यहां शेर, चीता, हिम चीता, क्लाउडेड चीता पाए जाते हैं। यहां शेर बहुत कम दिखई देने वाला प्राणी है। क्लाउडेड चीता की लंबी पूंछ, बड़े नाखून वाले पंजे होते हैं। सभी मांसाहारी में इनके ऊपरी कैनियन सबसे बड़े होते हैं। शेर (पेंथरा टिगरिस) यहां पूरे क्षेत्र में दुर्लभ प्राणी है। यहां सिक्कम के कंचदजोंगा एवं अरुणाचल प्रदेश के त्वांग जिला के मागो चू घाटी के दजांग अभ्यारण्य में हिम चीता पाया गया है। बिल्लियों में मार्बल्ड कैट, गोल्डन कैट, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट और जंगल कैट पाई जाती हैं। इनके अलावा यलो थ्रोयेटेड मारटेन, फेरट बिज्जू, हाग बिज्जू, लार्ज इंडियन सिविट, कामन पाम सिवेट, हिमालयन पाम सिवेट, बिनटूरांग और स्पॉटेड जिन्सहांग जैसे प्रमुख मांस और कीट भक्षी पाए जाते हैं। भालुओं की जितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं वे सभी प्रजातियां पूर्वोत्तर में मिलती है। यहां पाया जाने वाला मलायन सन बियर उल्लेखनीय है। जंगली कुत्ते सिक्किम एवं पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं।

खुरदार पशु : भारत के लगभग 25,000 हाथियों में से 33 प्रतिशत हाथी पूर्वोत्तर में पाए जाते हैं जिनमें असम प्रमुख राज्य है। भारतीय गैंडा विश्व के सभी गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। जोकि केवल असम में पाया जाता है। इतिहास में एक सींग वाला गैंडा एवं दो सींग वाला गैंडा दोनों ही प्रजातियां पूर्वोत्तर में पाई जाती थी लेकिन अब लुप्त हो गई हैं। दरियायी घोड़ा भी उत्तर पूर्व में पाया जाता है। संगाई हिरण दुर्लभ प्राणी है जोकि विश्व में केवल मणिपुर में पाया जाता है। स्वांप डियर जोकि संरक्षित प्राणी है असम में पाया जाता है। सैरो, गोराल, रेड गोराल अन्य सरंक्षित प्राणी हैं। पिग्मी हॉग विश्व का सबसे छोटा और दुर्लभ प्राणी है।

अन्य स्तनधारी : सिक्किम में 3,600 मी. से अधिक ऊंचाई पर विश्व की अति विशिष्ट स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें याक, तिब्बतीयन जंगली गधे, मारखोर, आइबेक्स, तिब्बतीयन भेड़, नीली भेड़ प्रमुख हैं। यहां चाइनीज पिंगोलिन भी पाया जाता है। भारत वर्मा सीमा पर भारतीय पिंगोलिन भी पाया जाता है। उत्तर-पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में गंगा में पाई जाने वाली डालफिन स्तनधारी प्रजाति भी हैं।

पक्षी : यह क्षेत्र संभवतः विश्व में सर्वाधिक पक्षी विविधता रखने वाला क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय और असम का मैदानी पक्षियों की सर्वाधिक विविधता रखते हैं। पूर्वी हिमालय पक्षियों हेतु अनुकूल वनस्पतियों से आवृत है। वहीं असम के मैदान में उष्ण कटिबंधीय वन, घास के मैदान एवं हज़ारों की संख्या में तर भूमि छिद्र जिनमें कच्छ की भांति छिछला जल भरा रहता है जोकि जलीय पक्षियों हेतु आदर्श वास स्थल प्रदान करता है। अकेले असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 400 से अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 650 से अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं।

व्हाइट विंग्स डक जोकि अरुणाचल प्रदेश की डिरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। ब्लेक नेक्ड कान का एक मात्र आवास स्थान अरुणाचल प्रदेश की सांगटे घाटी है। विश्व में ग्रेटर एडजुएण्ट प्रजाति के पक्षी सर्वाधिक संख्या में असम में पाए गए हैं। इस क्षेत्र में विश्व के दुर्लभ पॉली क्रेन, ब्लैक नेक स्ट्रॉक, लेसर एडजुटेंट और पेलेकेप्ड पक्षी पाए जाते हैं। स्वांप फ्रेंकोलिन केवल भारतीय प्रायद्वीप का पक्षी है और केवल उत्तर-पूर्व में पाया जाता है। बंगाल फिलोरिकन जिसकी बड़ी संख्या केवल असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। लेसर फिश ईगल, फिश ईगल एवं समुद्री ईगल में दुर्लभ है। अरुणाचल प्रदेश के सिंनाटेंगस में पाया गया है। स्वांप पिरीना जोकि अति दुर्लभ पक्षी है, असम के पोबितोरा अभ्यारण्य में पाया जाता है। ब्राउन केप्ट थ्रुश (गाने वाली चिड़िया), ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में कछार की पहाड़ियों में पाई जाती है। लागिंग थ्रुश और ब्राउन चिक्ड लागिंग थ्रुश (दोनों गाने वाले) पक्षी जो केवल चीन में पाए जाते थे, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं।

पूर्वोत्तर राज्य में पारिस्थितिक विविधता एवं बहुलता ने न केवल वनस्पति विविधता, जीव विविधता को आश्रय एवं संरक्षण दिया है बल्कि इसने अनेक मानव समूहों की विविधता को भी संरक्षित किया है। अलग-अलग पारिस्थितिकियों में विकसित मानव समूहों ने हज़ारों वर्षों में विशिष्ट भाषा, बोली, पहनावा, खान-पान एवं रीति-रिवाज़ विकसित किए हैं जिन पर पारिस्थितिकी का प्रभाव परिलक्षित होता है। भिन्न-भिन्न संस्कृतियों से युक्त मानव समूहों को हम पूर्वोत्तर की भिन्न-भिन्न आदिवासी समूहों के रूप में जानते हैं जिनका एक विशिष्ट नाम है। भारत की एक-तिहाई आदिवासी समूह पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर का उक्त धरातलीय सौंदर्य, जैव विविधता और भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक विविधता युक्त जनजातियां भारत का गौरव हैं और इसका संरक्षण एवं पोषण हमारा कर्तव्य है। ❑

(लेखकद्वय में से क्रमशः प्रथम जबलपुर के हवाबाग महिला महाविद्यालय में भूगोल विषय के विभागाध्यक्ष एवं द्वितीय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंडला; म.प्र. में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं)

पूर्वोत्तर के जनजीवन का महत्वपूर्ण अंग-मिथुन

● देवेन्द्र उपाध्याय

पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में मिथुन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहां के आदिवासी समाज में किसी व्यक्ति के पास मिथुन की संख्या उसकी संपन्नता और विशिष्टता का प्रतीक होता है। मिथुन को सामान्यतया मांस के लिए पाला जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कारों में मिथुन की बलि देने की परंपरा है। यही नहीं विवाह में मिथुन उपहार में भी दिया जाता है।

मिथुन को पर्वतों का पशु कहा जाता है, जोकि जंगली गउर या गौर का पालतू रूप है। मिथुन अपने आप में अनूठा पशु है, जिसका दूध अत्यधिक पोषण युक्त होने के बावजूद किसान इसके दूध को उपयोग में नहीं लाते हैं। मांस के लिए इसका उपयोग किए जाने के कारण इसकी वृद्धिदर अल्प है। हालांकि पूर्ण आहार दिए जाने पर इसकी वृद्धि अन्य पशुओं एवं भैंस के बराबर है। पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी समाज में मिथुन का उपयोग केवल मांस के लिए ही किया जाता है। लेकिन मांस महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजनों एवं विशेष पर्वो पर ही मिलता है। इसका मांस सुअर के मांस के बाद सर्वाधिक मुलायम एवं स्वादिष्ट माना जाता है।

मिथुन समुद्र तल से 300 से 3 हज़ार मीटर तक की ऊंचाई वाले स्थानों में पाला जाता है। यह पूर्वोत्तर के चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर एवं मिज़ोरम में पाया जाता है। इसके अलावा म्यामां, चीन, बांग्लादेश एवं भूटान में भी मिथुन पाया जाता है। लेकिन इसकी संख्या काफ़ी कम है। भारत में इनकी संख्या 2 लाख 78 हज़ार है। जिनमें से सर्वाधिक संख्या 69 प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश और फिर 14 प्रतिशत नगालैंड, 7 प्रतिशत मणिपुर तथा एक प्रतिशत मिज़ोरम में है। इसकी मुख्य चार नस्लें है जो चारों राज्यों की नस्लों के नाम से परिभाषित की गई है। इनमें अरुणाचल नस्ल आकार में सबसे बड़ी तथा मिज़ोरम नस्ल सबसे छोटी है।

पूर्वोत्तर राज्यों के इस पशु को अन्य पहाड़ी एवं उष्ण वर्षा वाले जंगलों में भी पाला जा सकता है। अभी तक इसे परंपरागत रूप से ही पाला जाता है और जंगलों में चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इसका अगर वैज्ञानिक तरीक़े से पालन एवं प्रजनन किया जाए तो यह पशु प्रोटीन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गैर-परंपरागत स्रोतों से मांस एवं दुग्ध उत्पाद की प्राप्ति के लिए मिथुन पालन पद्धति को वैज्ञानिक तरीक़े से अपनाना ज़रूरी है।

राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, नगालैंड में पिछले दो दशकों से मिथुन पर अनुसंधान कार्य कर रहा है ताकि इसके आवास एवं प्रबंध के पूर्ण पैकेज़ को विकसित किया जा सके। जिससे बदलते परिवेश में इसका परंपरागत तथा वैज्ञानिक पद्धति से सुधार हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का यह अनुसंधान केंद्र इसके पालन एवं प्रजनन को वैज्ञानिक तरीक़े से बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।

मिथुन अनुसंधान केंद्र में कार्यरत वैज्ञानिक ए. घाली, बी. प्रकाश, ए. मेच, डी.टी पाल, सब्यसाची मुखर्जी, अनुपमा मुखर्जी और चंदन राजखोवा मिथुन पालन और प्रजनन के सभी व्यावहारिक पहलुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं।

मिथुन पालने वाले इसका केवल मांस के लिए ही उपयोग करते हैं जबकि इसके दूध में किसी भी दूसरे पालतू पशु के दूध से अधिक वसा (8 से 13 प्रतिशत) ठोस वसा (18 से 24 प्रतिशत) तथा प्रोटीन (5 से 7 प्रतिशत) तत्व पाए जाते हैं। इस दृष्टि से मिथुन पालन घरेलू खपत के लिए दूध प्राप्ति हेतु व्यापक संभावनाओं वाला है। इसके दूध में वसा एवं प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मिथुन अनुसंधान केंद्र में मिथुन के दूध से पनीर, बर्फी, रसगुल्ला, दही और लस्सी बनाने का सफल परीक्षण हो चुका है। केंद्र ने प. बंगाल सरकार के गवर्मेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लैदर टेक्नोलॉजी के सहयोग से मिथुन की खाल से विभिन्न प्रकार के चमड़ों को सफलतापूर्वक परिशोधित किया है।

वर्ष 2005 में पूर्वोत्तर राज्यों में मांस, दूध तथा अंडे के उत्पादन तथा मांग का आकलन किया गया था। इससे पता चलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में पशु प्रोटीन की अत्यधिक कमी है। इस आवश्यकता की पूर्ति वैज्ञानिक तरीक़े से उन्नत पशुपालन प्रणाली अपनाकर

की जा सकती है। पशुपालन को और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीक़े अपनाना आवश्यक है।

मिथुन पालतू होते हुए भी मुक्त रूप से चरने वाला पशु है। इसकी उत्पत्ति संभवत: 8 हज़ार वर्ष पूर्व मानी जाती है और इसे जंगली गडर (गौर) का पालतू रूप माना जाता है। पहले इन्हें अलग-अलग प्रजाति में रखा गया था लेकिन अब इन्हें समान प्रजाति (बॉस फ्रंटेलिस) में रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में यह आनुष्ठानिक पशु है और कई सामाजिक-सांस्कृतिक अनुष्ठानों में इसकी बलि देने के अलावा यह दुल्हन को उपहार (दहेज) में भी दिया जाता है। यही नहीं जिन क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का मुख्य साधन है।

जम्मू-कश्मीर में भी मिथुन के पाए जाने की बात वर्ष 2003 की पशु गणना में की गई है, जहां इनकी संख्या तब 24 हज़ार बताई गई थी। वर्ष 1997 की जनगणना में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। वैसे अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि ये विशुद्ध रूप से मिथुन ही है या उससे मिलते-जुलते पशु हैं। इनकी जंगली पशु गउर के सहोदर होने की संभावना अधिक जताई गई है।

नर और मादा मिथुन दोनों का बाहरी रंग या तो शुद्ध सफेद या सफेद धब्बों सहित शुद्ध काला या सिर्फ काला होता है। इसके माथे का आकार दूसरे पशुओं और भैंसों से बहुत अलग होता है। इसका माथा चौड़ा तथा लगभग त्रिभुजाकार होता है। काले रंग के मिथुन में माथे का रंग गहरा भूरा होता है। इनकी चारों टांगों में घुटने के नीचे का रंग सफेद होता है। मिथुन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जन्म के समय इसका बाहरी रंग भूरा होता है, जो जन्म के एक वर्ष के बाद शुद्ध काला हो जाता है। लेकिन इसका बाहरी सफेद रंग हमेशा बना रहता है।

एक वयस्क मिथुन का वजन 300 से 650 किलोग्राम तक के बीच होता है। मादा मिथुन की तुलना में नर बछड़े का वजन अधिक होता है। मिथुन सांडों में लैंगिक परिपक्वता की आयु 809 दिन सूचित की गई है।

एक अध्ययन के अनुसार मिथुन में ड्रैसिंग भार 58 से 62 प्रतिशत के बीच होता है। साढ़े तीन से चार वर्ष के बीच इसका मांस के लिए उपयोग किया जाता है।

मिथुन से प्रतिदिन लगभग एक से डेढ़ किलो दूध मिलता है। वैसे मिथुन को मुख्यरूप से मांस प्राप्ति के लिए ही पाला जाता है। लेकिन पश्चिमी कार्मेग तथा तवांग जिलों में रहने वाली बौद्ध जनजाति मोनपा के अन्य दुधारू पशुओं के साथ मिथुन गायों तथा उनकी नस्लों से दूध निकालने की ख़बर मिली है। भूटान में मिथुन सांडों से सीरी गायों का गर्भाधान कराया जाता है ताकि सर्वगुण संपन्न दूध सीरी गायों से मिल सके। गाय के दूध की तुलना में मिथुन से प्राप्त दूध की संपूर्ण ऊर्जा क़रीब दुगनी पाई गई है। वैसे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मिथुन गाय से 2.75 से लेकर 3.5 किलो वसायुक्त दूध मिलने का उल्लेख है। जबकि मिथुन तथा सीरी गायों के संकरों से और अधिक दूध पाए जाने की सूचना है लेकिन इसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं बताई गई है। अरुणाचल में मिथुन गायों के विभिन्न समूहों से प्राप्त दूध में काफी अंतर पाया गया है। एक समय दुहने पर इनसे ढाई से लेकर साढ़े तीन लीटर तक दूध मिलने की जानकारी मिली है। मिथुन का दूध सफेद क्रीमी, सुगंधित और मीठा होता है।

भारवाही पशु के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का प्रयोग करने का प्रचलन है। हल जोतने वाले पशु के रूप में मिथुन का उपयोग किया जा सकता है लेकिन इसे अभी तक प्रशिक्षित करने के लिए बहुत अधिक उपाय नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान फार्म, नगालैंड में मिथुन की हल जोतने की क्षमता के मूल्यांकन के लिए अध्ययन किया गया। जांच से यह बात सामने आई कि मिथुन भारवाहक पशु के रूप में मध्यम क्षमता वाला है। उचित प्रशिक्षण, वैकल्पिक काम और आरामचक्र के साथ मिथुन से खेतों की जुताई तीन से चार घंटे तक की जा सकती है। ठीक से प्रशिक्षित करने पर मिथुन बैलों की जोड़ी और लंबे समय तक काम कर सकती है।

मिथुन को पालने वाले इन्हें पूरे सालभर तक जंगलों में ही रखते हैं। उन्हें नमक के अलावा न तो कोई आहार दिया जाता है और न देश के अन्य भागों की तरह उनके लिए गौशाला जैसी कोई व्यवस्था ही की जाती है। जब मादा मिथुन का प्रसव काल नज़दीक होता है तब उसका पालक उसे अपने नज़दीक रखता है। पीने के पानी के लिए उन्हें प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मिथुन की सही देखभाल नहीं हो पाती और उन्हें बीमारियों से बचाने की भी कोई व्यवस्था सुलभ नहीं होती। वैज्ञानिक तरीक़े अपनाकर इनके स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी सही तरीक़े से हो सकती है। इसके लिए दिनभर चराई के बाद इन्हें शाम को बाड़ों में छोड़ने की व्यवस्था मिथुनों तथा उसके पालकों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकती है। इससे उन्हें आसानी से प्रशिक्षित भी किया जा सकता है।

मिथुन अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मिथुन हेतु आवासीय प्रबंध की विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। जिसमें आवासीय प्रबंधन के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा है कि खुले क्षेत्र में छोड़

देने के कारण मिथुन पालकों को कई तरह से आर्थिक हानि होती है, जिसे समुचित आवास व्यवस्था अपनाकर रोका या कम किया जा सकता है। उनका बाड़ा (शेड) कैसा हो, किस तरह से उनके आहार एवं जल व्यवस्था की जानी चाहिए तथा कैसे नियमित रूप से उन बाड़ों की सफ़ाई कर उन्हें कीटाणुरहित बनाया जा सकता है इस बारे में समुचित दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

मिथुनों की विभिन्न श्रेणियां हैं जिनमें बछड़ों, सांड, हेफर शामिल हैं। इन पशुओं के लालन-पालन के लिए अलग-अलग तरह की व्यवस्था होने से उनकी सही देखभाल हो सकती है।

केंद्र के वैज्ञानिकों ने मिथुन प्रजनन प्रबंधन पर अपने अध्ययन में कहा है कि पशुपालन की सफलता के लिए सभी पशुओं में कुशल प्रबंधन कराना प्रबंधन का मुख्य भाग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पशुपालन की सफलता के लिए पशुओं को इस तरह से उपयोग में लाना चाहिए कि उनके मूल अंशों को बिक्री योग्य वस्तुओं में बदला जा सके ताकि पशु उत्पादन में आने वाली लागत की तुलना में लाभ अधिक हो। प्रजनन योग्य पशुओं के प्रबंधन के बारे में कहा गया है कि उत्पादन स्तर में एक प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में पशुओं की प्रजनन क्षमता में एक प्रतिशत परिवर्तन से किए गए निवेश पर तीन गुना अधिक लाभ पाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने मिथुन या किसी भी दुधारू पशु के पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता पर भी विशेष ज़ोर दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सांड़ों की प्रजनन सक्षमता के मूल्यांकन हेतु ब्रीडिंग साउंडनेस इवेल्यूएशन (बीएसई) एक शीघ्र अपनाई जाने वाली और कम ख़र्चीली विधि है।

वैज्ञानिकों ने अपने इस अध्ययन में मिथुन के प्रजनन प्रबंधन में एक उत्कृष्ट प्रजनन क्षमता वाले सांड के चयन के लिए कामेच्छा तथा काम क्षमता के मूल्यांकन को महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही अध्ययन से यह बात भी सामने आई है कि चरागाहों में मिथुन समूह में अक्सर एक से अधिक सांड होते हैं। अत: एक झुंड में सांडों के आपसी व्यवहार की समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुक्त रेंज बीफ समूह में प्रत्येक वर्ष जन्मे अधिकतर बछड़े, एक सांड की संतान होते हैं। मुक्त रेंज मेटिंग प्रणाली में चरागाह में छोड़ने से पहले सांडों का प्रभुत्व निश्चित करने के लिए एक समूह के अंदर सांडों को समान आयु, भार या समान आपसी रैंकिंग के अनुसार वर्गीकृत कर लेना चाहिए। एक प्रजनन सक्षम लेकिन ताक़तवर सांड गर्भधारण दर को घटा सकता है। अध्ययन में बांझपन संबंधी समस्याओं, प्रजनन दुहराव और प्रजनन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

मिथुन के आहार एवं चारा संसाधन, वन आधारित खाद्य संसाधनों के लिए संवर्धन तकनीक, मिथुन ने पाचन प्रक्रिया तथा रूमेन इकोसिस्टम, मिथुन में पोषकों के उपयोग तथा मूल्यांकन और मिथुन में आहार मानक तथा पोषण आवश्यकता का भी केंद्र के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है।

मिथुन के विभिन्न रोगों की पहचान तथा उनके प्रभावी नियंत्रण एवं निवारक उपायों के लिए राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, नगालैंड के अनुसंधान फार्म में कई तरह के वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। मिथुन में दर्ज़ प्रमुख रोगों में मुंह एवं खुरपका रोग, आईबीआर, कोरोनावाइरस संक्रमण, पेपिलोमेटोसिया, मेलिग्नेंट केटरल फीवर जैसे विषाणुजनित रोग, टीवी, जॉन रोग ब्रूसेलोसिस जैसे बैक्टीरियल रोग तथा अनेक परजीव रोगों के अलावा नवजात बछड़ों में नाभि में सूजन, खुले चरागाहों में चरने वाले पशुओं में नासिका में लीच का प्रकोप और यकृत फोड़ा (हीपेटिक एब्सेस) रोग पाए जाते हैं। पशुओं को स्वस्थ रखने से पशुपालन में आनेवाली लागत कम हो सकती है। इससे उत्पादकों के साथ उपभोक्ताओं को स्वस्थ पशु उत्पादों की आपूर्ति होगी। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारतीय महिलाओं ने रचा इतिहास

भारत ने डब्ल्यूएसएफ महिला विश्व टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार जगह बनाकर इतिहास रच दिया। भारतीय महिलाओं ने गत दिनों खेले गए प्रीक्वार्टर फाइनल मुक़ाबले में नीदरलैंड्स पर 2-1 से जीत दर्ज़ की। तीसरी बार इस द्विवार्षिक चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे भारत ने 2002 में 18वां और 2010 में 11वां स्थान हासिल किया था।

अंतिम-16 के पहले मैच में अनाका अंलाकामोनी ने मिलोउ वन डेर हेज को 11-8, 11-6, 11-5 से पराजित कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद विश्व के 13वें नंबर की खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल को दूसरे मैच में नाताली ग्रिनहाम ने 11-8, 11-4, 11-3 से हराकर डच टीम को 1-1 से बराबरी दिलाई। अब भारत को जीत दिलाने का सारा दारोमदार जोशना चिनप्पा पर था। चिनप्पा ने ऑरला नूम को पांच गेम चले मुक़ाबले में 5-11, 11-9, 8-1, 11-2, 11-3 से मात देकर भारत को अंतिम आठ में पहुंचाया। इससे पहले ग्रुप जी में शीर्ष पर रहने वाली भारतीय टीम ने अर्जेंटीना को 3-0 से हराकर प्रीक्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अलंकामोनी ने मारिया बोनिला को 11-4, 11-4, 11-7 से हराया था। वहीं दूसरे मुक़ाबले में जोशना चिनप्पा ने सेसिला करक्यूटी को सिर्फ़ 19 मिनट में 11-6, 11-3, 11-4 से मात दी। तीसरे मुक़ाबले में दीपिका ने अर्जेंटीना की नंबर एक खिलाड़ी एंटोनेला फालसियोने को 11-8, 11-7, 11-8 से हराया था। भारत के राष्ट्रीय कोच साइरस पोंचा ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने को बड़ी उपलब्धि बताया। पोंचा ने कहा कि शुरुआती मुक़ाबले में आयरलैंड को हराकर निश्चित तौर पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। इसके बाद अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ भी खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुझे विश्वास था कि हम नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ भी विजयी क्रम बनाए रखेंगे। कोच के मुताबिक, पिछली बार पुरुष विश्व चैंपियनशिप में हमने आठवां स्थान हासिल किया था और हम इस टूर्नामेंट के अंतिम आठ में पहुंच गए हैं। भारतीय स्क्वॉश के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ❑

THE COUNCIL
for Civil Services

THE COUNCIL
Comprehensive
Organised
Unified
&
Competitive
Integrated
Learning

Foundation Course
for the Beginners

Session - June and November

सामान्य अध्ययन
Kumar Gaurav, V.K. Tripathi, Rameshwar & Team

CSAT
A.K. Pandey, Biplab Ghosh, & Team

Reasoning
A.K. Pandey

English
Biplab Ghosh

Maths
"Think without Ink"

Geography
(Optional)
Kumar Gaurav

PALI
Eminent Faculty

Economics
Rameshwar

Philosophy
Eminent Faculty

History
Dr. Sanjay Singh (JNU)

Hindi
Ajay Anurag

Economy
GS PTM
Rameshwar

Stats
GS Mains
S.K. Seth

Delhi : A-19, 3rd Floor, Priyanka Tower, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9, Ph. 011-47048780, 9899457549
Allahabad : *Endeavour* - 573, Mumford Gunj, Near Nigam Chauraha, Allahabad, Ph. 09415217610
Patna : *Branch 1:* 3rd Floor, Gopal Market, Naya Tola, Patna - 800004, Ph.: 9835876750
Branch 2: 2nd Floor, M 2/6, Opp. Jamuna Apart., Boring Road, Patna-1, Ph.: 9334492665
Branch 3: 206, Ashiana Tower, Gandhi Maidan, Exhibition Road, Patna, Ph.: 9835876750, 9631609196
Jaipur : Gali No. 7 Barkat Nagar Near Tonk Phatak (garg Book Depot) 0141 -2595526 (9988457549)

Visit us at : www.thecoundileducation.com, Email. thecouncil.in@gmail.com, prashantsharmaias@gmail.com

YH-208/2012

एफडीआई क्या है?

● एफडीआई का उद्देश्य क्या है?

भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (एफडीआई) अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उसे बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य घरेलू पूंजी एवं तक़नीक और कुशलता की पूरक व्यवस्था करके आर्थिक प्रगति को गति देना है। पोर्टफोलियो निवेश से भिन्न, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य ऐसे उद्यम में दीर्घकालीन हितों की स्थापना है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का हिस्सा हो।

भारत सरकार ने इसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर एक नीतिगत रूपरेखा तैयार की है जो पारदर्शी है, अनुमानपरक और सरलता से विस्तारणीय है। यह रूपरेखा समेकित एफडीआई नीति के परिपत्र में शामिल है। यह प्रतिवर्ष अद्यतन की जा सकती है, ताकि समय के अंतराल से उपजी शिथिलता को नियामक परिवर्तनों के साथ गति दी जा सके। एफडीआई की नीतियां भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तैयार करता है।

● भारत में कौन निवेश कर सकता है?

भारत के बाहर रहने वाला एक व्यक्ति या इकाई (पाकिस्तान या बांग्ला देश के नागरिक के अलावा) या भारत के बाहर स्थित एक इकाई (पाकिस्तान या बांग्लादेश के अलावा निगमित इकाई) द्वारा भारत में भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत निवेश किया जा सकता है।

कोई बांग्लादेशी नागरिक अथवा बांग्लादेश स्थित इकाई केवल सरकारी माध्यम से निवेश कर सकते हैं।

नेपाल और भूटान में रह रहे प्रवासी भारतीय और नेपाल तथा भूटान के नागरिकों को प्रत्यावर्तन के आधार पर भारतीय कंपनियों की पूंजी में निवेश करने की अनुमति है। अनिवासी भारतीय नागरिक और नेपाल तथा भूटान के नागरिकों को इस शर्त के साथ एफडीआई योजना के अधीन निवेश की अनुमति है कि इसका भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मुक्त विदेशी मुद्रा आदान-प्रदान के तहत अंतर्वाही प्रेषण द्वारा किया जाएगा।

ओबीसी यानी विदेशी कंपनी निकाय 16 सितंबर, 2003 से भारत में निवेशक इकाई के एक वर्ग के रूप में अमान्य कर दी गई हैं। हालांकि जिन विदेशी कंपनी निकायों का अस्तित्व भारत के बाहर है और जो भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिकूल नोटिस के तहत नहीं हैं, वे अनिवासी इकाइयों के रूप में एफडीआई नीति के तहत नये निवेश कर सकती हैं।

अगर निवेश सरकारी माध्यम से हैं, तो सरकार का पूर्व अनुमोदन होना चाहिए और अगर स्वत: मार्ग से है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व अनुमोदन होना चाहिए।

● खुदरा क्षेत्र में एफडीआई कैसे लाभदायक है?

वैश्विक खुदरा दिग्गजों के प्रवेश से देश में नये निवेश के रास्ते खुलेगें, छोटी अवधि में इससे तीस से चालीस लाख सीधी नयी नौकरियों के द्वारा खुल सकते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक, अनुबंधित श्रमिक, गृह व्यवस्था और सुरक्षा के रूप में चालीस से साठ लाख तक अन्य नौकरियां सृजित हो सकती हैं। अनुमान है कि निवास और यातायात, कोल्ड स्टोरेज की शृंखला और गोदामों, भंडारणों से, विभिन्न कर के रूप में सरकार अतिरिक्त राजस्व के रूप में 24 से 30 बिलियन डॉलर तक प्राप्त कर सकती है। इससे सब्ज़ियों और अन्य ख़राब होने वाली वस्तुओं की बर्बादी रुकेगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी।

उपभोक्ताओं को इससे 4 से 10 प्रतिशत तक बचत होगी। किसानों को इससे 10 से 30 प्रतिशत तक अधिक मुनाफ़ा मिल सकेगा।

यह आर्थिक विकास में सहायक होगा।

सिंगल ब्रांड रीटेल क्या है। नये नियम क्या कहलाते हैं?

सरकार ने एकल ब्रांड खुदरा में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी है। ब्रांड का स्वामी विदेशी निवेशक होना चाहिए और बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्रांड' के होने चाहिए।

उत्पाद, भारत के अलावा कम से कम एक या अधिक देशों में समान ब्रांड नाम से ही बेचा जाए।

क्रय की नयी वस्तुओं का कम से कम 30 प्रतिशत मूल्य का स्रोत भारत में होना चाहिए। जिसमें लघु और मध्यम इकाई, ग्राम्य और कुटीर उद्योग, दस्तकारों और शिल्पकारों से क्रय किया गया हो।

इसकी मात्रा स्व-प्रमाणित होनी चाहिए, जिसकी जांच वैधानिक परीक्षक करेंगे।

ई-वाणिज्य द्वारा खुदरा व्यापार किसी भी रूप में मान्य नहीं है।

● बहु ब्रांड खुदरा क्या है?

सरकार ने बहु ब्रांड खुदरा में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में लगाया जाने वाला धन कम से कम 100 मिलियन डॉलर होना चाहिए। कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत तीन साल में आधारभूत ढांचे में निवेश करना होगा।

उत्पाद की अधिप्राप्तियों के कुल मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग के स्रोत से लेना होगा, जिसका कुल निवेश एक मिलियन डॉलर से अधिक नहीं होना चाहिए।

खुदरा बिक्री केंद्र केवल उन्हीं शहरों में खोले जाएं जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज्यादा की आबादी हो और ये केंद्र 10 किमी की म्यूनिसिपल या नगरीय सीमा को कवर करते हों।

फार्म उत्पाद, जैसे– फल, सब्ज़ियां, फूल, अनाज, दाल, कुक्कुट, मत्स्य और मांस ब्रांड विहीन हो सकते हैं। फार्म उत्पादों पर पहला अधिकार सरकार का होगा। ❑

(संकलन : इरशाद अली
संपादक *रोज़गार समाचार*)

TM

Classic IAS ACADEMY

SHAPING TALENT

20% रियायत
अनुसुचित जाति, जनजाति एवं विकलांग

15% रियायत
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), ग्रामीण क्षेत्र एवं अल्पसंख्यक छात्र

10% रियायत
शहरी गरीब छात्र

हमारे द्वारा योग्य, पिछड़े और ई.डब्लयू.एस. छात्रों के लिए शुल्क रियायतों के खुलेआम विज्ञापन से इस क्षेत्र में क्रांति हुई है। कोई अन्य संस्थान ये शुल्क रियायतें समाज के इन वर्गों को नहीं दे रहा। 100% शुल्क रियायतें पहले से ही विभिन्न योग्य छात्रों को दिया जा चुका है। हम आश्वस्त हैं कि हमारी गुणवत्ता की पहचान कोई भी कर सकता है।

दिल्ली के सबसे उत्कर्ष्ट एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन। निःशुल्क ट्रायल क्लास की व्यवस्था।

सामान्य अध्ययन, CSAT

वैकल्पिक विषय : भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन

पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

UG-33 & 34, Ansal Chamber-I, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066
Ph. : 32323293, 32323294 Mob. : 9310034050, 9310034060
Web : www.classiciasacademy.com Email: enquiry@classiciasacademy.com,

हॉस्टल सुविधा उपलब्ध

YH-225/2012

एक नि:स्वार्थ सफ़लता यात्रा

● सुरेश धर्मपुरी

इच्छाएं और लक्ष्य किसी को भी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वह शीर्ष पर पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा उड़ानें भरें। फिर चाहे, मंजिल के रास्ते में कितनी ही बाधाएं आए, वह उन्हें पार कर ही लेते हैं। अगर कोई असफ़लताओं और निराशाओं से उबर जाता है और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जाता है, तो उसे सफ़लता ज़रूर मिलती है।

आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास में सहायक परियोजना प्रबंधक अनंत लक्ष्मी का जीवन इसका उदाहरण है, कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में आने वाली त्रासदियों और कठिनाइयों से पार पाया और अपना करियर बनाया। उन्होंने न केवल स्वयं में कुशलता विकसित की, बल्कि अपने समाज की निरक्षर और ज़रूरतमंद महिलाओं के सामाजिक विकास में भी सहयोग किया। अनंतलक्ष्मी उस समय गृहस्थ जीवन जी रही थीं, जब उनके पति उन्हें नियति के हाथों सौंप कर चल बसे। तब, छठी कक्षा तक पढ़ी अनंतलक्ष्मी को नहीं मालूम था कि उनके जीवन में आगे क्या लिखा है।

पति की मौत के सात महीने बाद अनंत लक्ष्मी ने एक कन्या को जन्म दिया। उस समय उनका भविष्य अनिश्चित था। तभी उनकी एक आंटी मंगम्मा ने उनकी मदद की। आंटी शिक्षक थीं, उन्होंने अनंतलक्ष्मी को कठिन काम करके भी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया।

युवा विधवा अनंतलक्ष्मी ने आंटी की सलाह पर अमल करने का फ़ैसला किया और विजयवाड़ा के एक आवासीय विद्यालय में नौकरी कर ली। यह विद्यालय पश्चिम गोदावरी जिले के उनके पैतृक गांव से 100 किलोमीटर दूर था।

अवसर हर किसी के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं, लेकिन यह अलग-अलग लोगों पर निर्भर करता है कि वह उनका उपयोग कैसे करते हैं। रीति और परंपराओं के सामाजिक दबाव के बावजूद अनंतलक्ष्मी ने पढ़ाई जारी रखी और पहली ही कोशिश में मैट्रिक पास कर लिया। सफलता की तरफ अनंतलक्ष्मी का यह पहला क़दम था। 1980 में उनकी आंटी ने उनके लिए एक नौकरी ढूंढ दी और अनंतलक्ष्मी ने पूर्वी गोदावरी जिले के मारेदुमल्ली गांव की वेट्टिचेलुवुला आदिवासी बस्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में नौकरी शुरू कर दी। यह इलाक़ा आंध्र प्रदेश का धान का कटोरा कहलाता है। अनंतलक्ष्मी को वेतन के रूप में तब मात्र 120 रुपये मासिक मिलते थे। इसी धन में वह अपने बच्चे की देखभाल भी करती थीं और अपने लिए दो रोटी का जुगाड़ भी। यह नौकरी उन्हें सफलता के रास्ते पर ले आई और फिर उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। उन्होंने रात-दिन मेहनत करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन भी किया और अपनी लगन और समर्पण के बूते आदिवासी बस्ती की महिलाओं के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाईं।

इस बीच अपना करियर बनाने के लिए भी उन्होंने कड़ी मेहनत की और प्रोन्नति के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा देकर सफलता की एक और सीढ़ी चढ़ गईं। 1995 में उनका स्थानांतरण चिन्नागड्डू हुआ और साथ ही प्रोन्नति भी मिली। उन्हें जिला ग्राम्य विकास विभाग में तैनात किया गया और वेतन वृद्धि के

साथ उनका वेतन 1,100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। यही नहीं, स्वयं सहायता समूहों के लिए उनके निःस्वार्थ और अथक परिश्रम ने न केवल उन्हें औपचारिक पहचान दी, बल्कि स्वयं सहायता समूहों के बीच उनकी अच्छी छवि भी बनी। जल्दी ही उनकी प्रोन्नति प्रसार अधिकारी के रूप में हो गई और उन्होंने जिले में कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दीं।

अनंतलक्ष्मी को अपने सेवा काल में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्हें हर जगह अपने पुरुष सहयोगियों का सहयोग प्राप्त हुआ और राजनीतिक क्षेत्रों में भी अलग-अलग दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अनंत लक्ष्मी की पहल और सेवाओं को समर्थन दिया। वर्तमान में अनंतलक्ष्मी इसी ज़िले के रावुलापालेम मंडल में सहायक परियोजना प्रबंधक के रूप में सेवा दे रही हैं और उनका वेतन क़रीब 25,000 रुपये हैं।

अपने जीवन पर टिप्पणी करते हुए अनंतलक्ष्मी कहती हैं, ''मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ होगा।'' उन्होंने कहा, ''मुझे इस स्तर तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और कठिन मार्ग अपनाने पड़े। ये वे दिन थे, जब महिलाओं को घर की दहलीज़ के अंदर सीमित रखा जाता था और समाज को उनका नौकरी करना स्वीकार नहीं था, लेकिन शुक्र है कि मुझे कार्यालय और फील्ड में भी अपने पुरुष सहयोगियों का पूरा समर्थन और सहयोग मिला वह याद है।''

अनंतलक्ष्मी ने न सिर्फ़ अपने करियर निर्माण के दौरान उपलब्धियां हासिल कीं, बल्कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ढेरों महिलाओं के जीवन में भी बदलाव लाईं। उन्होंने न सिर्फ़ अपना करियर बनाया, बल्कि अपने आसपास बहुत से लोगों का जीवन भी बदला। आज उनके अधीन क़रीब 1,700 स्वयं सहायता समूह हैं। इन समूहों के लिए बैंक से क़रीब 10 करोड़ का ऋण दिलाने में उन्होंने महती भूमिका निभाई। उन्होंने समूह की महिलाओं को मिठाई की दुकान जैसे लघु उद्योग, आम के पल्प के ग्रामोद्योग और डेयरी खोलने में मदद की।

जो महिलाएं कल तक अपने पतियों की कमाई पर निर्भर थीं, अनंत लक्ष्मी के सहयोग से आज वे अपने पैरों पर खड़ी हैं। ग़रीबी रेखा से नीचे, ग़रीबी रेखा और मध्यम वर्ग की जिन महिलाओं के पास जीने लायक आय नहीं थी, उनकी व्यक्तिगत रुचि और योग्यता की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षित किया गया और फिर उनके स्वयं सहायता समूहों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

इसका सारा श्रेय अनंतलक्ष्मी को जाता है, जिन्होंने इन महिलाओं को सरकारी एजेंसियों से सहायता दिलाई और पहचान दिलाई। ऐसी ढेरों महिलाएं हैं, जिन्हें अनंत लक्ष्मी के कारण लाभ मिला और वे विपन्नता के जीवन से बाहर आ सकीं। पूर्वी गोदावरी ज़िले के अत्रेयपुरम मंडल के उच्चिली में एम.एम. लक्ष्मी ने दुर्गा भवानी समूह की स्थापना की, जो अनंत लक्ष्मी के सहयोग का एक उदाहरण है। इस समूह की प्रमुख लक्ष्मी, समूह की प्रगति के लिए अनंत लक्ष्मी की कोशिशों को सराहती हैं, जिन्होंने उन्हें विभिन्न एजेंसियों से सहायता दिलाई।

यह समूह अचार और पूठा रेकुलु जैसी मिठाइयां बना रहा हैं। चावल और चीनी से बनी ये मिठाइयां आंध्र प्रदेश के तटीय जिले में बेहद लोकप्रिय हैं। यह समूह बेहद कम लागत से शुरू हुआ था और आज इसका टर्न ओवर लाखों में है। इसी तरह रावुल्ला पालेम का वीरा ब्राह्मम समूह बाज़ार में फल और सब्ज़ियां बेच रहा है। इस समूह के प्रमुख डी नागामणि कहते हैं, ''हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतना सफल होगा। इसका श्रेय तो सरकारी सहायता को जाता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से यह सहयोग अनंत लक्ष्मी द्वारा मिला।'' नागमणि बताते हैं, ''इस समूह के कई सदस्यों का आज अपना स्वतंत्र व्यवसाय है जिन्होंने किराने की दुकान आदि खोल ली हैं।''

अत्रेयुपरम में जीवन ज्योति समूह की एक और नेता सत्य वेणि याद करती हैं कि अनंत लक्ष्मी से भेंट से पहले उनका परिवार बेहद संकट से गुज़र रहा था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें भरोसा नहीं था कि वह स्वतंत्र जीवन जी सकेंगी, लेकिन गांव में अपनी कुछ पड़ोसियों को देखकर उन्हें लगा कि जब कोई व्यक्ति हाथ बढ़ाकर उन्हें सहायता दे रहा है, तो उसकी सहायता के सहारे वह भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तब उन्होंने 10 महिलाओं के एक समूह का गठन किया और अपनी आय के साथ बैंक से वित्तीय सहायता लेकर आम के गूदे का व्यवसाय शुरू किया। पूर्वी गोदावरी जिला आम के गूदे के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है और यह कई देशों में निर्यात भी होता है। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह 10 या 15 सदस्यों के सहयोग से बनता है, जिसमें धन चक्र चलता है और समूह का प्रत्येक सदस्य एक निश्चित राशि का सहयोग देता है। यह राशि बैंक में जमा कर दी जाती है। इसके बाद बैंक पहली किस्त के रूप में 50,000 का कर्ज़ दे देता है। इसके बाद भुगतान की साख पर बैंक पांच लाख तक का कर्ज़ उपलब्ध करा देता है। अनंतलक्ष्मी ने ऐसे मौकों पर समूहों की तरफ से बैंकों को भुगतान का भरोसा देकर उन्हें धन दिलवाया। रावुलापालेम मंडल में 2011-12 के दौरान अनंत लक्ष्मी ने 1670 समूहों के लिए बैंकों में 17.78 करोड़ रुपये के अनुमोदन का आश्वासन भरा। यह कर्ज़ महिला समूहों के कई लघु अवधि वाले व्यवसायों/व्यापारों को जारी किए गए। अनंत लक्ष्मी ने ऐसा करके इन समूहों में अपनी श्रेष्ठ छवि बनाई।

अनंतलक्ष्मी के लिए पुरस्कार और सम्मान सामान्य बात है। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें हर किसी से प्रशंसा मिलती है। 15 अगस्त, 2003 को उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रसार अधिकारी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2002-03 में उन्हें विभाग की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया। 1998 में स्वाधीनता दिवस पर उन्होंने कलेक्टर से श्रेष्ठ सेवा के लिए और सीआईआरडीएपी, बांग्लादेश सरकार से प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि 15 अगस्त, 2011 को अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए उन्हें श्रेष्ठता पुरस्कार प्राप्त हुआ।

अनंतलक्ष्मी अपना जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हैं। उन्होंने सेवानिवृति के बाद एक अनाथाश्रम में काम करने का निर्णय लिया है। अनंत लक्ष्मी की वास्तविक जीवन की कहानी करियर, कुशलता और सामाजिक विकास का मिश्रण है। उनकी कहानी इस तथ्य को दोहराती है, कि हौसले और दृढ़ निश्चय से न केवल कोई अपना जीवन बदल सकता है, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकता है। ❑

(लेखक *योजना* (तेलुगु) में वरिष्ठ संपादक हैं)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं

संसदीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें

● नंदिनी

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यह क्षेत्र विस्मयकारी सांस्कृतिक विविधता, नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन एवं जैव-विविधतों से भरपूर है। वास्तव में पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रत्येक राज्य पर्यटकों के लिए स्वर्ग है जहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं परंतु जो दुर्भाग्य से अप्रयुक्त रहा है। अतः इसे 'अन्वेषित स्वर्ग' ठीक ही कहा गया है।

संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास के बारे में अपने एक सौ बहतरवें प्रतिवेदन में उक्त विचार व्यक्त किए हैं। समिति ने कहा है कि देसी-विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के आगमन के मामले में पूर्वोत्तर राज्य अन्य राज्यों से काफी पीछे है। इस क्षेत्र में असम राज्य की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी बेहतर है जिसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में सुधार की काफी गुंजाइश है।

समिति ने कहा है कि इस उद्देश्य हेतु निधियों की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अपने कुल बजट में से 15 प्रतिशत से 19 प्रतिशत राशि जारी की है जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दस प्रतिशत के अनिवार्य आवंटन से कहीं अधिक है।

अपने दौरे के दौरान समिति ने पाया कि त्रिपुरा के नीर महल को एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है क्योंकि यह असीम संभावनाओं से युक्त है। तथापि इस झील में जलस्तर काफी कम है, विशेषकर जाड़ों में यह काफी कम हो जाता है जबकि पर्यटकों के आगमन का यही उचित समय होता है। यह पता लगा है कि त्रिपुरा सरकार ने रूद्रसागर झील से गाद निकालने के लिए कुछ कार्रवाई की है। समिति की राय है कि केवल राज्य सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए समिति ने सिफ़ारिश की है कि पर्यटन मंत्रालय को पर्यटक गंतव्य के रूप में इस झील को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस प्रयास से क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटक अतिथिगृहों, हाउसबोटों, जलक्रीड़ाओं और नौकाविहार जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती है। केंद्र सरकार भी राज्य सरकार से परामर्श करके 'नीर महल' को विकसित करने के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार कर सकती है।

समिति ने सिफ़ारिश की है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक कार्पोरेट गंतव्य बनाया जा सकता है और तदनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है। तथापि, इस क्षेत्र की संवेदनशील परिस्थिति की और इन राज्यों के सामरिक महत्व के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को होटल, यातायात आदि पर्यटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों के विकास के लिए करों में छूट और अन्य प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्य के होटल मालिकों को अन्य उद्योगों को दी जानेवाली कर छूट के समान ही कर में छूट प्रदान की जानी चाहिए। विलासिता कर और प्रदूषण शुल्क की विद्यमान उच्च दरों पर पुनः विचार किया जा सकता है ताकि इन्हें सभी वर्गों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहन करने योग्य बनाया जा सके।

समिति का मानना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं जिनका अधिकतर लाभ नहीं उठाया गया है। समिति का विचार है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु बनाई गई योजना के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से ज्यादा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। समिति ने पाया कि केवल नगालैंड सरकार ने ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। समिति ने सिफ़ारिश की है कि पर्यटन मंत्रालय को पूर्वोत्तर राज्यों से परामर्श करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो योजनाओं को संशोधित करना चाहिए ताकि इन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हो सकें और इस उद्देश्य हेतु अलग रखी गई राशि का उपयोग हो सके।

समिति का मत है कि पर्यटक क्षमता वाले अगम्य क्षेत्रों में संपर्क सुविधा प्रदान करने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकॉप्टर प्रचालन

को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। समिति ने कहा है कि सिक्किम के अलावा किसी भी राज्य ने अभी तक पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से हेलीपत्तनों (हेलीपैड) हेतु प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि पर्यटन मंत्रालय अन्य राज्यों को प्रेरित कर सकता है और उनको उनसे संबंधित राज्य में हेलिपर्यटन के प्रोत्साहन के लिए भी कह सकता है। समिति ने चिंता के साथ इस बात पर गौर किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है इससे निश्चित रूप से पर्यटकों पर बुरा असर पड़ सकता है। समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि नागर विमानन मंत्रालय को पूर्वोत्तर में हेलिकॉप्टर प्रचालनों को सुरक्षित बनाने के लिए इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। समिति ने इस संबंध में अपने 169वें प्रतिवेदन (भारत में हेलिकॉप्टर प्रचालन) में की गई सिफ़ारिशों पर ध्यान दिलाया है। जिसमें कहा गया था कि पूरे भारत में हेलिकॉप्टर प्रचालन की समीक्षा की जाए और सुरक्षित हेलिकॉप्टर यात्रा को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त क़दम उठाए जाएं। समिति ने यह भी सिफ़ारिश की थी कि निम्न दृश्यता के दौरान हेलिकॉप्टरों की उड़ान भरने/उतरने हेतु दिशा-निर्देशों विनियमों को न केवल कठोर बनाया जाना चाहिए अपितु उनका कठोरता से पालन भी किया जाना चाहिए।

पवनहंस लिमिटेड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवा के संबंध में एक व्यापक अध्ययन किया है और प्रतिवेदन एनईसी को सौंप दिया गया है। समिति की राय में हेलिकॉप्टर सेवाओं से उन गंतव्यों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है जहां पर्यटक लंबी और पर्वतीय सड़कों से यात्रा करने से बचते थे। इसलिए समिति ने सिफ़ारिश की है कि रेल/सड़क संपर्क की दिक्क़तों और प्रायः रद्द होने वाली उड़ानों को देखते हुए पवनहंस द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच की जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए ताकि विमान सेवा की समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सके।

समिति ने इस बात पर भी गौर किया है कि गुवाहाटी, गंगटोक और शिलांग में तीन होटल मैनेजमेंट संस्थान चल रहे हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में पांच होटल मैनेजमेंट संस्थान और तीन फूड क्राप्ट इंस्टीट्यूट खोलने के प्रस्ताव है। समिति ने उम्मीद जताई है कि इन संस्थानों की स्थापना से क्षेत्र में प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति की भावी आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। इन संस्थानों के निर्धारित सीमा के भीतर चालू हो जाने का भी विश्वास व्यक्त किया गया है।

सरकार ने बताया कि आइजोल, दीमापुर, ईटानगर, जोरहाट और अगरतला में होटल प्रबंध संस्थान तथा तूरा, नामची और नवगांव में फूड क्राप्ट इंस्टीट्यूट ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इंफाल में एक फूड क्राप्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। इसके लिए भूमि की पहचान की जा चुकी है परंतु इसे अभी तक सोसाइटी के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया गया है।

समिति ने भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्र परमिटों को शिथिल किया है और विदेशी पर्यटकों को मणिपुर और नगालैंड के और अधिक क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी है। समिति का विचार है कि विदेशी पर्यटकों पर इन प्रतिबंधों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक विदेशी पर्यटक पूर्वोत्तर क्षेत्रों का दौरा करें। समिति ने कहा है कि इन सभी बातों को एक साथ वेबसाइट पर डालने तथा भारत के सभी दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए ताकि पर्यटकों को अनावश्यक रूप से परेशानी न उठानी पड़े।

समिति ने सुझाव दिया है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यामां और थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों के साथ विचार-विमर्श से विशेष अंतरराष्ट्रीय पैकेज़ों के द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क़दम उठाए जाने चाहिए। पूर्वोत्तर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई मठ हैं। समिति ने सिफ़ारिश की है कि गुवाहाटी और बैंकाक के बीच उड़ानों की बारंबारता को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है और गुवाहाटी और ढाका, भूटान, नेपाल और कुनमिंग के बीच उड़ाने शुरू किए जाने की ज़रूरत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के दक्षिणी भाग को कवर करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम से कम एक और एयरपोर्ट, संभवतः अगरतल्ला में को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करना होगा।

समिति का ध्यान इस बात पर भी गया है कि माजूली द्वीप गहन भू-क्षरण के कारण ख़तरे में है और इस गति से माजूली विलुप्त हो जाएगा। समिति ने इस द्वीप को बचाने के लिए क़दम उठाने और इसे विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में घोषित कराने की सिफ़ारिश की है। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने के लिए कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिए कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफ़ाफ़ा संलग्न करें।

– संपादक

इक्कीसवीं सदी की प्रौद्योगिकी में नये कार्बन पदार्थों की भूमिका

● कमान सिंह

यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि हम 'कार्बन युग' में जी रहे हैं तथा इराक युद्ध भी कार्बन (पेट्रोलियम) के लिए लड़ा गया। हर कोई जानता है कि 'हीरा' एक चमकदार 'बहुमूल्य पत्थर' है तथा 'ग्रेफाइट' पेंसिल में उपस्थित 'लेड' है। इसलिए शायद प्रतीकात्मक स्वरूप कार्बन के एक अपररूप डायमंड को प्रतिष्ठित *साइंस* पत्रिका ने 1990 में 'मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर' घोषित किया था और प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाने वाला कार्बन का ही नवजात अपररूप फुलरीन (कार्बन 60) था जिसने वैज्ञानिक जगत में सनसनी पैदा कर दी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 2010 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी ग्रेफीन (कार्बन) के खोजकर्ताओं को दिया गया।

फुलरीन, ग्रेफाइट एवं हीरा के बाद कार्बन का तीसरा नवीनतम (1985) अपररूप है जिसकी संरचना अमरीकी मंडप (अल्पांतरी गुंबद) से मिलती है जिसका निर्माण प्रसिद्ध वास्तुविद् बकमिनिस्टरफुलर ने किया था, इसलिए इसे 'बकमिनिस्टरफुलरीन' भी कहा जाता है। यह कार्बन की निश्चित 60 परमाणुओं की त्रिविमीय खोखली संरचना है जिसमें एरोमैटिक निकाय संगलित चक्र के रूप में चारों ओर से बंद होकर एक चक्रीय फुटबॉल के आकार का अणु बनाती है जिसमें 20 हेक्सागन तथा 12 पेंटागन होते हैं। इसलिए कार्बन 60 को 'बकीबाल' भी कहा जाता है।

पंचभुजीय वलय में दो कार्बन परमाणुओं की मध्य दूरी 1.43 ए। होती है। जबकि षट्भुजी वलय में 1.40 ए होती है। अणु में कुल मिलाकर 90 बंध होते हैं जिसमें 30 छोटे व 60 लंबे होते हैं। गेंद के पंजर का व्यास लगभग 70 पीएम होता है जोकि हाइड्रोजन परमाणु के व्यास का लगभग 6-10 गुना होता है जबकि वांडरबाल त्रिज्या 3.3-3.4 ए होती है। बेंजीन के समान इसमें 12,500 से भी अधिक कैकुले संरचनाएं होती हैं। जिनमें से केवल एक संरचना में स्थानीकृत द्विबंध होता है। गेंद पंजर अत्यधिक स्थायी होता है और 1,375 डिग्री से. पर भी विघटित नहीं होता है।

सर्वप्रथम 1970 में फुलरीन का बाह्य क्षेत्र में कार्बन क्लस्टर (समूह) के रूप में पता लगा। तदुपरांत वैज्ञानिक इसे प्रयोगशाला में बनाने का सपना देखने लगें और यह सपना 1985 में पूरा हुआ जब क्रोटो, कर्ल एवं स्मेले ने इसे ग्रेफाइट से बनाने में सफलता प्राप्त कीं। अब हालांकि अन्य फुलरीन जैसे– कार्बन 70 कार्बन 76, कार्बन 84, कार्बन 240 एवं कार्बन 300 भी खोजे गए हैं। इस दुर्लभ खोज ने विज्ञानजगत में सनसनी पैदा कर दी और इसे 1991 में 'वर्ष का अणु' (ऑफ दी ईयर) घोषित किया गया तथा इसके खोजकर्ताओं को 1996 में रसायनशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद इसे कार्बन, काजल, बेंजीन तथा कोल आदि से भी बनाया गया। इस अद्वितीय अणु ने अंतर्विषयी शोध जैसे– सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक विज्ञान, जैवविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मेटेरियल साइंस, गणितीय विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, विद्युत

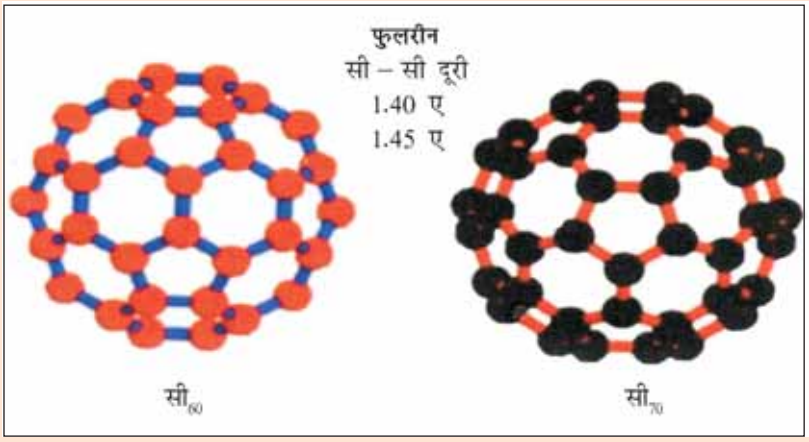

उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य आदि क्षेत्रों के लिए दरवाज़े खोल दिए हैं। वर्तमान में शुद्ध फुलरीन की बाज़ार क़ीमत 250 से 1000 यूएस डॉलर प्रति 10 ग्राम है।

फुलरीन खोज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1966 : जोन्स ने फुलरीन अणु की तरह एक कार्बनिक अणु की कल्पना की।

1970 : ओसाबा ने फुलरीन संरचना की संभावनाएं प्रस्तुत की।

1971 : योसीबा तथा ओसाबा ने 'सुपरा-ऐरोमेटिसिटी' में कार्बन 60 जैसे अणु का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया।

1973 : बोलचर और गेल्पर्न ने कार्बन 60 की हूकल गणनाएं प्रस्तुत की।

1980 : डेविसन ने ग्राफ सिद्धांत द्वारा कार्बन 60 की हूकल गणनाओं हेतु बीजगणितीय हल प्रस्तुत किया।

1959-1963 : हिंटवर्जर एवं उनके साथियों के अनुसार कार्बन 60 परमाणु की स्पीशीज कार्बन आर्क से प्राप्त की जा सकती है।

1984 : रोलफ्रिग, काक्स एवं कालडोर ने बताया कि ग्रेफाइट के वाष्पीकरण से एक बड़ा आर्क क्लस्टर (समूह) उत्पन्न किया जा सकता है।

1985 : ग्रेफाइट से फुलरीन के संश्लेषण की घोषणा।

1991 : फुलरीन को 'वर्ष का अणु' घोषित किया गया।

1996 : सर हारोल्ड डब्ल्यू क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल एवं रिचर्ड स्मेले को इस अद्वितीय अणु की खोज हेतु रसायनशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

फुलरीन शोध का राष्ट्रीय परिदृश्य

फुलरीन खोज के तुरंत पश्चात् भारत में विभिन्न शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में शोध प्रारंभ हुआ जो निम्न हैं :

- भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु
- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली
- टाटा मूलभूत शोध संस्थान, मुंबई
- राष्ट्रीय रसायन प्रयोशाला, पुणे
- इंदिरा गांधी परमाणु शोध केंद्र, कलपक्कम तमिलनाडु
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, खड़गपुर
- भाभा परमाणु शोध केंद्र, मुंबई
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
- कोलकाता विश्वविद्यालय
- दिल्ली विश्वविद्यालय
- हैदराबाद विश्वविद्यालय
- डीएमएसआरडी, कानपुर
- राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर एवं अन्य संस्थान।

आकाश गंगा में शर्करा की खोज से फुलरीन की खोज की अधिकल्पना

वर्ष 2002 में ऐरीजोना के वैज्ञानिकों ने आकाश में शर्करा की खोज की। वैज्ञानिक कहते हैं कि अंतराकाशी बादलों के बीच 'टेबिल शुगर' के चचेरे भाई 'ग्लाइकोडिल्हाड' की खोज से ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाएं मीठी हो गई हैं। इस खोज से पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति का रहस्य मालूम हो सकेगा। यह उल्लेखनीय है कि ग्लाइकोल्डिहाइड सर्वाधिक सरल शर्करा है जो प्राकृतिक रूप से राइबोज एवं ग्लूकोज (डी-शर्करा) में पाई जाती है। राइबोज शर्करा आरएनए की आधारशिला है जो जीव कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, ग्लूकोज सर्वाधिक सामान्य शर्करा है जो पादप रसों एवं फलों में पाई जाती है। चूंकि ग्लोकोल्डिहाइड, शर्करा परिवार में एक मात्र सामान्य शर्करा है जिसकी अंतराकाशी बादलों के बीच में पहचान हो चुकी है। आकाश में शर्करा के सिद्धांत का शोषण कर सर्वाधिक सुंदर अणु फुलरीन (कार्बन 60) को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। यह एक सर्वमान्य धारणा है कि फुलरीन सर्वप्रथम 1970 में बाह्य क्षेत्र में कार्बन क्लस्टर के रूप में पहचानी गई थी और इसकी पहचान से ही फुलरीन खोज का रास्ता सामने आया। इस प्रकार आकाश गंगा में शर्करा (कार्बन यौगिक) की खोज ने प्रयोगशाला में कार्बन 60 के संश्लेषण हेतु पुनः प्रयास करने की प्रेरणा प्रदान की। यह उल्लेखनीय है कि शर्करा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं और प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन यौगिकों का सामान्य सूत्र $C_x(H_2O)_y$ होता है, जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2 : 1 होता है जैसा कि पानी में पाया जाता है। इसलिए फ्रांसीसी इसे 'हाइड्रेट्स ऑफ कॉर्बन' कहते हैं। यदि इन यौगिकों में से समस्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पानी के रूप में निष्कासित कर दिया जाए तो कार्बन-60 प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं। इसको निम्न सामान्य संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है।

$$10C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{उच्च ताप एवं अक्रिय वातावरण}} C_{60} + 60H_2O$$

प्रकृति हमें इन जीवन अणु को दान करने में अति दयालु है और शायद इनका उपयोग कार्बन-60 प्रकार के यौगिक बनाने में किया जा सके। अतः समानता के कारण लेखक ने इस अद्वितीय अणु (फुलरीन) के संश्लेषण में शर्कराओं के महत्व को स्वीकार करते हुए एक नया नाम 'शुगर-फुलरीन' या 'शुगरीन्स' या 'शुगर बकीबाल्स' रखा है।

फुलरीन का शोधन

फुलरीन मिश्रण का पृथक्करण एवं शुद्धीकरण क्रोमेटोग्राफी द्वारा किया जाता है। यह फुलरीन पृथक्कीकरण की अद्वितीय विधि मानी जाती है। फुलरीन का कार्बनिक विलायकों जैसे– बैंजीन, टालुईन, क्लोरोबेंजीन या क्लोरोफार्म से क्रोमोटोग्राफी द्वारा पृथक किया जाता है।

फुलरीन का परीक्षण

अवरक्त स्पेक्ट्रमिकी कार्बन 60 की पहचान हेतु वास्तव में 'अंगुलीछाप स्पेक्ट्रम' के रूप में एक महत्वपूर्ण तकनीक स्थापित हुई है। फुलरीन का उपयुक्त विलायकों में विलयन बनाकर द्रव्यमान स्पेक्ट्रमिकी द्वारा भी पहचान की जा सकती है।

फुलरीन के गुण

कार्बन 60 फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में क्रिस्टलीकृत होता है। फुलरीन, डायमंड और ग्रेफाइट से प्रमुखतः इस बात में भिन्न होता है कि डायमंड और ग्रेफाइट जालक बनाते हैं जबकि फुलरीन अणुओं के रूप में हैं। ग्रेफाइट और डायमंड जालीय ठोस होने के कारण द्रव विलायकों में अघुलनशील होते हैं, जबकि फुलरीन जोकि आणविक रूप में होता है, उपयुक्त विलायकों में घोला जा सकता है। खोखले पंजर के अंदर धातु आयनों के लिए जगह उपलब्ध रहती है। फुलरीन की खोज के मात्र 6 साल बाद इसके यौगिकों के विषय में पता लगना शुरू हुआ जिनमें

अतिचालकता की महत्वपूर्ण संभावनाएं पाई गई हैं। ये क्षारीय धातुओं (Li, K, Cs) और संक्रमण धातुओं (Fe, Ni आदि) के साथ ऋणात्मक आवेशित 'पंजर' व 'क्लेथरेट्स' बनाते हैं जिन्हें ''फुलेराइड्स'' कहा जाता है, जिनमें प्रतिरोध विहीन विद्युत चालकता की संभावनाएं पाई गई हैं। वह भी निम्न परंपरागत अतिचालकता ताप पर नहीं बल्कि सामान्य कमरे के ताप पर। उदाहरण के लिए पोटेशियम फुल्लेराइड 18K से नीचे एक अतिचालक के रूप में कार्य करता है। उच्च ताप फुलरीन अतिचालकों की खोज के बाद ये विभिन्न औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए कारगर उपाय बनकर सामने आए हैं। फुलरीन पोटेशियम सायनाइड से क्रिया करके द्विलक C120 बनाता है। इसका विद्युत रासायनिक रूप से अपचयन किया जा सकता है तथा प्रथम समूह के तत्वों के साथ यह ठोस बनाते हैं। इसकी अल्प उपस्थिति से पॉलीस्टाइरीन की वैद्युत चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है।

फुलरीन के उपयोग वाले क्षेत्र

- **व्यावसायिक :** अद्भुत स्नेहक के रूप में, नैनोट्यूविंग, रसायन उद्योग, उच्चताप (350-650) बहुलकों के निर्माण में, शाखित बहुलकों के निर्माण में, उत्प्रेरण में चुंबक सेंसर और ट्रांसडयूसर, चुंबकीय कवच, लौहचुंबकत्व, चुंबकीय प्रशीतक, कार्बन रेशे, कार्बन 60 फुलरीन टेट्राकिस (डाईमेथिल एमीनों) एथिलीन का उपयोग घूर्णीय चुंबक के रूप में किया जाता है। पृष्ठीय आवरण में, चुंबकीय द्रव्य, टोनर एवं डेफलवर के संघटन में। विस्तीर्ण बैंड तापीय प्रकाश सीमांतक जिसका उपयोग आंखों एवं संसूचकों के सुरक्षा में किया जाता है, टोपीरहित पतली कार्बन नैनोंटयूब्स के निर्माण में एवं खरपतवारनाशी, पादप वृद्धि नियामक में किया जाता है।
- **चिकित्सा :** चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई), कैंसर, एड्स, वायरल, एंटी वायरल ड्रग के संश्लेषण में, ड्रग वं फार्मास्युटिकल उद्योगों हेतु जीवसक्रिय यौगिकों के संश्लेषण में, नाड़ी एवं रोगहर चिकित्सा संबंधी रोगों के निदान में।
- **रक्षा :** राकेट ईधन, राकेट एवं मिसाइल आदि में घर्षण, निर्वात एवं दाब रोधक के रूप में, प्रकाश सीमांतक, बेलेस्टिक मिसाइल कवच के रूप में।
- **विद्युत उत्पादन एवं भंडारण :** वैद्युत उत्पादन, सोलर ऊर्जा परिवर्तन में, इलेक्ट्रॉनिक उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं में, ऊर्जा भंडारण, परमाणुविक स्केल इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ईंधन सेल, ठोस वैद्युत रसायनिक सेल के इलेक्ट्रोड (कैथोड़), फोटोवोल्टिक सेल, फोटोडायोड्स, संयुग्मित बहुलक-ग्राही विषमसंधि डायोड बनाने में, वैद्युत भंडारण उपकरणों के निर्माण में, ठोस/गैस द्विक परत धारित्र के रूप में।
- सुपरचालकों एवं अर्धचालकों के निर्माण में।
- **फुलरीन आधारित यौगिकों के निर्माण में :** नैनो पार्टिकल्स, नैनो टयुबिंग, सुपर चालक विस (फेरोसीन) कार्बन 60-फुलरीन, आवेश-स्थानांतरण संकुलों के निर्माण में।
- **अन्य :** नाभिकीय पदार्थों के भंडारण में, उच्च विभव स्थापन में, लेजर को क्षीण करने के उपयोग में, रॉकेट ईंधन के रूप में।

फुलरीन आज एक महत्वपूर्ण शोध का विषय बन चुका है और इस क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति हो रही है। इसलिए प्रारंभ में जो मात्र एक अणु की खोज के रूप में देखा जा रहा था, उसमें इक्कीसवीं सदी में मानवता के कल्याण की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। ❑

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग में उपाचार्य हैं।
ई-मेल : drkamansingh@yahoo.com)

भागलपुर में मिली 576 वर्ष पुरानी पांडुलिपि

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन संसाधन केंद्र एवं पांडुलिपि संरक्षण केंद्र को मुल्लाचक शरीफ स्थित आस्ताना शहबाजिया में 576 वर्ष पूर्व की बुखारी शरीफ की जर्जर पांडुलिपि मिली है। भागलपुर में अब तक किसी भी भाषा में मिली पांडुलिपियों में यह सबसे पुरानी और दुर्लभ है।

बुखारी शरीफ के अलावा अकबर के शासनकाल का लिखा और सोने के पानी से डिज़ाइन किया हुआ अकबरनामा भी मिला है। अकबर के शासनकाल के समय का अबुल फ़ज़ल फैजी द्वारा लिखित अकबरनामा क़रीब 450 वर्ष पुराना है। इसके पहले पन्ने का डिज़ाइन सोने के पानी से किया हुआ है। 998 पृष्ठ की इस क़िताब का पहला पन्ना पूरा सुनहरा है। सभी पन्नों का बॉर्डर सुनहरा है। अक़बरनामा में अहमदाबाद, पाटन, जूनागढ़, खानदेश, मालवा, कश्मीर, पंजाब और बंगाल के युद्ध की स्थितियों की चर्चा भी है। इसमें वहां के वज़ीरों और सूबेदारों से संबंधित जानकारियां भी हैं। क़िताब के लेखक अबुल फ़ज़ल फैजी अकबरी दौर के दरबारी उलेमा के सरदार माने जाते थे।

आस्ताना शहबाजिया के सज्जादानशीं सैयद शाह इंतखाब आलम शहबाजी ने 576 साल पुरानी बुखारी शरीफ दिखाते हुए कहा कि यह 839 हिजरी (1436 ई.) की लिखी हुई है। यह क़िताब अरबी भाषा में 396 पृष्ठ की है। रखरखाव के अभाव में इसकी स्थिति जर्जर होने लगी है। क़िताब में यह भी स्पष्ट है कि बकरीद से पूर्व का महीना जीकादा में 14 तारीख़ गुरुवार से इसे लिखना शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, पांडुलिपि संसाधन केंद्र एवं पांडुलिपि संरक्षण केंद्र पटना संग्रहालय पटना के सर्वेयर डॉ. निशांत कुमार ने कहा कि अभी आस्ताना शहबाजिया में बहुत कुछ मिलना बाक़ी है। हम लोग विगत छह महीने से इस जिले में ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियों की तलाश कर रहे हैं। उसे संरक्षित भी किया जाएगा ताकि आने वाले दो-चार सौ साल तक इसकी स्थिति ख़राब न हो। ❑

सिविल सेवा परीक्षा 2013

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के प्रति गंभीर सभी अभ्यर्थियों को CL ही चुनना चाहिए

पिछले 17 वर्षों से एप्टीट्यूड टेस्ट के अग्रणी संस्थान के अतिरिक्त और कौन हो सकता है जो आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करे? प्रारंभिक परीक्षा 2012 में चयनित 155 अभ्यर्थी इसके जीवंत प्रमाण हैं।

सिविल सेवा परीक्षा 2011 में 24 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित

#CL MBA students

रैंक 2 #
रूकमिनी राय

रैंक 4
मंगेश कुमार

रैंक 18 #
निकिता पवार

रैंक 24
उज्जवल कुमार

रैंक 32
अमित अरोरा

नए CSAT'13 के नए बैच के लिए नजदीकी CL सेंटर से संम्पर्क करें

स्थान सीमित। तुरंत नामांकन कराएं

CL | Civil Services Test Prep

मुखर्जी नगर (दिल्ली): 41415241/6 इलाहाबाद: 09956130010

www.careerlauncher.com/civils

YH-206/2012

भारत में समावेशित विकास की रणनीति

● ए.आर. राजू

सभी नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली के लिए उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना अथवा उन्हें प्राप्त करने हेतु सभी को समर्थ बनाना समस्त राजनीतिक विचारधाराओं का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस संबंध में राजनीतिक दलों का विचार है कि इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति, सत्ता हासिल किए जाने एवं उचित कानून निर्माण के माध्यम से ही की जा सकती है। इस प्रकार की विचारधाराओं का आधार मूलतः राजनीतिक दलों का मार्गदर्शी दर्शन है, जिनमें से अधिकांश राजनीतिक दर्शनों के अनुयायी आजकल बहुत कम हैं।

कुछ समय पहले तक, कुछ विचारधाराएं मानवजाति की समस्त दुख-तकलीफ़ों को दूर करने वाली व सर्वदुखहारी समझी जाती थीं, जो आज केवल कॉफी हाऊस में चर्चा की विषयवस्तु बन गई हैं। गिने-चुने लोग ही इन दर्शनों को व्यावहारिक मानते हैं। अमरीकी कांग्रेस में कर्ज़ की कमी पर उत्पन्न गतिरोध वामपंथी विशारदों को पूंजीवाद के आसन्न पतन के बारे में भविष्यवाणी करने का अवसर प्रदान करता है।

इसकी वास्तविकता क्या है? इस प्रकार की राजनीतिक चिंताएं केवल गणितीय अर्थशास्त्र हैं। इनमें अंतर्ग्रस्त संकीर्णताओं का हल करने के लिए हमें विभाजनकारी प्रवृत्तियों का ज्ञान होना अनिवार्य है। क्या हम इस गणितीय जोड़ को समान एवं न्यायसंगत रूप से समस्त पणधारियों को विभाजित कर सकते हैं? हमें भारत में इन संकीर्णताओं में जाने की नौबत नहीं आई। हमने अधिक विवेकपूर्ण होते हुए, दोनों विचारधाराओं की मिश्रित अर्थव्यवस्था के 'विभाजन एवं गुणन मॉडल' को स्वीकार किया। स्वातंत्र्योत्तर भारत में वही प्रशासनिक प्रणाली को यथावत बनाए रखते हुए और उसे व्यापक बनाते हुए उसके माध्यम से सामाजिक न्याय संबंधी लक्ष्यों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया। चूंकि हमने लाभों को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने और समान वितरण संबंधी विचारधाराओं को प्रोत्साहित किया है, अतः हमें दोनों व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिला है। यह इस बात पर बल देता है कि परिणीत फल महत्वपूर्ण है, न कि उसका मार्ग। निजी व सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) इसी विचारधारा का फल है। इसमें सार्वजनिक कल्याण के लिए आधारभूत सुविधाओं के सृजन एवं विकास हेतु सरकार एवं निजी क्षेत्र के पूंजीपति आपस में भागीदार बनते हैं। आज भारत में पीपीपी परियोजनाओं को देश की आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए एकमात्र समाधान के रूप में माना जाता है।

इसका कारण यह है कि आधारभूत सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधारभूत सुविधा संबंधी परियोजनाओं के लिए एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश अनुमानित किया गया है। अति बृहत् निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन आधारभूत सुविधा-परियोजनाओं में से अधिकांश को पीपीपी एवं बीओटी मॉडल के आधार पर ही प्रारंभ किया जा सकता है। देश में भूमि एवं वित्त की उपलब्धता संबंधी समस्याओं के कारण, आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति धीमी होने की सूचना है। लेकिन इस संबंध में यह तथ्य भी उभरकर सामने आ रहा है कि आधारभूत सुविधा क्षेत्र व्यापक रूप से निवेश के विकल्प खोलता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का मुख्य प्रेरक बल है।

कोच्चि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, देश में सबसे पहले परीक्षित किए गए पीपीपी मॉडलों में से एक है। जब वर्ष 1994 में कोच्चि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (सीआईएएल) बनाया गया, तब इस एयरपोर्ट के प्रवर्तकों ने एनआरआई निवेश के लिए खाड़ी देशों का दौरा किया। खाड़ी देशों में कारोबार करने वाले केरल के कुछ व्यवसायियों ने इस नये परीक्षण को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ इस परियोजना में निवेश करने का निर्णय लिया। सीआईएएल, जो देश में प्रथम निजी स्वामित्व वाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, निजी-सार्वजनिक

भागीदारी के क्षेत्र में नयी पहल की उत्कृष्ट विजयगाथा है। अब सीआईएएल का शेयर मूल्य 160 रुपये हो गया है, जो इश्यू मूल्य का सोलह गुना है।

निजी क्षेत्र के लिए 49 प्रतिशत शेयर निर्धारित करते हुए अब कन्नूर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही अब केरल इस क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के अपने द्वितीय उद्यम में प्रवेश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के पास निवेश के लिए न केवल बड़ी कंपनियों से बल्कि स्थानीय निवासियों के साथ-साथ मध्यपूर्व एशियाई देशों में काम कर रहे केरल मूल के साधारण कामगारों से भी निवेश संबंधी कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हर श्रेणी का व्यक्ति, जिसके पास पैसा है, इस लाभप्रद उद्यम में भागीदार बनने के लिए सरकार के पास पहुंचा है। वास्तव में कन्नूर एयरपोर्ट में निवेश करने के मामले में नियंत्रण लागू करने की स्थिति सामने आई हैं।

इन घटनाक्रमों से यह स्पष्ट होता है कि आधारभूत सुविधा संबंधी परियोजनाएं दीर्घावधि में वित्तीय रूप से लाभप्रद प्रस्ताव है। देश में पुल, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली और शहरी आधारभूत सुविधाएं आदि विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षित सरकारी-निजी संयुक्त क्षेत्र इसका उत्तम उदाहरण है।

पीपीपी अथवा बीओटी मॉडलों में आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए ज़मीन और उसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों जैसे आवश्यक संघटक सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो समान्यत: इन परियोजनाओं के इक्विटी संघटक बन जाते हैं। निजी क्षेत्र अपनी सक्षमता, उद्यमी कुशलता, प्रबंधकीय कुशलता तथा लाभ को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने की कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आपस में मिलकर देश में आवश्यक आधारभूत सुविधा के निर्माण में उत्कृष्ट योगदान करते हैं, जिससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि आधारभूत सुविधा परियोजनाएं लोगों की समस्याओं को समाप्त करते हुए उनके लिए क़ारोबार के उज्ज्वल अवसरों का वातायन खोल रही हैं। जब निजी क्षेत्र सरकार के साथ पीपीपी अथवा बीओटी मॉडलों में सहभागी बनता है तब वह हमेशा फायदे में रहता है। लोगों द्वारा धारित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पीपीपी परियोजनाओं में अर्जित लाभों का एक मुख्य भाग निजी क्षेत्र के भागीदार को मिलता है। इसी कारण से बड़ी आधारभूत कंपिनयां दिन-प्रतिदिन विशालकाय होती जा रही हैं। इसमें दो राय नहीं है कि निजी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये भारत के लिए रोज़गार एवं संपत्ति सृजित कर रही हैं। ये प्रथमत: विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों के लिए बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से, लोगों की बचत का उपयोग करते हुए लाभ को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है। यहां यह रेखांकित करना होगा कि निजी क्षेत्र आधारभूत सुविधा परियोजना के माध्यम से अर्जित संपत्ति के लिए सदा समाज का ऋणी है और उस पर इस ऋण को समाज को वापस करने की भारी जिम्मेदारी भी है।

वास्तव में आजकल ऐसा होता नहीं है। निजी क्षेत्र की दानशील गतिविधियों में मुख्यत: मुफ़्त में चीज़ें बांटना, ग़रीब बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा अस्पताल एवं अनाथाश्रमों की स्थापना आदि कार्य शामिल हैं। कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के नाम पर निजी क्षेत्र की लोकोपकारी गतिविधियां उनकी ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी की आभारपूर्ति सरीखी है। लेकिन प्राय: इन गतिविधियों का उपयोग उनकी अपनी ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। किंतु लगभग 30 करोड़ लोगों के ग़रीबी रेखा के नीचे रहते हुए इनकी सीएसआर गतिविधियां ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हैं। निजी क्षेत्र को देश में ग़रीबी एवं बेरोज़गारी घटाने के बारे में अपनी भूमिका पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

ग़रीबों को आर्थिक वंचना एवं सामाजिक शोषण पार्श्ववत्करण से मुक्त करने हेतु, स्वयं समाधान ढूंढने के लिए सशक्त करना चाहिए। यह ग़रीबी उन्मूलन के संबंध में व्यापक रूप से स्वीकृत विवेकपूर्ण नज़रिया है। समान वितरण के लिए एक उपाय के रूप में सरकार ने ग़रीबी के कारणों को दूर करने के लिए प्रयास किए हैं और सब्सिडी, कैश-अंतरण तथा नये स्वयं सहायता कार्यक्रमों आदि का आरंभ किया है, जिनसे ग़रीबों को ग़रीबी रेखा से उबरकर ऊपर आने में सहायता मिल रही है।

निजी क्षेत्र को जनता की भागीदारी के साथ रचनात्मक व सामाजिक निवेश वाले उद्यमों में, नये मॉडलों के माध्यम से अथवा इस प्रयोजन के लिए सृजित किए जाने वाले एसपीवी आदि के माध्यम से सरकार के साथ सहयोग करने के व्यापक अवसर हैं।

सामाजिक निवेश एवं कामगारों का स्वामित्व कुछ ऐसे बेजोड़ मॉडल हैं, जिन्हें हम पहले से ही सफलतापूर्वक परीक्षित कर चुके हैं। इस संबंध में हमारे पास पहले से ही कुछ अच्छे दृष्टांत हैं। केरल में कण्णन देवन हिल प्लांटेशन कंपनी में 82 प्रतिशत शेयर उनके 13,000 कामगारों के पास हैं। वरकरा में उरालुंगल लेबर को-ऑपरेटिव, जो आधारभूत सुविधा परियोजना के निष्पादन एवं आईटी के क्षेत्र में कार्यरत है, इसका दूसरा उत्तम उदाहरण है। इस संस्था का स्वामित्व एवं परिचालन इसके कामगारों के हाथों में है।

महाराष्ट्र में मगरपट्टा टाउनशिप विकास निगम तथा कालीभैरव कंपनी लिमिटेड इस प्रकार की अंतरण प्रक्रिया के हालिया दृष्टांत हैं, यहां के किसान परिवारों, जो ज़मीन के स्वामी हैं, स्वयं संयुक्त रूप से ज़मीन को टाउनशिप के रूप में विकसित करते हैं और लाभ कमाते हैं। राजस्थान में रंगसूत्र क्रॉफ्टस इंडिया भी इसी कड़ी की एक सफल संस्था है, जहां इस कंपनी का पूर्ण स्वामित्व बुनकर कामगारों के हाथों में हैं।

हमारे समक्ष पहले से ही अमूल, मुंबई के डब्बावाला एंटरप्राइस, सेवा आदि संस्थाओं के दृष्टांत मौजूद हैं, जहां पणधारी स्वयं ही उद्यमों के मालिक हैं। सेवा गुजरात की महिलाओं को सशक्त करती है। ये सभी न केवल कुछ सफलता की कहानियां हैं बल्कि नवोन्मेषी पहलों के उत्तम उदाहरण भी हैं। इनके द्वारा सशक्तीकरण की व्यापक जागरुकता भी सृजित की जा रही हैं। यहां प्रश्न यह है कि क्या हम अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से विशालतर पीपीपी परियोजनाओं में इन सफलता परीक्षणों को लागू नहीं कर सकते हैं?

मुझे लगता है कि आधारभूत सुविधा विकास के लिए अत्यधिक प्रशंसा-प्राप्त तथा बेहतर परिणाम वाले पीपीपी मॉडल की समीक्षा का समय अब आ गया है। पीपीपी

मॉडल में अति महत्वपूर्ण संघटक आम आदमी का अभाव दिखता है। यह ज़रूरी है कि किसी भी विकास प्रक्रिया का फ़ोकस आम आदमी ही होना चाहिए।

हमारे समस्त आधारभूत सुविधा-निवेशों में आम आदमी केवल एक मूकदर्शक बना रहता है। अपने क्षेत्र की किसी भी आधारभूत सुविधा-परियोजना में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी के लिए साधारण गल्फ मलयामी की मांग उनकी वास्तविक आशाओं का सूचक है। क्या अपने को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना-कार्यों में जनता की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? जब पीपीपी परियोजनाएं जनता के लिए तैयार की जाती हैं, तो उन्हें इनमें सक्रिय भागीदार क्यों नहीं बनाया जा सकता है?

इस संदर्भ में कुछ विकास-परियोजनाओं के विरुद्ध उठ रहे स्थानीय लोगों के प्रतिरोध पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास एक गंभीर समस्या थी, जिसके कारण बीच में एक बार राज्य सरकार को केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 30 मीटर तक सीमित करवाने की संस्तुति करनी पड़ी, लेकिन बाद में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आग्रह एवं दबाव के कारण राज्य सरकार सड़क की चौड़ाई 45 मीटर करने के लिए तैयार हो गई।

जनता के प्रतिरोध अभियानों से दो तथ्य सामने आए हैं। सड़क-निर्माण के कारण जिन्हें ज़मीन और मकान का नुक़सान होता है, उनके पुनर्वास के लिए किसी मूर्त योजना का अभाव होना इनमें मुख्य है। विरोध का दूसरा कारण यह है कि जनता की ज़मीन को आधार बनाकर तैयार की गई योजना से बीओटी कंपनी टॉल शुल्क के रूप में बहुत अधिक लाभ कमाती हैं।

यह आकलन किया गया है कि 18,000 करोड़ रुपये के निवेश एवं सरकारी सहयता से बीओटी कंपनियां 25 वर्षों में 72,000 करोड़ रुपये लाभ के रूप में कमाएंगी। इसके अलावा, गारंटी के रूप में सरकार से वार्षिक भुगतान भी मिलता है। लोगों का सोचना है कि विकास के नाम पर कुछ निजी कंपनियां संपत्ति बना रही हैं। वास्तव में इस संपत्ति पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हक़ है। आज ऐसे एक परिदृश्य की कल्पना की जानी चाहिए जहां सड़कों का निर्माण करने वाली पीपीपी कंपनी में निजी क्षेत्र के साथ-साथ राज्य के समस्त परिवार शेयरधारक बनें और टॉल शुल्क का समाहरण करें। प्रथम दृष्टया यह एक अवास्तविक एवं काल्पनिक परिदृश्य लग सकता है। लेकिन, इससे काफी हद तक समानता रखने वाले पणधारी भागीदारी मॉडल पहले ही देश में परिक्षित किए जा चुके हैं, जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है। इस प्रकार की परिस्थिति को भले ही निजी क्षेत्र पसंद न करें, लेकिन जनता के अधिकारों के बारे में उनकी जागरुकता के सृजन की दृष्टि से वह अत्यधिक सकारात्मक पहलू है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (क्षेत्र)के संबंध में भी लोगों का प्रतिरोध इसी नज़रिये पर आधारित था। उन्हें यह निश्चय नहीं है, कि बड़ी कंपनियां उनकी सहायता के लिए आ रही हैं अथवा उनका शोषण करने। निजी कंपनियों के आने से रोज़गार सृजित होते हैं तथा प्रदेश की मुखमुद्रा में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। बावजूद इसके निजी कंपनियों के प्रति कुछ लोगों की नकारात्मक सोच स्वाभाविक है, क्योंकि पीपीपी के माध्यम से होने वाली विकास प्रक्रिया में निजी कंपनी को लाभ का अधिकांश भाग मिलता है तथा अन्य लोगों को सीमित लाभ ही मिलता है। इसके आलोक में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आज पीपीपी के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में हमें लोगों की हिस्सेदारी मॉडलों के बारे में सोचना चाहिए। लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ आधारभूत सुविधा-विकास में पीपीपी संरचना को व्यापक रूप देते हुए, हम सामाजिक नवोन्मेषी पहलों के नये मॉडल सृजित कर सकते हैं। इनमें संपत्ति के समानुरूपी वितरण के व्यापक एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। सूचना के अबाध प्रवाह, यूआईडी के माध्यम से नागरिकों की प्रोफॉइलिंग तथा संपर्क-सुविधा की सर्वव्यापकता के साथ यह आसानी से संभव है।

चूंकि आधारभूत सुविधा परियोजनाएं प्रदेश केंद्रित होती हैं, अत: प्रदेश विशेष के साधारण निवासियों को इन परियोजनाओं में अनिवार्य रूप से पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ऐसा करने से परियोजनाओं के प्रति प्रदेश विशेष के लोगों के मन में अपनत्व का बोध उत्पन्न होगा। पब्लिक इश्यू के प्रति लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और पीपीपी परियोजनाओं में निवेश करने के प्रति लोगों के अति उत्साह को देखते हुए यह लगता है कि इस प्रकार के उद्यमों में भागीदार बनने के लिए लोगों की कमी नहीं होगी। इन नये मॉडलों के लिए प्रायोगिक तौर-तरीक़ों का निर्माण कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जीपीपीपी मॉडल, जो सरकार, जनता एवं निजी क्षेत्र के बीच सहयोगात्मक फ्रेमवर्क है, इसके लिए अत्यधिक स्वीकार्य प्रस्ताव है। जीपीपीपी (सरकार, जनता एवं निजी क्षेत्र भागीदारी) मॉडल में सभी तीनों भागीदारों की उनकी निर्दिष्ट भूमिकाओं के अनुसार एक निश्चित अनुपात में वित्तीय हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाती है। ज़मीन प्रदान करना सरकार का प्रमुख कार्य होता है। निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जनता की प्रत्यक्ष इक्विटी में भागीदारी हो सकती है तथा निजी क्षेत्र अपने निवेश के माध्यम से साथ-साथ औद्योगिक एवं प्रबंधकीय कुशलता का प्रदर्शन करता है।

पीपीपी मॉडल में केवल निजी क्षेत्र को फायदा मिलता है, जबकि जीपीपीपी मॉडल में आम लोगों को भी उनकी वित्तीय भागीदारी के अनुपात में फायदा मिल सकता है। लेकिन इसका अति महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू इसमें अंतर्निहित अपनत्व का बोध है। पब्लिक परिवहन के आम जनता के स्वामित्व में होने की स्थिति में, लोग यात्रा करते समय वाहनों की साफ-सफ़ाई का ध्यान रखेंगे तथा वे स्वेच्छा से ऐसा करेंगे। वास्तव में, जब साधारण जनता, सरकार और निजी उद्यमियों के साथ भागीदार बनती है, तो वित्तीय विकास का फायदा उनको सीधे मिलता है। हमें समावेशित विकास के लिए यही तो चाहिए।

जीपीपीपी मॉडल आम जनता को उनकी उपयोगिता वाली सार्वजनिक परियोजनाओं में निवेश करने, उनके मालिक बनने, लाभांश के रूप में आय प्राप्त करने तथा निवेश की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करेगा। वास्तव में यह परस्पर फायदा पहुंचाने वाला एक सहयोगपूर्ण परिदृश्य सृजित कर सकता है। यह आधारभूत बांडों अथवा आधारभूत केंद्रित म्यूचुअल फंडों अथवा वित्तीय संस्थाओं और घरेलू बाज़ार से कर्ज़ लेने वाली बड़ी आधारभूत कंपनियों के खुदरा निवेश में अभिदान करने से भिन्न होता है तथा इस मॉडल में जनता को, मूकदर्शक बने

रहने के बजाय, अपने प्रदेश की परियोजनाओं में प्रत्यक्ष रूप से सदस्यता और हिस्सेदारी प्राप्त होती है।

अधिकांश अर्थशास्त्री, जो तात्विक आधार पर जीपीपीपी का समर्थन करते हैं, वे इसकी व्यावहारिकता के बारे में शंकालु हैं। किसी प्रदेश विशेष में होने वाली आधारभूत परियोजनाओं में उस प्रदेश के सभी नागरिक निवेश करने की स्थिति में नहीं होंगे। ग़रीबी के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग़रीबी के कारण जो लोग भागीदार नहीं बन पाते हैं उनके मन में भी अन्य लोगों की तरह इनमें भाग लेने की इच्छा ज़रूर होगी। कोई हमेशा विपन्नता में नहीं रहना चाहता है। सभी लोग जीवन की सुख-सुविधाएं चाहते हैं। अच्छी सड़कें, आरामदायक सार्वजनिक परिवहन एवं आधुनिक रेलवे प्रणाली सभी का सपना है। सुविधायुक्त दिल्ली मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते समय सभी दिल्लीवासी अपने व्यवहार में, दृष्टिकोण में क्रमिक रूप से सुधार लाए हैं। पूर्ण रूप से यूआईडी योजना लागू किए जाने के पश्चात ही हम इसकी व्यावहारिकता के निकट पहुचेंगे। ऐसा होने पर ही ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों सहित समस्त लोगों की प्रोफाइल के बारे में सही सूचना प्राप्त हो सकती है।

जीपीपीपी मॉडल में बीपीएल परिवार, जो निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें परियोजना में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तों के तहत बोनस शेयर (अथवा विकास में लोगों के अधिकार को सही ढंग से इंगित करने के लिए हम इसे ''राइट शेयर'' नाम दे सकते हैं) प्रदान किए जाने चाहिए। विस्थापन के कारण होने वाली लागत हानि की क्षतिपूर्ति को भी राहत-पैकेज़ के भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। निवेश वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए लॉक-इन अवधि का भी निबंधन होना चाहिए। इस आशय के बारे में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। खनन-कंपनियों द्वारा उनके लाभ का पच्चीस प्रतिशत, खनन के कारण ज़मीन नष्ट होने वाले लोगों को देने के लिए कंपनियों को बाध्य बनाने के लिए एक कानून का प्रस्ताव पहले से है। इसका मतलब यह है कि हमने विकास परियोजनाओं में साधारण लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विचार-प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी है।

अब इसके कार्यान्वयन की गति बढ़ाने तथा संपत्ति सृजन संबंधी अन्य क्षेत्रों में इस आशय का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। बैंक अथवा सरकार भी प्रारंभिक सीमित प्रस्ताव के 'राइट इश्यू' के अभिदान के लिए बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता दे सकती है, ताकि परियोजनाओं में निवेश करने में ग़रीबों को किसी प्रकार के वित्तीय भार का वहन न करना पड़े। सुदूर क्षेत्रों में बैंकों में 'नो फ्रिल खाता' खोलने के लिए लाखों लोगों को समर्थ बनाने के लिए बैंकों को जो ख़र्च उठाना पड़ा है, उसका एक भाग वहन करने के लिए सरकार विचार कर रही है।

किसी भी वित्तीय संस्था को शेयरधारिता में बीपीएल कोटे को वित्त-पोषित करने में सोचने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में यह निश्चित रूप से उपयोज्य आस्तियों में परिवर्तित होगा। किसी जिले अथवा राज्य विशेष में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना में उस जिले अथवा राज्य विशेष के समस्त परिवारों की भागीदारी के लिए विचार किया जा सकता है। बीपीएल श्रेणी में बैंक खाताधारकों के वित्तीय समावेशन के लिए सकारात्मक पहल होनी चाहिए। इस मॉडल को परिचालन में लाने के लिए हमें कानून के समर्थन की भी आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सेबी इसके लिए निश्चित ही आगे आकर विचार करेंगे।

परोपकारवाद एवं पूंजीवाद के एक साथ मिलने पर जीपीपीपी मॉडल में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोकतंत्रीकरण के लिए एक संतुलित पहल उभरकर सामने आ सकती है। इस मॉडल से हम नंदीग्राम एवं सिंगनूर जैसी घटनाओं को रोक सकते हैं। यह अधिकाधिक सामाजिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करेगा और भूमंडलीकरण को मानवीय चेहरा प्रदान करेगा। इस मॉडल में प्रत्येक व्यक्ति को सूक्ष्म निवेशक, सूक्ष्म उपभोक्ता एवं सूक्ष्म गुणभोगी के रूप में आर्थिक कल्याण प्राप्त होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हमारा लक्ष्य वित्तीय समावेश एवं समावेशित विकास है, तो सामाजिक पिरामिड में सबसे नीचे दबे रहने वाले ग़रीबों की मुसीबतों को प्रभावी ढंग से दूर करने और उनके कल्याण के लिए इससे बेहतर कोई और मॉडल नहीं है। ❑

(लेखक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव हैं।

ई-मेल : rajudelhi@gmail.com)

भारत को परमाणु ईंधन देगा कनाडा

भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम को एक बड़ी सफ़लता तब मिली जब कनाडा उसे परमाणु रिएक्टर और परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने पर राज़ी हो गया।

इसके साथ ही भारत और कनाडा के बीच 36 वर्ष से चल रहा परमाणु असहयोग का दौर ख़त्म हो गया। भारत यात्रा पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असैन्य परमाणु सहयोग सहित विभिन्न द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। बातचीत के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि कनाडा से परमाणु रिक्टर एवं परमाणु ईंधन हासिल करने के बारे में एक समझौते पर सहमति बनी है। परमाणु क़ारोबार को हरी झंडी दिखाने संबंधी उद्घोषणा शीघ्र जारी की जाएगी। इसके पहले क़ारोबार पर निगरानी रखने के लिए एक संयुक्त समिति बनेगी। भारत यात्रा पर पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने गत दिनों राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाक़ात की और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर उनसे चर्चा की। भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कनाडा के निवेश सहित कई मामलों पर चर्चा की गई।

18, मई 1974 को इंदिरा गांधी के शासन काल में राजस्थान के पोखरण में भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किया था। इसके बाद नाराज़ होकर कनाडा ने 1976 में भारत के साथ किसी भी तरह का परमाणु सहयोग देना बंद कर दिया था। ❑

एड्स का हौवा और बढ़ते जानलेवा रोग

● ए.के. अरुण

एचआईवी/एड्स को लेकर विगत एक दशक से जितने भी अभियान चल रहे हैं उससे स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। आंकड़ों का भ्रम, रोग के लक्षण, इसके इलाज, इलाज के तरीक़े, दवा, दवा की प्रामाणिकता एवं एड्स/एचआईवी को लेकर काम करने वाली विभिन्न संस्थाएं सब विवादों के घेरे में हैं। आम लोगों में भय, आतंक और निराशा के सिवा एचआईवी/एड्स पर उपलब्ध जानकारियां और कुछ भी नहीं दे पा रही हैं। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्वभर में एचआईवी/एड्स दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसके ख़तरे से आम लोगों को आगाह किया जा सके, लेकिन वास्तव में यह दिवस अपने मकसद की पूर्ति में कम एचआईवी/एड्स के धंधे में लगे संस्थाओं के मकसद की पूर्ति में ज्यादा मददगार सिद्ध हो रहा है।

आंकड़ों का भ्रम तो शुरू से ही बना हुआ है। कई संस्थाओं ने एचआईवी/एड्स पर काम करने वाली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएन एड्स द्वारा जारी आंकड़े को लेकर खूब आलोचना की। केरल की एक संस्था 'जैक' ने तो यूएन एड्स के 'भारत में एड्स' संबंधित आंकड़े को चुनौती तक दे डाली थी। बताया जाता है कि इस बाबत यूएन एड्स को अपना आंकड़ा संशोधित करना पड़ा था। वेबसाइट पर उपलब्ध 'संशोधित तथ्य पत्र 2000' में से ये

विवादास्पद आंकड़े रहस्यमय तरीक़े से हटा भी दिए गए थे। इसमें शक नहीं कि विभिन्न संस्थाओं के एचआईवी/एड्स संबंधित आंकड़ों में बहुत भिन्नता है।

1996-97 में एचआईवी/एड्स की चर्चा रोग की स्थिति को लेकर होती थी तब भ्रम और ज्यादा था। उन दिनों रोग है भी या नहीं की बहस ज्यादा थी। एचआईवी रोग है ही नहीं के पक्षधर भी ठोस सबूत या उदाहरण नहीं दे पा रहे थे, जबकि एचआईवी/एड्स के पक्षधर इस रोग को लेकर प्रामाणिक जानकारी देने में सक्षम नहीं थे। भ्रम की स्थिति के इस दौर में कितनी ऐसी घटनाएं हुईं जिसमें कथित एचआईवी/एड्स के मरीजों को अस्पताल में दाखिला तक नहीं मिला, उनसे दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें धक्के मार कर निकाल दिया गया, डॉक्टर ने उन्हें छूने से भी मना कर दिया, आदि। इस भ्रम का खामियाज़ा कई गांवों को भी उठाना पड़ा जहां के पुरुषों से महिलाओं ने शादी करने से इंकार कर दिया तो कुछ ऐसे गांव भी सुने गए जहां महिलाओं की सगाई शादी में नहीं बदल सकी। इस रहस्यमय रोग के भ्रम ने कई सामाजिक रिश्तों को तोड़-मरोड़ दिया। मानवाधिकार हनन से लेकर वर्ण भेद, जाति भेद तक फिर उभर गए। मध्य प्रदेश में तो वहां के मानवाधिकार आयोग ने एक जाति को ही 'आपराधिक' घोषित कर दिया। एचआईवी/एड्स के नाम पर ट्रक ड्राइवर और सेना के जवान भी बदनाम हुए।

एचआईवी/एड्स को लेकर अभी भी कई परस्पर विरोधी घटनाएं प्रचलित हैं। एक धारणा एचआईवी/एड्स के वायरस और रोग को स्वीकार करती है तो दूसरी धारणा इस पर सवाल उठाती है। एक और धारणा एचआईवी/एड्स के अस्तित्व को ही नकार देती है तो एक

अन्य धारणा मानती है कि एचआईवी/एड्स के साथ यदि व्यक्ति को कोई अन्य घातक बीमारी है तो वह एड्स का रोगी हो सकता है। इन धारणाओं ने भी एचआईवी/एड्स को लेकर भ्रम को बढ़ाया है। 1993 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमरीकी जैव रसायन शास्त्री केरी मुलिम ने भी एचआईवी/एड्स के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे, जिसका जवाब आज तक नहीं दिया जा सका है। इस रोग के इलाज का दावा करने वाली 'ए जेड टी' भी आविष्कार के समय से ही विवादों में रही। पता चला कि यह दवा लाभ के बजाय हानि ज्यादा पहुंचाती है। मसलन यह दवा प्रचलन में नहीं आ पाई।

अमरीका में आज भी यह चर्चा सरेआम है कि अमरीकी वैज्ञानिक डॉ. रॉबर्ट गैलो का इस्तेमाल कर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमेन सर्विसेज (एचएचएस) ने यह प्रचारित किया कि एचआईवी एड्स के बचाव की दवा 'एंटीरेट्रोवायरल' अमरीकी दवाओं के इतिहास में एक नया जादू है। आनन-फानन में डॉ. गैलो के इस कथित खोज के लिए पेटेंट भी फाइल कर दिया गया। तब अख़बारों ने भी साफ़-साफ़ लिख दिया था कि, 'यह पेटेंट मिलना तय है।' उस समय अमरीका सहित दुनियाभर से डॉ. गैलो के इस कथित खोज के ख़िलाफ़ कड़ी प्रतिक्रिया उठी हुई थी। तभी फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट के डॉ. ल्यूक मांटेग्नियर ने डॉ. गैलो पर एचआईवी की सैंपल चुराने का आरोप लगा दिया। जांच-पड़ताल से पता चला कि गैलो ने जिस एचआईवी सैंपल की खोज का दावा किया था वह वास्तव में मांटेग्नियर ने ही उन्हें भेजा था। जांच में यह भी पाया गया कि डॉ. गैलो ने जो डाटा प्रस्तुत किया था वह भी गलत और बेबुनियाद था। इस घटना से अमरीकी सरकार को बड़ा धक्का लगा। अमरीका ने फ्रांस की सरकार से बात की। बाद में मांटेग्नियर ने अपना मुक़दमा वापस ले लिया। अब पेटेंट के लिए दोनों के संयुक्त नाम भेजे गए। हालांकि पेटेंट गैलो और मांटेग्नियर दोनों के नाम हुआ लेकिन इसके बावजूद मांटेग्नियर एचआईवी को अकेले एड्स का जिम्मेवार नहीं मानते हैं।

एचआईवी/एड्स के भ्रम को बढ़ाने वाला एक और तथ्य यह है कि इस रोग से बचाव का टीका अभी तक नहीं बन पाया है। ऑस्ट्रेलिया के जाने-माने जैव भौतिक विज्ञानी एलेनी पापैडोपोलस एलियोपुलस कहते हैं कि एचआईवी/एड्स के वायरस का चूंकि अभी तक स्पष्ट पता ही नहीं है इसलिए इसका वैक्सीन बनाने में दिक्क़तें आ रही है। डॉ. एलियोपुलस कहते हैं कि अभी एचआईवी का पता रोगी के रक्त में मौजूद एक खास तरह के प्रतिपिंडों के साथ उसके लिंफोसाइट कल्चर में मौजूद कुछ प्रोटीन की प्रतिक्रिया के परिणाम के आधार पर लगाया जा सकता है। ये प्रतिपिंड इन कल्चर प्रोटीन को प्रतिक्रया के बाद एचआईवी वायरस में बदल देते हैं। इस आधार पर वे इस तरह प्रतिपिंडों की मौजूदगी को ही एचआईवी संक्रमण का प्रमाण मान बैठते हैं जबकि यह सिद्ध हो चुका है कि इस तरह के प्रतिपिंड कई तरह की उत्तेजनाओं के कारण बनते हैं और उसका वायरस बनने से कोई लेना-देना नहीं होता है। रक्त में मौजूद उन विशेष प्रोटीनों और प्रतिपिंडों के बीच होने वाली प्रतिक्रिया मात्र से यह साबित नहीं हो सकता कि रक्त में एचआईवी वायरस उपस्थित हैं क्योंकि दूसरे कई वाह्य कारकों के कारण भी ऐसे प्रतिपिंड रक्त में पैदा हो जाते हैं जो उन विशेष प्रोटीनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं।

एचआईवी/एड्स को लेकर एक चर्चा यह भी है कि एक्वार्य इम्यून डिफिशियेंसी ही एचआईवी/एड्स की वजह है जबकि कई कारणों से नेचुरल इम्यून डिफिशियेंसी भी शरीर में होती है। कई ऐसे रोग हैं जिसमें शरीर की इम्यून डिफिशियेंसी हो जाती है। जैसे- टीबी, खांसी, कालाज़ार, मलेरिया, कैंसर आदि। ऐसे में यह स्थापित करना कि व्यक्ति को एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियेंसी ही है ज़रा मुश्किल है। आजकल यह धारणा स्पष्ट है कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को यदि जुकाम, खासी, दस्त, टीबी आदि रोग हो तो उसका रोग मुक्त होना बेहद कठिन है। ऐसे में यह भ्रम अब भी कायम है कि नेचुरल इम्यून डिफिशियेंसी एवं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियेंसी को अलग-अलग कैसे माना जाए।

एचआईवी/एड्स के इन पहलुओं पर गौर करने के बाद यह देखना भी ज़रूरी है कि इतने बड़े बजट के ख़र्च के बावजूद एचआईवी/एड्स से बचाव की मुहीम तेज़ क्यों नहीं हो पा रही। बचाव के नाम पर केवल कंडोम का वितरण या कुछ पोस्टर, प्रर्दशनी आदि से काम नहीं चल सकता। रोग जानलेवा हो और तेज़ी से फैल रहा हो तब भी बचाव के उपाय पर्याप्त न हों तो चिंता होती है। भारत जैसा मुल्क़ जो उदारीकरण के दौर में तेज़ी से बदलाव की स्थिति में है एचआईवी/एड्स के ख़तरों से बेपरवाह है तभी तो करोड़ों रुपये ख़र्च कर भी हम यहां के लाखों गांव में बुनियादी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पाए हैं। बिहार, ओडिसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल जैसे राज्यों में तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अभी भी एक ही पुरानी सिरींज की सुई से कई लोगों को टीका लगाया जाता है। यहां के अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर और इंटेंसीव केयर यूनिट तक संक्रमण के केंद्र बने हुए हैं।

कई दूसरे जानलेवा रोग जैसे- मलेरिया, कालाजार, टीबी, डेंगू, मस्तिष्क ज्वर, दस्त आदि से ही मरने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। कुपोषण से ग्रस्त बच्चे और महिलाओं की संख्या का आंकड़ा एड्स के आंकड़े से कहीं ज्यादा है फिर भी उसका जिक्र उतना नहीं होता जितना एचआईवी/एड्स का सुना जाता है।

एचआईवी/एड्स से बचने के लिए समाजों में नैतिक साहस का होना बहुत ज़रूरी है। तथ्यों को उलटफेर करने से समस्याओं का निदान नहीं होता। हमें भारत में परिस्थितियों की असलियत को समझना होगा। आम लोगों की मज़बूरियां जैसे गांव छोड़कर शहर आना, तंग बस्ती में रहना, परिवार से वर्षों-वर्षों तक दूर रहना, क्षमता से ज्यादा श्रम करना आदि ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आदमी ड्रग्स, अनैतिक यौन संबंध आदि के गिरफ़्त में फंस जाता है। इससे उबरने के लिए मूल समस्या के समाधान पर ध्यान देना ज़रूरी है। एचआईवी/एड्स यदि इतना घातक है तो समाजों को बिना विलंब इनसे सामूहिक बचाव का उपाय ढूंढना होगा। समाजसेवी संस्थाओं को व्यापक जनहित में काम करना होगा। नैतिक जीवन शैली को बढ़ावा देना होगा तथा बचाव के उपायों को सरल तरीक़े से समाज/गांव में ले जाना होगा। ❑

(लेखक जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होमियोपैथिक चिकित्सक हैं।

ई-मेल : docarun2@gmail.com)

नायाब आविष्कारों के महारथी

अड़तालीस साल के उद्धब भरली श्रृंखला आविष्कारक हैं, जिन्होंने सन् 1988 में अपने पहले आविष्कार से लेकर अब तक कई यंत्रों की डिज़ाइन और प्रोटोटाइप का आविष्कार किया है। विविध उपयोगों के लिए उनके नाम अब तक लगभग 85 आविष्कारों का श्रेय है। इनमें से 13 को व्यावसायिक उपयोग के लिए काफी हितकारी माना गया है और देश के विभिन्न हिस्सों से यक्तिगत स्तर पर इनकी मांग भी हो रही है। उद्धब ने अपने गृहनगर लखीमपुर में एक छोटी शोध कार्यशाला स्थापित की है। लखीमपुर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा एक छोटा-सा शहर है, जो हिमालय की तलहटी में अवस्थित है। शहर के चारों ओर की पहाड़ी ढलानों पर हरियाली बिखेरते चाय के बागान हैं। उद्धब के वर्कशॉप में स्थानीय लोगों और उद्योगों से जुड़ी तक़नीकी मुश्किलों का आसान समाधान प्रस्तुत किया जाता है।

कौन हैं उद्धब

असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्में उद्धब ने लखीमपुर से ही स्कूली शिक्षा हासिल की। उनमें शुरू से ही मशीनों को परखने की रुचि थी, जिसने उन्हें जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की प्रेरणा दी। लेकिन तब असम आंदोलन के उभार पर होने की वजह से दुर्भाग्यवश तीन महीने में ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने पत्राचार से यह पाठ्यक्रम पूरा करने की ठानी और चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन इस बार भी दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और पिता के असामयिक निधन की वजह से उन्हें यह पाठ्यक्रम बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे सिर्फ़ एएमआइइ ही कर सके थे। परिवार कर्ज़ में डूबा हुआ था और ऐसे समय में उन्हें घर बुला लिया गया।

परिवार को कर्ज़ से उबारने के लिए उद्धब ने 1988 में पॉलीथीन फ़िल्म बनाने की एक मशीन विकसित की। उस वक़्त चाय उद्योग में पॉलीथीन की खासी मांग थी। बाज़ार में जिस पॉलीथीन बनाने वाली मशीन की क़ीमत चार लाख रुपये थी, उद्धब ने उसे अपनी मेहनत और कौशल से सिर्फ़ 67 हज़ार रुपये में तैयार कर लिया। इस मशीन की सफलता ने उद्धब के अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया कि वे ऐसी और भी मशीनें तैयार करने के लिए प्रेरित हुए। इसी बीच उन्होंने अपने परिवार का कर्ज़ भी चुका दिया।

सन् 1995 में उद्धब को अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर एक जलविद्युत परियोजना में उपयोग की जा रही मशीनरी को संभालने का ठेका मिला। यह ऐसी जगह थी, जहां लोग काम नहीं करना चाहते थे। यहां उद्धब अभी तीन साल ही काम कर पाए थे कि एक बार फिर उन्हें अपने बड़े भाई की मृत्यु की वज़ह से वापस घर लौटना पड़ा। भाई का निधन लीवर सिरोसिस के कारण हो गया

था। वर्तमान में उद्धब के घर में पत्नी, पांच साल का बेटा, विधवा मां, एक विधवा साली, तीन छोटी बहनें और एक छोटा भाई हैं। हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले उद्धब अपनी साली के पुनर्विवाह की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार अपना जीवन गुज़ारने का अधिकार है। नयी मशीनों के आविष्कार के अलावा उद्धब भरली को दवाओं की जानकारी से पूर्ण क़िताबें पढ़ना अच्छा लगता है। उनके पास अनौपचारिक रूप से होमियोपैथी की डिग्री भी है।

आविष्कारों की शृंखला

सन् 1988 में सबसे पहले पॉलीथीन बनाने वाली मशीन के आविष्कार के बाद उद्धव ने कई मशीनें बनाई हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि यही उनकी पूंजी है और ये ज़रूरत के समय काम देंगी। इनमें से कुछ मशीनें इस प्रकार हैं :

अनार की परत छीले वाली मशीन यह मशीन अनार के बीजों को नुक़सान पहुंचाए बिना ऊपरी परत और उसके अंदर की झिल्ली को उतार देती है। मशीन एक घंटे में 50-55 किलो अनार का छिलका उतारने में सक्षम है। इस मशीन को तुर्की और अमरीका को भी निर्यात किया जा चुका है।

सुपारी पीलर : हाथ से सुपारी का छिलका उतारते वक्त लगने वाली चोटों को देखते हुए उद्धब ने सुपारी का छिलका उतारने की एक मशीन बनाई है, जो प्रतिमिनट 100-120 सुपारियों के छिलके उतारने में सक्षम है।

कसावा पीलर : यह बिजली से चलने वाली एक हल्की मशीन है, जो प्रतिमिनट लगभग पांच किलो कसावा की प्रोसेसिंग करती है। राष्ट्रीय नवाचार संस्थान (एनआईएफ) की मदद से गुवाहाटी के एक उद्योगपति को इस मशीन की गैर-विशिष्टता के आधार पर लाइसेंसिंग दी गई है। इस मशीन की एक यूनिट केन्या के एक ग्राहक को बेची जा चुकी है।

बांस प्रोसेसिंग मशीन : बांस छीलने का काम हाथ से करना काफी कठिन और श्रमसाध्य है। भरली ने ऐसी मशीन बनाई है, जो बांस को छीलने, विभिन्न आकारों में काटने, खुरदरापन दूर करने और पॉलिश करने का काम कर सकती है। इस मशीन के विभिन्न पुर्जों को राष्ट्रीय नवाचार संस्थान की मदद से उत्तर-पूर्व क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना के तहत उत्तरी कछार की पहाड़ियों पर एक सामान्य सुविधा केंद्र पर स्थापित किया गया है। उद्धब भरली ने रेमी रिकॉर्टिकेशन मशीन, लहसुन छीलने की मशीन, तंबाकू की पत्तियां काटने की मशीन, चावल का छिलका उतारने की मशीन, गन्ना छीलने की मशीन, पीतल के बर्तन पॉलिश करने की मशीन, सफेद मुसली छीलने वाली मशीन, जट्रोफा के बीज अलग करने वाली मशीन, यांत्रिक रूप से निराई-गुड़ाई करने वाली मशीन, जूस निकालने की मशीन, गड्ढा खोदने की मशीन, पशुओं का चारा काटने की मशीन और पोर्टेबल ढेकी भी बनाई हैं। इन आविष्कारों के लिए उद्धब को राष्ट्रीय नवाचार संस्थान की ओर से माइक्रों वेंचर इनोवेशन फंड योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराई गई है। एनआइएफ की मदद से ही उद्धब को भारत सरकार की डीएसआईआर के तहत टीइपीपी योजना की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

उत्पादों का उपयोग और वितरण

अनार छीलने वाली मशीन की तुर्की और अमरीका जैसे देशों में निर्यात के अलावा उद्धब के नाम और भी ढेर सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। फिलहाल उद्धब को भारतीय उद्योग संस्थान के हालिया कार्यक्रम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन एकेडमिक एजुकेशन में रिसर्च स्कॉलर बनाया गया है। अनार छीलने वाली मशीन के आविष्कार के बाद उनका नाम एमआईटी जरनल में शामिल किया गया। आइआइटी, गुवाहाटी के अंतर्गत एंडी तक़नीक के विकास के लिए स्थापित रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (रूटाग) में उन्हें तक़नीकी सलाहकार बनाया गया है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड में मूगा रीलिंग मशीन के उन्नत संस्करण तैयार करने में उनकी मदद मांगी है। उद्धब ने एनइआरसीआरएमपी नार्थ ईस्टर्न रीजन कम्यूनिटी रिर्सोस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्टीविया पल्वेराइजर और पैशन फ्रूट जेल एक्ट्रैक्टर डिज़ाइन की है। एनइडीएफआइ जैसी वित्तीय संस्थाओं ने उनसे बांस के तर्जा-बेरा बनाने वाली मशीन डिज़ाइन करने की मदद मांगी है। उत्तर-पूर्व के कई गैर-सरकारी संस्थाओं की मांग पर उद्धब कम क़ीमत की बांस के शिल्प तैयार करने वाली मशीनें भी बना रहे हैं। अप्रैल 2009 में उद्धब ने पश्चिम बंग के हर्बल मेडिसिन फॉर्म आश्रम्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के लिए पौधों की जड़ें छीलने वाली मशीन भी तैयार की हैं।

रणनीति और दृष्टि

उद्धब का मानना है कि हर व्यक्ति में छिपी हुई वैज्ञानिक रुचियां होती हैं, जिन्हें पोषण की ज़रूरत होती है। इसके लिए वे ऐसे युवाओं का चयन करते हैं, जिनमें ऐसी चीज़ें सीखने की प्रबल रुचि हो, भले ही उनकी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी हो। वे हर बैच के लिए आठ युवाओं का चयन कर उन्हें मशीनों की विविध प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण तीन महीने का होता है और इस दौरान छात्रों को आठ सौ रुपये प्रतिमाह पगार दी जाती है। इन छात्रों के भोजन और रहने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त की जाती है। खाने और रहने के अलावा वे प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रतिमाह तीन सौ रुपये जेब ख़र्च भी देते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षु और उसके परिवार को मुफ़्त में चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है ताकि वे दूसरे प्रतिभाशाली युवाओं को प्रेरित कर सकें। मुख से प्रचार का यह आइडिया उनका सर्वथा अपना है, क्योंकि वे विपणन के मद में पैसा ख़र्च नहीं कर सकते।

उद्धब के दो सपने हैं। पहला, अपने शहर में एक ऐसा गैर-पारंपरिक अनाथालय की स्थापना जो तक़नीकी सहायता भी मुहैया करा सके। उन्होंने ऐसा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है, जो अनाथ बच्चों को तक़नीकी कौशल से परिपूर्ण करके कम समय में ही उन्हें रोज़गार पाने में सक्षम बनाएगा। एक बार जब वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तब वे स्वयं ही इतिहास, गणित और समाजविज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे।

उनका दूसरा सपना एक ऐसे औद्योगिक गांव की स्थापना करना है, जहां बहुविशिष्ट कौशल विकास केंद्र और सामान्य सुविधा केंद्र होंगे जहां लोग कच्चा माल लाएंगे और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक खुद ही उत्पाद तैयार करने में सक्षम होंगे। वे चाहते हैं कि बुजुर्ग भी वैज्ञानिक कौशल सीख कर अपने युवा बच्चों पर आश्रित न होते हुए आत्मनिर्भर बनें। ❑

पूर्वोत्तर

नगालैंड में श्वेत क्रांति

● बी. सिंह

पूर्वोत्तर के नगालैंड में श्वेत क्रांति ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। नगाओं का दुग्ध उत्पादों की तरफ तेज़ी से रुझान बढ़ा है। यह सरकारी आंदोलन का ही कमाल है कि मांस के लज़ीज़ व्यंजन तैयार करने वाली नगालैंड की ज़मीन पर अब प्रचुर मात्रा में दुग्ध भी उपलब्ध है।

दीमापुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन (डीडीसीपीयूएल) अपने ब्रांड 'दिमुल' के तहत दुग्ध उत्पाद को दीमापुर, कोहिमा और असम के सीमावर्ती जिलों- जोरहाट, सिबसागर और गोलाघाट में आपूर्ति करती है। डीडीसीयूपीएल एक जिला स्तरीय सहकारी संगठन है, जिसके तहत कई निबंधित सोसाइटियां हैं। केंद्रीय संगठन के बैनर तले टोंड दूध, लस्सी, मिस्टी दही और आइसक्रीम आदि उत्पाद बेचे जाते हैं। दिमुल के खुदरा आउटलेट का जाल बिछा हुआ है। असम और नगालैंड में ही साढ़े तीन सौ आउटलेट काम करते हैं। दिमुल के तहत लगभग 1,911 उत्पादक हैं, जिनमें से अनुसूचित जनजाति के 1,724 किसान हैं। अनुसूचित जाति/ओबीसी के 187 किसान और 443 महिला सदस्य हैं। महिलाओं की संख्या लगभग 23 फीसदी है। यूनियन के तहत 13 महिला डेयरी सहकारी सोसाइटी को संगठित किया गया है, जिनमें से पांच काम कर रही हैं।

यह परियोजना शुरुआत में 'ऑपरेशन फ्लड-2' के तहत पशु एवं गव्य विकास विभाग, नगालैंड द्वारा समर्थित की गई थी। बाद में इसे भारत सरकार के समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत लाया गया।

दिमुल को मई 1984 में कोहिमा जिले में कार्यक्षेत्र बनाकर निबंधित किया गया था। यूनियन को पहले कोहिमा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के नाम से जाना जाता था। सन् 1997 में कोहिमा जिले के दो हिस्से, कोहिमा और दीमापुर में बंट जाने के कारण इसका नाम दीमापुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड करना पड़ा और इस ब्रांड का नाम दिमुल रखा गया। वर्तमान में दुग्ध उत्पादक संघ का कार्यक्षेत्र दीमापुर जिले में पड़ता है। शुरुआत में यूनियन के पास 2.0 टीएलपीडी क्षमता का प्रशीतक केंद्र था, बाद में भारत सरकार की समन्वित डेयरी विकास परियोजना (आइडीडीपी) के अंतर्गत सन् 1997 में 10 टीएलपीडी क्षमता का एक अन्य प्रशीतक केंद्र स्थापित किया गया।

तरल दुग्ध के अलावा डेयरी में प्रतिदिन छह सौ किलोग्राम दही, तीन हज़ार लीटर

लस्सी और तीन सौ किलोग्राम आइसक्रीम उत्पादन की सुविधा है। सन् 2001-02 तक यूनियन का एक नामित बोर्ड हुआ करता था, जिसके अधिकांश सदस्य सरकारी विभागों से लिए जाते थे और पशुपालन एवं गव्य विकास मंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। सन् 2001-02 के दौरान मंत्री ने अपना पद समाप्त कर दिया और चुनाव के द्वारा यूनियन अध्यक्ष के रूप में किसान के पदभार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। फिलहाल बोर्ड में दो महिलाओं समेत आठ किसान प्रतिनिधि बतौर अध्यक्ष हैं और सिर्फ़ पांच ही नामित सदस्य हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी संघ के प्रशासनिक प्रमुख हैं।

दिमुल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. म्हासिजोको के अनुसार सन् 2011-12 के दौरान यूनियन ने 12.63 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया और इसी साल लगभग 15.10 लाख लीटर दूध की मार्केटिंग की। इस साल 31 मार्च तक कुल बिक्री रिकॉर्ड ₹852.24 लाख रही, जिसमें पिछले साल के 621 लाख की तुलना में 37 फीसदी की वृद्धि दर्ज़ की गई। जिन लोगों ने संगठन का विस्तार देखा है, उनका कहना है कि शुरुआत में बहुत उत्साहवर्द्धक परिणाम नहीं मिले हैं। उस वक़्त यहां के लोग शक्तिवर्धक दूध को ही प्राथमिकता देते थे। हालांकि अब दुग्ध उत्पादों के बारे में जानकारी मिलने के बाद स्थिति में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। दुग्ध संगठन की स्थापना के बाद गांवों में रहने वाले डेयरी किसानों की बाज़ार की ज़रूरतें आसानी से पूरी होने लगी हैं। किसान अब इकट्ठा होकर ग्राम स्तर पर ही प्राथमिक डेयरी सहकारी सोसाइटी बना रहे हैं। यूनियन संबद्ध सोसाइटियों को तक़नीकी सहायता मुहैया करता है, जिनमें दुग्ध जांच के उपकरण, पशु स्वास्थ्य की देखभाल के साथ-साथ टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चारा उत्पादन और पशुओं के लिए संतुलित आहार आदि शामिल हैं। इसके अलावा विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे सोसाइटी सचिव सह लेखापाल, कृत्रिम गर्भाधान कर्मी, डेयरी पशु प्रबंधन, किसानोन्मुखी कार्यक्रम, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, उर्वरता कैंप आदि सोसाइटियों को उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि दैनंदिन स्तर पर सोसाइटियों द्वारा किए जाने वाले कार्य सुचारू रूप से चल सके।

नार्थइस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन (एनइडीएफआई) जैसी वित्तीय संस्थाओं ने पूर्वोत्तर राज्यों के डेयरी उद्योग पर एक अध्ययन कार्यक्रम स्थापित किया है, ताकि क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में डेयरी विकास परियोजनाओं की तक़नीकी-आर्थिक संभाव्यता का परीक्षण किया जा सके और इच्छुक उद्यमियों, निवेशकों, वित्त संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को डेयरी के क्षेत्र में व्यापारिक संभावनाओं के बारे में परियोजना के आधार पर क्षेत्र विशेष के आंकड़ों के बारे में आधारभूत जानकारियां मुहैया कराई जा सके।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह भी कहते हैं कि यूनियन राज्य के विविध सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के प्रतिष्ठानों की दुग्ध ज़रूरतें भी पूरी करता है। दुग्ध और दुग्ध उत्पाद पूर्वोत्तर रेलवे के दीमापुर, लुमडिंग और होजाई रेलवे स्टेशनों के आउटलेट्स पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हर दिन सुबह और शाम में किसान दुग्ध संग्रहण केंद्र पर दूध लाते हैं, जहां पहले उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और इसके आधार पर दूध का मूल्य तय किया जाता है। संग्रहित किया गया दूध केन में भरकर दिन में दो बार दुर्गम तराई में वैन से भेजा जाता है। पहले जो किसान निजी दूध उत्पादकों द्वारा दूध की क़ीमत और पैसे देने की अवधि के मामले में शोषित किए जाते थे, अब उनके लिए एक तैयार बाज़ार उपलब्ध है। साथ ही हर 15 दिन पर उन्हें उनके दूध की क़ीमत भी नियमित रूप से मिल जाती है। देश के कई हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों ने इन दुग्ध उत्पादों का

(शेष पृष्ठ 72 पर)

विकास की डगर एवं मानवाधिकार

● सरोज कुमार शुक्ला

दुनिया में सतत और संधारणीय विकास और पर्यावरणीय सुधार की मांगें तेज़ हो गई हैं। कोपेनहेगन या रियो-डि-जेनेरियों में जुटे विश्व के शुभचिंतकों ने इस बात पर बल दिया कि हमें अपने-अपने परिक्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। विकास की गति को तेज़ करने के चक्कर में दुनिया के अमीर देश इस बात को भूल गए हैं कि हम धरती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस नुक़सान की भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। सशक्त देश इसका दोषारोपन ग़रीब देशों पर करने से बाज नहीं आते। एक तरह से अभिशप्त ग़रीबी झेल रहे देशों के साथ यह एक क्रूर अन्याय है। भारत में विकास की राजनीति का अंदाज कुछ अलग है। यह अन्य देशों की भांति दोषारोपण करने के लिए सक्षम नहीं है लेकिन इस चीज़ में सक्षम है कि वह साम्राज्यवादी देशों के इशारे पर भारत में साम्राज्यवादी ताक़तों की योजनाओं के मुताबिक पॉलिसी तैयार करे और उससे आम जनता को प्रभावित करे। इस विकास से भारतवर्ष को विस्थापन, विपन्नता एवं पर्याप्त असंतोष मिला है। यदि वास्तव में देखा जाए तो यह मानवाधिकारों का हनन ही है।

उक्त प्रसंग में चिंता की बात यह है कि हमने देश के संसाधनों को जिस संकल्प के साथ विकास के कामों में लगाया उसका उचित लाभ नहीं मिल सका। उसका एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ज़रूरतमंदों तक पहुंचने के पहले ही बिचौलिये उसका भोग कर डालते हैं। विकास ठहर जाता है, उपेक्षित होता है और जो पिछड़े थे, पिछड़े ही रह जाते हैं। उनके साथ विकास के नाम पर क्रूर मजाक हो जाती हैं ये योजनाएं। स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में कहा था कि एक रुपये में कुल पंद्रह पैसे ही ग़रीब तक पहुंचता है। दरिद्र नारायण दरिद्र ही बने रहते हैं। भारत में अमीर लोगों की संख्या ग़रीबी घटाने और अमीरी बढ़ने की रफ़्तार असमान है। ग़रीबी अगर घट भी रही है तो धीमी गति से पर अमीरी दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तीव्र गति से। इस तरह से समाज में आर्थिक विषमता की खाई बढ़ती जा रही है।

हमारा देश राजनीति और नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के जाल में ऐसा फंसा कि विकास जिस तरह, जिस दिशा में और जिस गति से होनी चाहिए वैसा नहीं हो सका। विकास और विनाश एक-दूसरे के क़रीब आ गए। यह विचित्र, किंतु दुखद सत्य है कि हर विकास, विनाश की क़ीमत पर हुआ और बदस्तूर जारी है। टिहरी शहर को डुबोकर हमने हिटरी बांध बनाया एक पूरी संस्कृति को समाप्त कर एक भौतिक उपलब्धि हासिल की। यह बड़ा कठिन चुनाव है कि हम विकास के लिए क्या और कैसे करें? यह एक गंभीर बहस का विषय है। विकास, मूलत: मानवाधिकारों की स्थापना का बीजमंत्र है। विकास की सफलता इसी में होती है कि वह भेद-भाव को समाप्त कर आमजन के मानवाधिकारों की एक आधारपीठिका तैयार करें।

आज विकास, निर्विवाद रूप से एक आकर्षक नारा है पर वह एक ऐसा नारा बन चुका है जो संदेह और विवाद के घेरे में आ चुका है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अंधविकास, वह विकास जो थोड़े से सीमित लोगों के लिए हो, एकांगी हो, सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। विकास को इतना व्यापक होना चाहिए कि उसके दायरे में सभी समा सकें। साथ ही उसे समावेशी या 'इंक्लूसिव' होना चाहिए। विकास का अब तक का भारतीय अनुभव कंटकाकीर्ण रहा है। जहां देश में कई तरह की शुरुआतें की गईं वहीं इसकी पूरी प्रक्रिया जिस तरह आयोजित हुई और अब तक यात्रा में जिन पड़ावों को

पार कर अब हम जिस मंजिल तक पहुंच पाए हैं वह किसी भी तरह संतोषजनक नहीं कही जा सकती। यह ज़रूर हुआ कि कुछ विकास के 'पॉकेट' बन गए जिन्हें देखकर हम रीझ गए और यह भुला बैठे कि समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी दीन-हीन और दुखी है। दूसरे शब्दों में, जो अमीर हैं उनके विकास की कोई सीमा नहीं है पर जो विपन्न हैं, उनके कष्ट की कोई सीमा नहीं।

गांधीजी के राम राज्य की परिकल्पना अर्थात वह राज्य जिसमें दैहिक, दैविक और भौतिक ताप या क्लेश न हो हमारा आदर्श नहीं रहा। समाज के विभिन्न वर्ग जो ग़ैर-बराबर थे विकास की दौड़ में जब चलने लगे तब यह दूरी और बढ़ती गई। विकास किसका या किसके लिए? इस प्रश्न पर गौर करें तो हमारा ध्यान सामाजिक विषमता और उसके परिणाम पर जाता है। स्मरणीय है कि समाज को सशक्त बनाने के लिए उसमें व्याप्त विषमताओं से उबरना होगा। विकास को समानता और सुख-शांति का अनुभव कराने वाला होना चाहिए।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन ने विकास को स्वाधीनता से जोड़ा है और सक्षमता और हक़ के साथ रखकर देखा है। उनका स्पष्ट मानना है कि तभी सामाजिक न्याय स्थापित हो सकेगा और सुशासन आ सकेगा।

सुशासन, कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व है। भारत में आमतौर पर कार्यपालिका कैसे कार्य करती है और उससे कितना जन संतोष होता है यह किसी से छिपा नहीं है। इसी वज़ह से आज असंतुष्टि चरम उत्कर्ष पर है। आम धारणा यही बनी है कि कार्यपालिका निष्पक्ष और सुचारू रूप से अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रही है। लोकपाल को लेकर आज पूरे भारतीय समाज में जो उत्साहपूर्ण चर्चा है और जो बहस और आंदोलन-सा चला वह स्पष्ट रूप से कार्यपालिका के प्रति असंतोष की भावना को ही अभिव्यक्त करता है। अतः यह गंभीर प्रश्न है कि कार्यपालिका को कैसे पटरी पर लाया जाए।

विकास का रथ हांकने का यानी सारथि का काम कार्यपालिका का है। यह कार्यपालिका अनेक स्तरों पर संविधान, कानून और नौकरशाही के साथ अस्त-व्यस्त ढंग से गिरती-पड़ती आगे बढ़ती है। उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। अब तक कई समितियां बनीं और सुधार के लिए संस्तुति भी दी पर हम अभी भी कोई ठोस सुधार नहीं कर सकें हैं। आज आम जनता के मन में सरकारी तंत्र को लेकर आक्रोश और असंतोष की प्रवृत्ति को आसानी से पहचाना जा सकता है। इतना तो निश्चित ही है कि कार्यपालिका क्षमता के साथ अपनी भूमिका नहीं अदा कर पा रही है। राजनीति, अपराध और भ्रष्टाचार की तिकड़ी विकास की प्रक्रिया में घुन की तरह प्रवेश कर उसे खोखला कर रही है। इसका खामियाज़ा समाज के हाशिये पर खड़े आम आदमी को भुगतना पड़ता है। आज आवश्यकता इस बात की है हम अपने समस्त मतभेदों को ताक पर रखकर एक नयी सोच के साथ राष्ट्र की तरक़्क़ी में जुट जाएं। ❑

(लेखक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबद्ध हैं)

सदस्यता कूपन

नयी सदस्यता / नवीकरण / पता बदलने के लिए (जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (100 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (180 रुपये)

❑ त्रिवार्षिक (250 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....

.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें :.....

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर ***निदेशक, प्रकाशन विभाग*** के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-IV, सातवां तल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

अपनी ही तरह दूसरों के साथ बर्ताव करें

● ज़ियाउर रहमान जाफ़री

मध्य काल के कवि तुलसी ने अपने मन, वचन या कर्म से किसी को पीड़ा पहुंचाने को सबसे बड़ा पाप कहा था। हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जिस बर्ताव से हमें सुख मिलता है, उससे दूसरों को भी सुख मिलेगा और जिस बर्ताव से हमें कष्ट होता है उससे दूसरों को भी कष्ट होगा। *पद्म* पुराण के एक श्लोक में कहा गया है- सुख चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने समान ही दूसरों को समझे, क्योंकि सुख और दुख अपने पराए दोनों के लिए समान होते हैं।

आज हमलोग जिस अलगाववाद, आतंकवाद और हिंसा के दौर से गुज़र रहे हैं, उसके मूल में यही कारण है कि हमारा चारित्रिक पतन हो गया है और हम संवेदनशून्य हो गए हैं। अपने स्वार्थ और क्षणिक फायदे के लिए हम दूसरों को नुक़सान पहुंचा रहे हैं, दूसरों की खुशी हमारी खुशी नहीं रह गई, हममें मानवीयता खत्म हो गई है और उस पर पशुता हावी होने लगी है। किसी भी धर्म ने हिंसा के मार्ग को अपनाने की सीख नहीं दी। हम आज जो धार्मिक उन्माद देखते हैं, उसके तत्व कहीं भी धर्म में मौजूद नहीं है। बौद्ध और जैन पूर्णत: अहिंसक धर्म है। हिंदू और इस्लाम मज़हब की बुनियाद मानवता पर आधारित है। *उपनिषद्* में कहा गया है कि परायी स्त्री को माता के समान परद्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने ही समान जो व्यक्ति देखता है वही वास्तव में सच्चा आत्मद्रष्टा है।

अतीत में हमारे समाज का बुनियादी ढांचा सम्मान-सत्कार पर आधारित था। बच्चे बड़ों की इज्जत करते थे। माता-पिता को देवता की तरह समझा जाता था। बिना बुजुर्गों के परामर्श के घर का कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। हमलोगों ने तस्करी, रिश्वतखोरी, हिंसा, अलगाव और उन्माद का रास्ता अपना लिया है।

एक बार हज़रत मुहम्मद साहब के साथ एक व्यक्ति कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे। एक कब्र के पास रुक कर उन्होंने कहा यह औरत बहुत मुसीबत में है। साहब ने कहा- लेकिन अल्लाह के रसूल यह बहुत इबादत गुज़ार थीं। नमाज, रोजे की पाबंद थी। आपने फरमाया हां, लेकिन अपने पड़ोस के साथ उसका बर्ताव अच्छा नहीं था।

हम अगर दूसरों की तकलीफ़ों को अपना दर्द समझने लगें तो संसार स्वर्ग बन जाए। हमारे ऋषि, मुनि, संत, साधु का हृदय ऐसा ही था।

एक बार संत नामदेव की मां ने बालक नामदेव से कहा- 'वत्स! कुल्हाड़ी लो और पलाश की खाल छीलकर ले आओ। बालक नामदेव ने ऐसा ही किया। घर पहुंचकर यह जानने के लिए कि पेड़ के छीलने से उसे कष्ट हुआ होगा कि नहीं। बालक ने कुल्हाड़ी से अपना ही पैर छील लिया। उसे कष्ट का अनुभव हुआ, बच्चा सोचने लगा कि इस तरह तो मैंने पेड़ को बहुत कष्ट पहुंचाया।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि दूसरों का शोषण कर प्राप्त किया गया धन अंतत: हमें हानि ही पहुंचाता है। जो सुख प्रेम, भाईचारा और ईमानदारी में है, वह कहीं और नहीं है। किसी को प्रेम देने से हमें भी प्रेम मिलता है। चाणक्य नीति है कि- जहां जल होता है वहीं हंस बसते हैं, जब जल सूख जाता है तब वे उस स्थान को त्याग देते हैं, परंतु मनुष्य को हंस के समान संपन्नता-विपन्नता में बार-बार आने-जाने वाला स्वार्थी नहीं बनना चाहिए।

अपने बर्ताव के कारण ही कोई श्रीराम जैसा पूजनीय बन जाता है और कोई रावण की तरह घृणा का पात्र बन जाता है। राबर्ट बर्न्स का कथन अचूक है कि- मानव का मानव के प्रति अत्याचार असंख्य मनुष्यों को दुखी देता है।

हमारा बर्ताव यदि दूसरों के प्रति अच्छा होगा, तो यकीनन उसका व्यवहार भी बदलेगा। अंगुलीमाल जैसा भयंकर डाकू भी भगवान बुद्ध के व्यवहार से नत्मस्तक हो जाता है। ल्यूक का यह कथन हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए कि- जैसे व्यवहार की तुम दूसरों से अपेक्षा रखते हो वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के प्रति भी करों। पवित्र *कुरआन* के एक आयत का अर्थ है- वह तुम क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते।

महात्मा दक्ष बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं कि "सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह जैसे अपने आपको सुखी देखना चाहता है, उसी प्रकार दूसरों को भी देखें।"

कहना न होगा कि आदमी के अच्छे बर्ताव की महत्ता सभी स्वीकारते हैं। हमारी बोली मीठी, चरित्र बेदाग और बर्ताव अच्छा होगा तो कोई कारण नहीं है कि लोग हमें सम्मान न दें। ❑

(लेखक मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रिसर्च स्कॉलर हैं)

SAROJ KUMAR'S IAS ERA

(हिन्दी & English Medium) with **Saroj Kumar**

Highest Achivement in *M.P.P.C.S. 2012*

Namah Shivay
Arajaria
Datia (M.P.)

1 Rank in M.P.P.C.S. 2012

Highest Achivement

SANJAY Kr. AGGARWAL

1 RANK IN IAS
हिंदी माध्यम

Highest Marks: G.S. - 396, History - 408
Geog. - 426, Essay - 156, Interview - 240

Our Toppers of IAS

NITISH KUMAR
BIHAR

MANU HANSA
(JAMMU)

Nitin Tagade
MAHARASHTRA

Din Dayal Mangal
Handicapped/विकलांग
AGRA (UP)

RAKESH KR. VERMA
HAATHRAS (U.P.)

Our Topper of PCS

JAMMU & KASHMIR TOPPER 2011

MANU HANSA
(JAMMU)

1 RANK IN SC & ST

UPPCS TOPPER 2010

POONAM SIROHI
Amroha (U.P.)

BPSC TOPPER 2010

SANJAY KR. SINGH
Jahanabad, Bihar

RAS TOPPER 2011

8th Rank
RAJENDRA PENSIYA
Ganga Nagar (Raj.)

FREE WORKSHOP With SAROJ KUMAR
AT DR. MUKHERJEE NAGAR CENTRE

CSAT (PT)	10.30 A.M.	3rd December
G.S. (PT)	10.30 A.M.	4th December
Geog. (Mains)	10.30 A.M.	5th December
History (Mains)+Essay+Comp. English	10.30 A.M.	6th December

P.T. & Interview Special Classes

CSAT - 3 Months ✕ Essay - 2 Months ✕ G.S. (P.T.) - 3 Months
Full Foundation - 6 Months, ✕ Geog. History (Mains) 3-4 Months

Batch Starts - 10th Dec. 2012, 5th Jan 2013 & 20th Feb. 2013

✣ Separate Hostel for Boys & Girls ✣ Special classes for working people
✣ Weekend classes - Early Morning & Evening
✣ G.S. (Mains) available in Module also

FAST TRACK COURSE FOR WILLING CANDIDATES

Delhi University Centre:- 1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Rd., Near Shakti Ngr.Red Light, Above. P.N.B. Delhi - 110007

Mukherjee Ngr. Centre:- B-10 Top Floor, Comm. Complex, above Bank of Maharashtra, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 110009

Ph- 9910415305, 9910360051

YH-201/2012

गोवा फ़िल्म फेस्टिवल का मज़ा घर बैठे लें

गोवा में चल रहे अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल (आइएफएफआइ) का मज़ा आप घर बैठे ही ले सकते हैं। गोवा फेस्टिवल को दुनियाभर के लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने यूट्यूब चैनल का सहारा लिया है। यूट्यूब चैनल के ज़रिये आप न सिर्फ़ इस फेस्टिवल के विशेष कार्यक्रमों को देख सकेंगे बल्कि समारोह में प्रदर्शित होने वाली प्रमुख फ़िल्मों के अंश, अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं के साक्षात्कार और 'रेड कार्पेट' कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकते हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इस बात की ख़ास व्यवस्था की है कि भारतीय सिनेमा के सौ वर्षों के इतिहास को इस समारोह में बेहतर तरीक़े से पेश किया जा सके।

गोवा में अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल 20 नवंबर, 2012 से 30 नवंबर, 2012 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय फ़िल्मों के पिछले सौ वर्षों के दौरान बनी कालजयी फ़िल्मों को यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनियाभर के सिनेप्रेमियों में अपनी अलग पहचान बना चुके गोवा फ़िल्म फेस्टिवल में इस बार भी दुनिया की बेहतरीन फ़िल्मों को देखने का अवसर मिलेगा। इस बार के फेस्टिवल का ख़ास आकर्षण है कुछ मास्टर स्ट्रोक वर्ग। इस वर्ग में दुनिया के 15 बेहतरीन निर्देशकों की फ़िल्मों को अवसर मिलेगा। इस वर्ग में इटली के बर्नाण्डो बर्तोलुकी की *मी एंड यू* और माइकल हनेके की *आमोर* भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हाल के महीनों में दुनियाभर के फ़िल्म समारोहों में धूम मचा चुके 17 फ़िल्मों की स्क्रीनिंग अलग से की जाएगी। दुनियाभर की सात एनिमेशन फ़िल्में भी यहां प्रदर्शित की जा रही हैं। इसके अलावा तुर्की की सात फ़िल्मों का एक समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। ये फ़िल्में इस तरह की हैं जो आधुनिक तुर्की के बदलते सामाजिक व राजनीतिक परिवेश का जीवंत प्रदर्शन करती है। भारतीय पैनोरामा के तहत 20 फ़ीचर फ़िल्में और 19 गैर-फ़ीचर फ़िल्मों का प्रदर्शन होगा। पूरे फेस्टिवल के दौरान सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर यहां की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों को दिखाया जाएगा। ❑

ENGLISH By Mrs. Annie

For UPSC, PCS, JUDICIARY, SSC, CPF, CPO, PO etc.

DICTION
ENGLISH INSTITUTE
202, 3rd Floor, A-40/41, Ansal Building
(near UCO Bank), Dr. Mukherjee Nagar,
New Delhi-9 Phone:- 011- 65883933

NEW BATCH STARTS EVERY MONTH

YH-203/2012

(पृष्ठ 66 का शेषांश)

आस्वाद लिया है और इससे भी एक किस्म का सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। यहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं, अब उपभोक्ता काफी जागरूक हो गए हैं और राज्य में डेयरी आंदोलन का सच वास्तव में स्थापित हो गया है।

सन् 2007 में नगालैंड सरकार के वरीय अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) का दौरा किया था। यहां संभावनाओं को देखते हुए दुग्ध और अन्य डेयरी उत्पादों का प्रसिद्ध अमूल ब्रांड चलाने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) एक यूनिट बैठाने का मन बना रहा है, ताकि पूर्वोत्तर के सात राज्यों में अपना प्रसार कर सके। जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक आर. एस. सोढ़ी ने अपने दौरे के बाद कहा कि पूर्वोत्तर भारत में हर महीने 35 से 40 करोड़ रुपये का व्यापार किया जा सकता है। यहां का बाज़ार 20 फीसदी की रफ़्तार से बढ़ रहा है। इस साल हम 50 करोड़ रुपये प्रतिमाह का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर भारत में दूध की कमी है। हम पूर्वोत्तर में उत्पादन आधार कायम करने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए हम किसानों को सहकारी संगठन के रूप में संगठित करेंगे। जब हमने पश्चिम बंगाल में काम शुरू किया, तो यह आशंका जताई गई थी कि जितने दूध की ज़रूरत है, हम उतना पूरा नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके हम अच्छी गुणवत्ता के दो लाख लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में हमारी तीन यूनिट काम कर रही हैं। पूर्वोत्तर में भी काफी संभावनाएं हैं। अमूल के 45 संयंत्र हैं, जिनमें से 13-14 गुजरात के बाहर हैं। अमूल के देशभर में 50 डिपो हैं, जिनमें से सात पूर्वोत्तर में हैं।

इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप (आईएमएआरसी) के अध्ययन के अनुसार दुग्ध बाज़ार भारत का सबसे आकर्षक बाज़ार है और दूध की मांग सन् 2016 तक दुगुनी हो जाने की संभावना है। योजना आयोग के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बारहवीं योजना के दृष्टि पत्र में इस बात को रेखांकित किया है कि संयुक्त उपक्रम जैसे- तसर उद्योग, डेयरी, पशुपालन, बागवानी और एग्रो प्रोसेसिंग आदि पर तत्काल ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। इससे कृषि कार्य में लगे अतिरिक्त श्रमिकों का उपयोग किया जा सकेगा और इससे कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी के साथ-साथ प्रतिव्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। नार्थइस्टर्न डेवलपमेंट फाइंनेस कोऑपरेशन (एनइडीएफआई) जैसी वित्तीय संस्थाओं ने पूर्वोत्तर राज्यों के डेयरी उद्योग पर एक अध्ययन कार्यक्रम स्थापित किया है, ताकि क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में डेयरी विकास परियोजनाओं की तक़नीकी-आर्थिक संभाव्यता का परीक्षण किया जा सके और इच्छुक उद्यमियों, निवेशकों, वित्त संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को डेयरी के क्षेत्र में व्यापारिक संभावनाओं के बारे में परियोजना के आधार पर क्षेत्र विशेष के आंकड़ों के बारे में आधारभूत जानकारियां मुहैया कराई जा सके। साथ ही, क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को यह सूचना इस तरह दी जाए, ताकि इसके आधार पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में सहूलियत हो।

(लेखक गुवाहाटी स्थित पत्रकार हैं।
ईमेल : idghy.friend@gmail.com)

घरेलू महिलाओं के काम को आंकेगा विशेषज्ञ समूह

सरकार घरेलू महिलाओं के काम की आर्थिक महत्ता आंकने के लिए सर्वे कराने पर विचार कर रही है। महिला व बाल विकास मंत्रालय के अनुरोध पर सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय अवैतनिक और पहचान से वंचित कामकाज के लिए टाइम यूज सर्वे कराएगा। महिला व बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने इस बाबत विचार के लिए योजना आयोग, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों, सर्वे एजेंसियों, सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और महिला कल्याण से जुड़े संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा की। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमति तीरथ ने कहा कि महिलाओं की सामाजिक हैसियत उनकी आर्थिक स्थिति से भी जुड़ी हैं। लिहाज़ा, घरेलू महिलाओं के अवैतनिक और महत्व न दिए जाने वाले कामकाज का मूल्य पहचानने और उसके माकूल नीति समय की ज़रूरत है।

महिला व बाल विकास मंत्री ने कहा कि उन्होंने सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को लिखा है कि वह अवैतनिक और पहचान से वंचित कामकाज का मूल्यांकन कराए। सांख्यिकी मंत्रालय ने प्रो. एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया है। यह समूह से इस संबंध में ऑल इंडिया टाइम यूज सर्वे कराएगा। श्रीमति तीरथ ने कहा कि सर्वे से महिला सशक्तीकरण के लिए मज़बूत योजना बनाई जा सकेगी।

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि महिलाओं के अवैतनिक कामकाज का मूल्यांकन कराने के लिए डाटा की प्रामाणिकता पर ख़ास ध्यान देना चाहिए।

महिलाओं की कामकाज में भागीदारी का हवाला देते हुए कहा गया कि घरों में काम करने वाली महिलाओं के कामकाज का महत्व समझने पर स्त्री-पुरुष भेदभाव कम करने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि महिला व बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने घरेलू महिलाओं को काम के बदले पगार या उन्हें आर्थिक ढंग से मज़बूत करने के लिए कार्ययोजना की पहल की हैं। ❑

अब उपलब्ध है

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

भारत 2012

देश के विकास की
विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी के लिए

- अर्थव्यवस्था
- विज्ञान और तकनीक
- सामाजिक विकास
- राजनीति
- शिक्षा
- कला और संस्कृति

मूल्यः 345 रुपये

अपनी प्रति यहां से खरीदें :

हमारे विक्रय केंद्रः • **नई दिल्ली** (फोन 24365610, 24367260)• **दिल्ली** (फोन 23890205) • **कोलकाता** (फोन 22488030) • **नवी मुम्बई** (फोन 27570686) • **चेन्नई** (फोन 24917673) • **तिरुअनंतपुरम** (फोन 2330650) • **हैदराबाद** (फोन 24605383) • **बेंगलूरु** (फोन 25537244) • **पटना** (फोन 2683407) • **लखनऊ** (फोन 2325455) • **गुवाहाटी** (फोन 26656090) • **अहमदाबाद** (फोन 26588669)

प्रतियां प्रमुख पुस्तक केंद्रों में भी उपलब्ध हैं

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग,
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
फोन.: 011–24365610, 24367260, फैक्स : 24365609

ई–मेल : dpd@mail.nic.in
dpd@hub.nic.in
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

प्रकाशक व मुद्रक ईरा जोशी, अपर महानिदेशक (प्रमुख) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉप्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक : वी.एम. वनोल

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2012-14
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2012-14 at RMS, Delhi
26 नवंबर, 2012 को प्रकाशित • 29-30 नवंबर, 2012 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2012-14
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

अध्यापन कार्य यानि राष्ट्र का निर्माण

यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ./सेट परीक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षोपयोगी विशेष सामग्री

Useful Books	Code	Price
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (General Paper-I)	420	280.00
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I)	1553	315.00
UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I)	1761	285.00
UGC-NET Geography	336	225.00
UGC-NET Obj. Geography (Paper II)	320	185.00
UGC-NET English (Paper-II)	925	195.00
UGC-NET English Litt. (Paper II)	940	90.00
UGC-NET English (Paper II & III)	1549	215.00
UGC-NET English Literature (Paper II & III)	1736	395.00
UGC-NET Commerce (Paper-II)	968	195.00
UGC-NET Commerce (Paper-II)	888	415.00
UGC-NET Commerce (Paper-III)	359	575.00
UGC-NET Computer Science (Paper-II & III)	894	699.00
UGC-NET Physical Education (Paper-II & III)	931	380.00
UGC-NET Management (Paper-II)	1653	435.00
UGC-NET Management (Paper-III)	1701	450.00
UGC-NET Education (Paper-II)	1522	310.00
UGC-NET Education (Paper-III)	1531	370.00
UGC-NET Visual Art (Paper-III)	1752	180.00
UGC-NET Economics (Paper-II)	1759	445.00
UGC-NET Sociology (Paper-II)	1755	330.00
UGC-NET Psychology (Paper-II)	1765	360.00
UGC-NET Geography (Paper-II & III)	1735	535.00
UGC-NET Mass Communication and Journalism (Paper-II & III)	1764	455.00
UGC-NET History (Paper-II & III)	1769	470.00

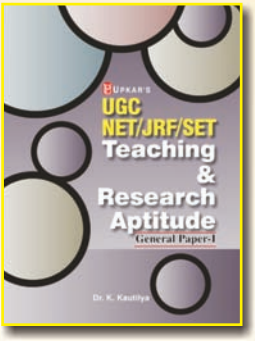

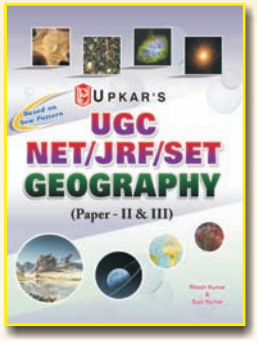

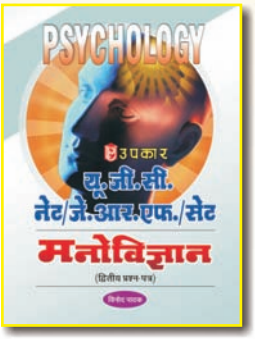

उपयोगी पुस्तकें	Code No.	Price
UGC-NET प्रैक्टिस वर्क बुक जनरल पेपर-I	656	110.00
UGC-NET जनरल पेपर-I (*डॉ. लाल, जैन एवं डॉ. वशिष्ठ*)	200	290.00
UGC-NET जनरल पेपर-I (*डॉ. मिथिलेश पाण्डेय*)	271	230.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	211	430.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	574	105.00
UGC-NET अर्थशास्त्र (*डॉ. अनुपम अग्रवाल*)	521	370.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	567	370.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1114	220.00
UGC-NET भूगोल (*डॉ. एम. एस. सिसोदिया*)	54	270.00
UGC-NET भूगोल (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2191	475.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	685	425.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1125	125.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	201	340.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	204	320.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	1490	490.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	714	295.00
UGC-NET इतिहास (तृतीय प्रश्न-पत्र) (*डॉ. ए. के. चतुर्वेदी*)	1419	299.00
UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	682	320.00
UGC-NET वाणिज्य (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1226	650.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	779	60.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1323	65.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2205	210.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1048	185.00
UGC-NET मनोविज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1022	115.00
UGC-NET विधि (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1173	140.00
UGC-NET गृह विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1336	199.00
UGC-NET गृह विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1337	345.00
UGC-NET समाजशास्त्र (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1335	215.00
UGC-NET समाजशास्त्र (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	127	299.00
UGC-NET दृश्य कला (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	10	175.00
UGC-NET शिक्षाशास्त्र (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	2081	310.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	2195	360.00
UGC-NET जनसंचार एवं पत्रकारिता (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2201	480.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	2206	495.00

उपकार प्रकाशन
E-mail : care@upkar.in
Website : www.upkar.in

2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा – **282 002** फोन : 4053333, 2531101, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
ब्राँच आफिस : • 4845, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 फोन : 23251844/66
• 1-8-1/B, आर. आर. कॉम्प्लेक्स (सुन्दरैया पार्क के पास, मनसा एन्क्लेव गेट के बगल में), बाग लिंगमपल्ली, हैदराबाद-44 फोन : 66753330

YH-204/2012